वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
कोटा

एम.जे.एम.सी. - 8
ग्रामीण एवं पर्यावरण पत्रकारिता
(Rural and Environment Communication)

ग्रामीण एवं पर्यावरण पत्रकारिता-4

पत्रकारिता एवं जनसंचार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
(Master of Journalism & Mass Communication)

ग्रामीण एवं पर्यावरण पत्रकारिता

ग्रामीण जनसंचार एवं ग्रामीण विकास
भारत की भाषाई पत्रकारिता

4

पत्रकारिता एवं जनसंचार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
(Master of Journalism & Mass Communication)

ग्रामीण एवं पर्यावरण पत्रकारिता–4

पाठ्यक्रम विशेषज्ञ समिति

- **प्रो. जी. एस. एल. देवड़ा**
  कुलपति
  कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा
  (अध्यक्ष)
- **डॉ. ए. डबल्यू. खान**
  निदेशक (विकास एवं प्रशिक्षण)
  कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग 1285 वेस्ट हाइवे
  बैकबर (कनाड़ा)
- **राधेश्याम शर्मा**
  पूर्व-महानिदेशक
  माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता
  विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
- **डॉ. ओ. पी. केजरीवाल**
  निदेशक, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लेबोरेट्री
  तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली
- **प्रो. ए. के. बनर्जी**
  पूर्व-अध्यक्ष, पत्रकारिता विभाग
  बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
  वाराणसी
- **प्रो. जे. एस. यादव**
  निदेशक
  भारतीय जनसंचार संस्थान
  नई दिल्ली
- **डॉ. भंवर सुराणा**
  ब्यूरो चीफ / विशेष संवाददाता
  दैनिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
  जयपुर
- **प्रो. रमेश जैन**
  अध्यक्ष-जनसंचार विभाग
  कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

संयोजक

प्रो. रमेश जैन- अध्यक्ष, जनसंचार विभाग
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पाठ-संपादक एवं भाषा-संपादक

पाठ-संपादक
प्रो. रमेश जैन
अध्यक्ष, जन संचार विभाग
कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

भाषा संपादक
डॉ. विष्णु पंकज
वरिष्ठ साहित्यकार-पत्रकार
जयपुर

अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

- डॉ. आर. वी. व्यास, कुलपति
- डॉ. एच. बी. नन्दवाना, विभागाध्यक्ष
- डॉ. पी. के. शर्मा, निदेशक, पा. सा. उ. एवं वि. विभाग

पाठ्यसामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग

- योगेन्द्र गोयल
  सहायक उत्पादन अधिकारी

सर्वाधिकार सुरक्षित ! इस पाठ्यक्रम का कोई भी अंश कोटा खुला विश्वविद्यालय / वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना या मिम्योग्राफी (चक्रमुद) अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करना वर्जित है।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के विषय में और अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, रावतभाता रोड, कोटा से प्राप्त की जा सकती हैं।

कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पाठ लेखक

1. **प्रो. वहीद अहमद काजी**
   अध्यक्ष, भारतीय सूचना सेवा विभाग
   भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली
2. **ईश्वरदेव मिश्र**
   संपादक-जनवार्ता
   मवइया, सारनाथ, वाराणसी
3. **डॉ. महेन्द्र भानावत**
   लोक साहित्य विशेषज्ञ, लोककर्मी
   उदयपुर
4. **हमीदुल्ला**
   हिन्दी नाट्ककार
   जयपुर
5. **डॉ. विजय कुलश्रेष्ठ**
   पूर्व सह आचार्य, हिन्दी विभाग
   सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर
6. **गोपाल गुप्ता**
   वरिष्ठ जनसंचार कर्मी
   नई दिल्ली
7. **चिरंजीलाल माथुर**
   संपादक 'समयकोण'
   जयपुर
8. **रमेशदत्त शर्मा**
   निदेशक, कृषि सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय
   भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
9. **अनुपम मिश्र**
   निदेशक, पर्यावरण कक्ष
   गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली
10. **शुभ पटवा**
   वरिष्ठ पत्रकार
   भीनासर, बीकानेर
11. **रजनी**
   उप संपादक 'कुरुक्षेत्र' (हिन्दी)
   नई दिल्ली
12. **डॉ. लक्ष्मीकान्त दाधीच**
   प्राध्यापक, वनस्पति विभाग
   राजकीय महाविद्यालय, कोटा
13. **डॉ. महेन्द्र मधुप**
   संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण और प्रचार
   राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर
14. **रामकुमार**
   स्वतंत्र पत्रकार, लेखक
   कोटा
15. **डॉ. हुकमचन्द जैन**
   प्रौढ़ सतत् शिक्षा एवं विस्तार विभाग
   डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
16. **प्रो. रमेश जैन**
   अध्यक्ष, जनसंचार विभाग
   कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा
17. **डॉ. पी. पी. सती**
   सहायक प्रोफेसर (भूगोल)
   शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर
   महाविद्यालय शिवपुरी (म.प्र.)
18. **के. एस. मेहता**
   भोपाल
19. **डॉ. विष्णु पंकज**
   वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार
   जयपुर

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय

एम. जे. एम. सी. -8

ग्रामीण एवं पर्यावरण पत्रकारिता

पाठ्यक्रम - अष्टम
खण्ड - चतुर्थ

4

इकाई 13	ग्रामीण जनसंचार एवं ग्रामीण विकास		9–31
इकाई 14	पर्यावरणीय कानून		32–54
इकाई 15	भारत की भाषायी पत्रकारिता		55–87
इकाई 16	ग्रामीण जनसंचार में इलेक्ट्रोनिक माध्यमों का योगदान		88–98

खंड एवं इकाई परिचय

खंड परिचय

प्रस्तुत खंड ग्रामीण एवं पर्यावरण पत्रकारिता-4 का है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास मूलत: ग्रामीण विकास पर निर्भर है। गांधी जी के अनुसार भारत गावों का देश है और अधिकांश ग्रामीणों का व्यवसाय कृषि है। स्वतन्त्रता के पश्चात् ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए लेकिन उसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। गांधी जी का मत था कि भारत का आर्थिक विकास बिना ग्रामीण विकास के नहीं हो सकता ।

लेकिन समय के साथ-साथ यह पहचान बदली है । आज भारत कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे अत्याधुनिक क्षेत्र में अग्रणी देश के रूप में जाना जाता है । अंतरिक्ष विज्ञान, परमाणु अनुसंधान आधी के क्षेत्रों में भी हमने प्रगति की है । वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्र में तमाम प्रगति के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप और उसके गावों का वर्चस्व कम नहीं हुआ है। विकास का ज्यादा काम गावों को नहीं मिलता है । ग्रामीण अर्थव्यवस्था अब भी कृषि पर आधारित है । ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा भी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया है ।

ग्रामीण जनसंचार एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण जनसंचार में इलेक्ट्रानिक माध्यमों का योगदान, पर्यावरणीय कानून तथा भाषाई पत्रकारिता इस खंड की इकाइयां है। इन इकाइयों में ग्रामीण विकास, इलेक्ट्रानिक माध्यम तथा भाषाई पत्रकारिता से संबद्ध कुछ मुद्दों को उठाया गया है और उनकी विस्तृत विवेचना की गई है।

इकाई परिचय

इकाई 13 - 'ग्रामीण जनसंचार और ग्रामीण विकास' की है। इस इकाई में जिन बिन्दुओं की चर्चा की गई है वे हैं - ग्रामीण जनसंचार की अवधारणा, ग्रामीण जनसंचार के माध्यम, ग्रामीण विकास की अवधारणा, ग्रामीण विकास की समस्याएं, ग्रामीण जनसंचार और ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास में जनसंचार माध्यमों की भूमिका, ग्रामीण विकास के प्रमुख क्षेत्र और जनसंचार तथा ग्रामीण जनसंचार के समस्याएं । भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण इसकी लगभग तीन चौथाई जनसंख्या आज भी ग्रामीण है । इस आबादी की एक बहुत बड़ा भाग विकास की जिन समस्याओं से ग्रस्त है उनमें निर्धनता, बेरोजगारी, शिक्षा, पानी, बिजली, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य आदि प्रमुख है ।

इकाई 14 - पर्यावरण कानून से संबद्ध है। इस इकाई में पर्यावरण क्या है? पर्यावरण से तात्पर्य, पर्यावरण के प्रकार और तत्व, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जल प्रदूषण अधिनियम तथा वायु प्रदूषण अधिनियम पर प्रकाश डाला गया है । जनसंचार के शिक्षार्थियों को पर्यावरणीय कानून से परिचित होना जरूरी है ।

इकाई 15 - भारत की भाषाई पत्रकारिता की है । ग्रामीण विकास में भाषाई पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है । गावों में जहाँ इलेक्ट्रानिक माध्यमों की पहुँच नहीं है, वहाँ भाषाई समाचार पत्र-पत्रिकाएं सूचना एवं जानकारी प्रदान करती है । ग्रामीण मुद्रित माध्यमों द्वारा देश-विदेश के समाचार प्राप्त करते है।

इस इकाई में भाषाई पत्रकारिता का अर्थ एवं स्वरूप, पुराने भाषाई पत्र, भाषाई पत्र और भाषागत विकास, भाषाई पत्रों की सम्प्रेषण शक्ति, भाषाई पत्रों की जनमत में भूमिका आदि बिन्दुओं की विस्तृत व्याख्या की गई है। राजनीति को समझाने और समझने की जो शक्ति इस देश के भाषाई अखबारों को प्राप्त है वह अंग्रेजी पत्रकारिता में नहीं है और इस कारण से आप यह देखिए कि जो सचमुच का राजनेता है, वह इस देश के भाषाई अखबारों को ज्यादा महत्व देता है। किसी राजनेता का राजनैतिक भविष्य कोई बना या बिगाड़ सकता है, तो वे भाषाई अखबार है।

इकाई 16 - 'ग्रामीण जनसंचार में इलेक्ट्रानिक माध्यमों का योगदान' से संबद्ध है। ग्रामीण जनसंचार में इलेक्ट्रानिक माध्यमों में रेडियो, टेलिविजन और फिल्म प्रमुख है। इस इकाई में ग्रामीण और शहरी जन-जीवन में अंतर, अंधेरे से बाहर कौन निकाले? जनसंचार एक मात्र विकल्प है, दो प्रमुख इलेक्ट्रानिक माध्यम, ग्रामीण विकास में रेडियो, टेलिविजन और फिल्म, माध्यमों के प्रमुख दायित्व, भारतीय संदर्भ, भारतीय ग्रामीण जीवन की अपनी शान, परिवर्तन बनाम परम्परा, रेडियो, टेलिविजन, फिल्म का कितना योगदान है, करवट लेता ग्रामीण परिवेश, निर्वाध संचार क्रांति, आने वाला कल आदि बिन्दुओं पर व्यापक प्रकाश डाला गया है।

आशा की जाती है कि ये चारों इकाईयाँ आपको ग्रामीण विकास, भाषाई पत्रकारिता, ग्रामीण इलेक्ट्रानिक माध्यम तथा पर्यावरणीय कानून को समझने में सहायक होगी।

इकाई 13 ग्रामीण जनसंचार एवं ग्रामीण विकास

इकाई की रूपरेखा

13.0 उद्देश्य
13.1 प्रस्तावना
13.2 ग्रामीण जनसंचार की अवधारणा
13.3 जनसंचार के क्षेत्र
13.4 विकास संचार
13.5 ग्रामीण जनसंचार के माध्यम
13.5.1 मुद्रित माध्यम
13.5.2 रेडियो
13.5.3 फिल्म / चलचित्र
13.5.4 दूरदर्शन
13.5.5 परम्परागत लोक माध्यम
13.6 ग्रामीण विकास की अवधारणा
13.6.1 ग्रामीण विकास : अर्थ एवं परिभाषा
13.6.2 ग्रामीण विकास के उद्देश्य
13.6.3 ग्रामीण विकास संबंधी कार्य नीतियां
13.6.4 भारत में ग्रामीण विकास योजनाएं
13.7 ग्रामीण विकास की समस्याएं
13.8 ग्रामीण जनसंचार और ग्रामीण विकास
13.9 ग्रामीण विकास में जनसंचार माध्यमों की भूमिका
13.9.1 ग्रामीण विकास संबंधी जानकारी का सम्प्रेषण
13.9.2 विकास चेतना जागृत करना
13.9.3 जनसहभागिता में वृद्धि
13.9.4 विकास कार्यों का प्रचार- प्रसार
13.9.5 विकास कार्य हेतु जनमत निर्माण
13.9.6 ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन
13.10 ग्रामीण विकास के प्रमुख क्षेत्र और जनसंचार
13.10.1 रोजगार
13.10.2 स्वास्थ्य
13.10.3 पशुपालन
13.10.4 कृषि विकास
13.10.5 नेतृत्व विकास

13.10.6 पंचायत राज
13.10.7 शैक्षणिक विकास एवं साक्षरता
13.10.8 परिवार कल्याण एवं पर्यावरण
13.10.9 ग्रामोद्योग
13.11 ग्रामीण जनसंचार की समस्याएं
13.11.1 ग्रामीण संचार माध्यमों की पहुंच
13.11.2 निरक्षरता की व्यापकता
13.11.3 सामाजिक-सांस्कृतिक कारक
13.11.4 सामान्य निर्धनता
13.11.5 संचार/सम्प्रेषण संबंधी समस्या
13.12 सारांश
13.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें
13.14 निबंधात्मक प्रश्न

13.0 उद्देश्य

'ग्रामीण जनसंचार और ग्रामीण विकास' इकाई का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनसंचार और ग्रामीण विकास की अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए इनके परस्पर सम्बन्धों को स्पष्ट करना है। ग्रामीण विकास में ग्रामीण जनसंचार माध्यमों का क्या योगदान हो सकता है, इस दृष्टि से आप इस इकाई में निम्न बिन्दुओं पर यथेष्ट जानकारी प्राप्त करेंगे ।

- ग्रामीण जनसंचार की अवधारणा
- ग्रामीण संचार के क्षेत्र
- विकास संचार
- ग्रामीण जनसंचार के माध्यम
- ग्रामीण विकास की अवधारणा
- ग्रामीण विकास और जनसंचार
- ग्रामीण विकास के क्षेत्र

इसके अलावा आप ग्रामीण विकास और जनसंचार के अन्य पक्षों से भी भली- भांति परिचित हो सकेंगे । ग्रामीण विकास की अनेकानेक समस्याएं हैं जिन्हें कम करने में जनसंचार माध्यमों की भूमिका बड़ी सकारात्मक हो सकती है । इस दृष्टि से भी इस इकाई में विवेचन किया गया है।

13.1 प्रस्तावना

विकासशील देशों में जनसंख्या का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है जो विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है । भारत इसका अपवाद नहीं है । भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण इसकी लगभग तीन चौथाई जनसंख्या आज भी ग्रामीण है । इस आबादी का एक बड़ा भाग विकास की जिन समस्याओं से ग्रस्त है उनमें निर्धनता, बेरोजगारी, कुपोषण, रोग,

निरक्षरता, जनसंख्या वृद्धि और निम्न जीवन स्तर आदि मुख्य हैं । भारत में स्वतन्त्रता के बाद विगत कई दशकों से ग्रामीण विकास की अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं लेकिन उनका लाभ बहुसंख्यक ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है । इस स्थिति के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं । वस्तुत: ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का गए, बड़ा भाग निरक्षर है और उसकी विकास के संसाधनों तक न तो पहुँच है और न ही उसे यथेष्ट जानकारी है ।

अत: भारत सहित विश्व के कई देशों में एक लम्बे अनुभव के बाद यह पाया गया है कि विकास को गति देने के उद्देश्य से जनसंचार की भूमिका बड़ी निर्णायक हो सकती है । कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य,पोषाहार, वानिकी, परिवार, कल्याण, आवास और समाज कल्याण के साथ- साथ सामाजिक विकास के अन्य क्षेत्रों में विकास से संबंधित उपयोगी जानकारी संचार माध्यमों से सम्प्रेषित की जा सकती है । इसके अलावा जनसंचार माध्यमों से ग्रामीण समाज में व्याप्त उन सामाजिक अंध मान्यताओं एवं कुरीतियों को दूर करने में भी सहायता माध्यमों मिल सकती है, जो सदियों से उन्हें जकड़े हुए हैं । इनमें बाल- विवाह, दहेज, मृत्युभोज, छुआछूत, अस्पृश्यता, पर्दाप्रथा, जातिवाद एवं दलबन्दी आदि ऐसी समस्याएं है जिनके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा कर इन्हें कम किया जा सकता है ।

13.2 ग्रामीण जनसंचार की अवधारणा

ग्रामीण जनसंचार दो शब्दों से मिलकर बना है - ग्रामीण और जनसंचार । ग्रामीण शब्द एक विशेष क्षेत्रीय पर्यावरण का प्रतीक है । ग्रामीण क्षेत्र व्यवसाय, पर्यावरण, समुदाय के आकार, आबादी के घनत्व, जन समुदायों के विषमांगता (Heterogeneity) और समांगता (Homorniety), सामाजिक विभेदों, संस्तरीकरण (Stratification), सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility), और। परस्पर संबंधों की प्रकृति और व्यवस्था आदि की दृष्टि से एक भिन्न पहचान रखता है ।

ग्रामीण जनसंचार का आशय ग्रामीण चेतना, जानकारी और समझ को विकसित करने वाली प्रक्रिया से है । अत: ग्रामीण जनसंचार ग्रामीण जीवन के विविध पक्षों के मध्य अन्त: क्रियात्मक सम्बन्धों का बोध कराता है । वस्तुत: ग्रामीण लोगों के मध्य विचारों, भावनाओं, अनुभूतियों और मतों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया ग्रामीण जनसंचार है । ग्रामीण जनसंचार का उद्देश्य लोगों में ऐसे दृष्टिकोण का निर्माण करना है जो ग्रामीण जीवन और विकास के प्रति सकारात्मक हो । सामान्य रूप से जनसंचार की जो भूमिका और महत्व किसी भी समाज में है इसका वही महत्व ग्रामीण समाज के लिए है । अन्तर है तो केवल इतना की ग्रामीण जीवन और परिवेश के' अनुरूप संचार प्रक्रिया की आयोजना की जानी चाहिए । अत: ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि जनसंचार की प्रक्रिया ठीक से तभी संभव है जब सम्प्रेषक को ग्राहक या उपभोक्ता की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ज्ञान हो ।

13.3 जनसंचार के क्षेत्र

जनसंचार की तरह इसका क्षेत्र भी बड़ा व्यापक है । यह मौखिक संचार से लेकर आधुनिक जनसंचार माध्यमों तक की प्रक्रियाओं तथा प्रबन्धन तक फैला हुआ है । वस्तुत:

जनसंचार का क्षेत्र बहुआयामी है क्यों कि लोग विभिन्न स्तरों पर, कई कारकों से कई लोगों के साथ एवं कई प्रकार से सम्प्रेषण करते हैं । इसलिए संचार के अध्ययन क्षेत्र को किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं कर सकते हैं । जैसे- जैसे संचार के क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ रहा है, संचार का क्षेत्र भी विस्तृत हो रहा है । मुद्रण से लेकर भू उपग्रह संचार तक के विकास ने संचार के क्षेत्र को नए आयाम प्रदान किए ।

डॉ. विन्सेंट लोबी ने संचार के प्रमुख अध्ययन क्षेत्रों को निम्नवत चिन्हित किया है - विज्ञान संचार, प्रबन्धन संचार, फिल्म एवं वीडियों संचार, विकास संचार, फिल्म निर्माण, शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं संचार । अध्ययन के क्षेत्रों के अलावा संचार के अनेक नए-नए अध्ययन क्षेत्र विकसित हो रहे हैं । वर्तमान औद्योगिक युग में पर्यावरणीय संचार और जनसंख्या संचार से लेकर स्वास्थ्य संचार जैसी संचार की नई-नई शाखाएं विकसित हो गई हैं । प्रबंधन स्वयं एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है ।

13.4 विकास संचार

जनसंचार का एक प्रमुख क्षेत्र संचार है । अत: ग्रामीण विकास के संदर्भ में विकास संचार की अवधारणा के बारे में जानना आवश्यक है । वस्तुत: जन आधारित विकास नियोजन में जन सहभागिता एक मुख्य शर्त है । विकास की प्रक्रिया में जनभागीदारी तभी संभव है जब लोग में विकास के प्रति रूचि, चेतना और सकारात्मक सोच विकसित हो जाए । इस दृष्टि से विकास की प्रक्रिया में जनसंचार की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि लोगों में विकास संबंधी ज्ञान, भावना, विचार और सूचना का परस्पर आदान- प्रदान आवश्यक है ।

विकास संचार पर विद्वतापूर्ण चिन्तन तथा वैज्ञानिक ढंग से शोध कार्य का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है । इस पर्यावरण दिशा में उल्लेखनीय प्रगति द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद संभव हुई तथा कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए । समाजशास्त्री डेनियल लर्नर का निष्कर्ष है कि तृतीय विश्व के देशों में संचार माध्यम विकास में सहायक हो सकते हैं । इसी तरह से विचार विल्वर श्राम ने अपने अध्ययन में व्यक्त किए थे । इस तरह सत्तर के दशक में जनसंचार माध्यमों को 'मैजिक मल्टीप्लायर' के रूप में समझा गया एवं विकास संचार के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण बना । नई संचार प्रौद्योगिकी को एक उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त हुई और विकासशील देश इसकी बढ़ती शक्ति के महत्व को अनुभूत कर रहे हैं ।

विकास संचार के तात्पर्य विकास को गति देने में संचार के उपयोग एवं भूमिका से है । आज विश्वभर में नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर बल दिया जा रहा है । इसके अन्तर्गत सामाजिक और आर्थिक प्रगति दोनों का समावेश है । प्रारंभ में विकास को भले ही राष्ट्रीय सकल उत्पाद के रूप में मापा जाता था लेकिन अब विकास के परिप्रेक्ष्य में मानव संसाधन के विकास पर बल दिया जा रहा है । दूसरी ओर संचार समाज का आधार है । प्रारंभ में नीति नियोजकों ने विकास प्रक्रिया के इस केन्द्रीय तत्व की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया । विकास की प्रक्रिया में उन्हीं कारणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो किसी समाज की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है । उदाहरण के लिए शिक्षा के विस्तार और प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण किसी भी विकासशील समाज के लिए उत्पतिहार्य है । जिसके मूल में संचार की प्रक्रिया निहित है ।

विकास के साथ सामाजिक परिवर्तन भी अवश्य संभावी है जिसमें अनिश्चय, अलगाव तथा समूह तनाव, यथास्थिति में बदलाव और नई प्रौद्योगिकी को अंगीकार की प्रक्रिया सम्पन्न होती है ।

13.5 ग्रामीण जनसंचार के माध्यम

ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंचार माध्यमों का विशेष महत्व है क्योंकि वहां शिक्षा और जागरूकता का अपेक्षाकृत कमी और नगरों से पृथक्कता के कारण बहुत सी उपयोगी जानकारी से ग्रामीण जन वंचित रह जाते हैं । वस्तुतः ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की जानकारी केवल उन लोगों तक पहुँच पाती है जो नगरीय संपर्क रखते हैं या उन अधिकारियों या कर्मचारियों से जुड़े रहते हैं जिन्हें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का दायित्व सौंपा गया है । ग्रामीण जनसंचार के कई माध्यम हैं जिन्हें प्रमुख रूप से मुद्रित माध्यम, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म और परम्परागत लोक माध्यम के रूप में समझ सकते हैं ।

13.5.1 मुद्रित माध्यम

ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे- जैसे साक्षरता का विस्तार हो रहा है, मुद्रित माध्यमों का महत्व बढ़ता जा रहा है । मुद्रित माध्यमों के अर्न्तगत समाचारपत्र- पत्रिकाएं, पोस्टर, नारे लेखन आदि का समावेश कर सकते हैं ।

समाचारपत्र - समाचारपत्र जनसंचार का एक बहुत बड़ा माध्यम है । यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा- साक्षरता कम होने के कारण और आर्थिक स्थिति ठीक न होने से जनसामान्य प्रतिदिन समाचारपत्र खरीदने मे रुचि नहीं रखता लेकिन प्रौढ़ शिक्षा, सतत् शिक्षा और औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों के अन्तर्गत समाचारपत्र उपलब्ध कराए जा सकते हैं । समाचारपत्रों से देश विदेश और स्थानीय क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होती है । कई बार विकास कार्यक्रमों से संबंधित उपयोगी सूचनाएं और विज्ञापन ग्रामीणों को पढ़ने के लिए मिल सकते है । समाचारपत्र व्यक्ति के मानसिक परिदृश्य को विकसित बनाने में सहायक होते हैं ।

लघु पुस्तिकाऐं - ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रचार हेतु लघु पुस्तिकाएं बहुत उपयोगी होती हैं । इन पुस्तिकाओं में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार कल्याण, भूमि एवं जल संरक्षण आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जा सकती है ।

पोस्टर - एक पोस्टर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से एक उपयोगी जनसंचार माध्यम सिद्ध होता है । पोस्टर और चित्रों के माध्यम से शिक्षा, सफाई, कृषि मतदान, सहकारिता, परिवार कल्याण, साक्षरता आदि से संबंधित संक्षिप्त किन्तु प्रभावशाली संदेशों को जनसामान्य के मध्य सम्प्रेषित किया जाता है। यह अलग बात है कि पोस्टरों का प्रभाव अशिक्षित समुदायों के बीच विशेष रूप से देखा गया है । पोस्टरों का प्रदर्शन आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर किया जानी चाहिए ।

नारे - ग्रामीण विकास की योजनाओं के प्रचार-प्रसार में नारे लेखन एक महत्वपूर्ण साधन है । शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, टीकाकरण अन्य विकास योजनाओं से संबंधित कार्यक्रमों को नारों द्वारा प्रचारित किया जा सकता है । उदाहरण के तौर पर शिक्षा साक्षरता से

संबंधित यह नारा उपयोगी हो सकता है -'जगे देश की क्या पहचान, पड़ा लिखा मजदूर किसान।' इसी तरह 'जग उठे ग्राम खिल उठा देश', 'स्वच्छ घरों में लक्ष्मी का बास होता है', 'पंच परमेश्वर', ' सत्यमेव जयते' आदि ऐसे अनेक नारे हैं जिन्हें दीवारों पर लिखा जाता है । उल्लेखनीय तथ्य यह है कि नारे सरल भाषा में हो और जिस संदेश को जन सामान्य तक पहुँचाना है उसे सही ढंग से व्यक्त करता हो ।

13.5.2 रेडियो

ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रित माध्यमों के साथ- साथ रेडियो सुनने का प्रचार प्रसार भी बढ़ रहा है । रेडियो के माध्यम से शिक्षा, सूचना और मनोरंजन सम्प्रेषित होता है । ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सम्पन्नता और समृद्धि के साथ रेडियो रखने का प्रचलन बढ़ा है । रेडियो के माध्यम से कृषक तक कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और परिवार कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी आसानी से भेजी जा सकती है ।

भारत में यूनेस्को की सहायता से आल इंडिया रेडियो के माध्यम से 1956 में शैक्षिक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी । इस पायलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत पूना, अहमदनगर, सतारा, कोल्हापुर और नासिक जिलों से 150 गांवों को चुना गया था, जहां ग्रामीणों को रेडियो कार्यक्रमों को सुनने हेतु संगठित किया गया । रेडियो के द्वारा ग्रामीणों की रुचि के अनुरूप ग्रामीण सामुदायिक श्रवण योजनाएं चलाई गई । इनके अन्तर्गत कृषि, पशुपालन ग्रामीण शिक्षा, जल और स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित 20 कार्यक्रम तैयार किए गए । इन कार्यक्रमों को 10 सप्ताह तक आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किया गया । वस्तुत: इस परियोजना के ग्रामीणों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पाए गए । फलत: इसका विस्तार देश के अन्य भागों में किया गया । मध्यप्रदेश सहित देश के अन्य भागों में सामुदायिक श्रवण योजनाओं का प्रारंभ बहुत पहले से किया गया । इन सामुदायिक केन्द्रों से दूरस्थ क्षेत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य शिक्षा, व्यवसायिक कौशल तकनीकी ज्ञान की जानकारी प्राप्त करते थे ।

13.5.3 फिल्म / चलचित्र

फिल्म और चलचित्र जनसंचार के सर्वाधिक सशक्त माध्यम है । इनके माध्यम से ग्रामीणों को कृषि संबंधी उन्नत तकनीक, खाद-बीज एवं अन्य जानकारी प्रदान की जा सकती है । चलचित्रों और फिल्म आदि की मुख्य विशेषता यह है कि इनके माध्यम से प्रदत्त जानकारी लोगों के मस्तिष्क में अच्छी तरह से बैठ जाती है । इन माध्यमों की दूसरी विशेषता यह है कि इनके प्रति लोगों में आकर्षण आज भी बना हुआ है । अत: फिल्मों और चलचित्रों के माध्यम से ग्रामीण विकास की समस्याओं को बेहतर का से प्रस्तुत किया जा सकता है किन्तु यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इनकी विषयवस्तु, भाषा और प्रस्तुति ग्रामीणों की रुचि और आवश्यकता के अनुरूप हो।

13.5.4 दूरदर्शन

वर्तमान समय में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में सर्वाधिक लोकप्रिय जनसंचार माध्यम दूरदर्शन है । वस्तुत: दूरदर्शन का प्रारंभ भी भारत में आकाशवाणी दिल्ली द्वारा 15 सितम्बर, 1959 को यूनेस्को की सहायता से समाज शिक्षा हेतु किया गया था । यह प्रायोगिक दूरदर्शन सेवा देहली टी. वी. प्रोजेक्ट माध्यम से उद्घाटित की गई थी । इसके अन्तर्गत प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को 20 मिनट का हिन्दी कार्यक्रम ' कृषि दर्शन' प्रसारित किया जाता था । इस कार्यक्रम के निर्माण में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और देहली प्रशासन की सहायता ली गई थी । इस हेतु चुने पर्यावरण हुए गांवों के टेली क्लब गठित किए गए और चुने हुए उत्तरदाताओं से इस कार्यक्रम के बारे में प्रतिक्रियाओं अर्थात् प्रतिपुष्टि प्राप्त कि गई । निष्कर्ष रूप में कृषि दर्शन कार्यक्रम से कृषकों को काफी उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई । इसके अलावा उनके ज्ञान में स्तर और दृष्टिकोण में न केवल परिवर्तन आया बल्कि वे कृषि संबंधी नई पद्धतियों को अपनाने की दिशा में प्रवृत्त हुए ।

वस्तुत: दूरदर्शन का व्यापक उपयोग सेटेलाइट इंस्ट्रक्शन एक्सपेरीमेंट (SITE) के विकास के बाद संभव हुआ । इसके अन्तर्गत सामुदायिक टेलीविजन के माध्यम से अगस्त, 1975 से जुलाई, 1976 के मध्य कृषि स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया । इस हेतु प्रयोग के तौर पर भारत के 6 प्रदेशों में 20 जिलों के दो हजार गांवों को चुना गया । इन गांवों के ग्रामीणों को उन्नत किस्म के बीजों, खादों एवं कीटनाशकों के प्रयोग, जनसंसाधन तकनीक और कृषि सहकारिता द्वारा गहन कृषि कार्यक्रम को प्रोन्नत करने संबंधी जानकारी प्रदान की गई । इस प्रयोग के परिणाम बड़े सकारात्मक थे । फलत: बाद में इंडियन नेशनल सेटेलाइट एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी (INSAT) के द्वारा ऐसे कार्यक्रमों का विस्तार पूरे देश में किया गया । कई प्रदेशों में सामुदायिक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए गए जहां बच्चे, युवक और वृद्ध सभी दूरदर्शन कार्यक्रमों को देख सकते थे।

13.5.5 परम्परागत लोकमाध्यम

परम्परागत लोक माध्यम ग्रामीण जनजीवन के काफी निकट होते हैं । इन माध्यमों से न केवल ग्रामीण जनजीवन की सामाजिक-सांस्कृतिक अभिव्यक्ति होती है बल्कि इन माध्यमों से ग्रामीण लोगों में नई चेतना, विचार और मूल्यों को आरोपित करने में भी सहायता मिलती है । इन माध्यमों पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होता है जिससे से स्वतंत्रता पूर्वक अपने क्रियाकलाप प्रस्तुत करते हैं । इसके अलावा विविध कारणों से इन माध्यमों के द्वारा सम्प्रेषित संदेश ज्यादा प्रभावकारी होते हैं । इन माध्यमों के अन्तर्गत लोकगीत, संगीत. भाषण, कविता, पाठ, नाटक, नौटंकी, भांण, यात्रा-जात्रा, जत्थे, कठपुतली आदि प्रमुख है ।

इन माध्यमों से ग्रामीण विकास संबंधी जानकारी एवं संदेश व्यापक रूप से लोगों तक पहुँचाए जा सकते हैं । आज भी बुन्देलखण्ड की फागें, आल्हा, राजस्थान के मांडे और लावणियाँ, ब्रज की रास लीलाएँ, काशी के चेती और बिरहे, मिर्जापुर की कजरियाँ, गुजराती गरबे, पंजाबी भांगड़े आदि के ग्रामीण लोगों के दिलों की धड़कने बसती हैं । देश के लगभग सभी भागों में लोक

नाट्य परम्परा रहीं है । इसे पश्चिम बंगाल में जातरा, महाराष्ट्र में तमाशा, उत्तरप्रदेश में नौटंकी और आंध्रप्रदेश में बर्रा कहा जाता है । लोक नाट्य न केवल स्वास्थ्य और सस्ते मनोरंजन का साधन है, बल्कि ग्रामीण जीवन की समस्याओं और सामाजिक कुरीतियों को भी उजागर कर लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं ।

13.6 ग्रामीण विकास की अवधारणा

विश्व की बहुसंख्यक आबादी ग्रामीण है । भारत की तीन चौथाई से ज्यादा आबादी कृषि कार्य के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है । समाजशास्त्रीय दृष्टि से ग्राम ज्यादा प्राचीन हैं जिनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनैतिक संरचना नगरों से भिन्न होती है । इसलिए ग्रामीण विकास की रणनीति और समग्र विकास आयोजना का अपना महत्व है । ग्रामीण विकास के बिना किसी देश के विकास को वास्तव में राष्ट्रीय विकास नहीं कहा जा सकता है । अत: ग्रामीण विकास का उद्देश्य लोगों को उन्नत जीवन के अवसर प्रदान करना है जिससे वे अपने प्रयासों द्वारा सामाजिक-आर्थिक खुशहाली और आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें ।

13.6.1 ग्रामीण विकास - अर्थ एवं परिभाषा

विश्व बैंक के अनुसार 'ग्रामीण विकास एक विशेष समूह के लोगों-ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक और सामाजिक जीवन के सुधारने के अभिसंरचित रणनीति है । इसके अन्तर्गत उन निर्धनतम लोगों को विकास के लाभ पहुँचाने है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जीविकोपार्जन करते हैं । इस समूह में लघु कृषक, कृषि श्रमिक तथा भूमिहीन शामिल है । ' वस्तुत: वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विकास की अवधारणा में काफी परिवर्तन हुआ है । कभी विकास एक आर्थिक शब्द था किन्तु ग्रामीण अब विकास का अर्थ इससे भी कहीं ज्यादा व्यापक है । आज ग्रामीण विकास को इसी व्यापक संदर्भ में समझा जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि और निम्न जीवन स्तर की समस्याओं से कैसे मुक्त किया जाए ।

13.6.2 ग्रामीण विकास के उद्देश्य

ग्रामीण विकास की अवधारणा समझने के बाद ग्रामीण विकास के उद्देश्यों को समझना आवश्यक है । ग्रामीण विकस के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं-

(क) ग्रामीण लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत रोटी, कपड़ा ओर मकान, शिक्षा, मनोरंजन और रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराये जा सकें ।

(ख) कृषि एवं औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि करना जिससे ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर उन्नत हो सके ।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता उन्मूलन को प्राथमिकता देना ।

(घ) ग्रामीण विकास की विभिन्न प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों में जनसहभागिता को सुनिश्चित करना।

(ङ) समाज में सभी को विकास के समान अवसर और सामाजिक न्याय दिलाना ।

13.6.3 ग्रामीण विकास संबंधी कार्य नीतियाँ

ग्रामीण विकास के उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यनीतियाँ तय करना आवश्यक है । इस दृष्टि से यहां ग्रामीण विकास की तीन प्रमुख प्रकार की कार्यनीतियां दी गई हैं -

(क) ग्रामीण विकास : सामूहिक कार्यनीतियां - ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने हेतु भूमि, कृषि, प्रौद्योगिकीय एवं रोजगार आदि से संबंधित सामूहिक नीतियों पर बल दिया जाता है । इन नीतियों से संबंधित उपायों और कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर जोर दिया जाता है । इससे ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक शक्तियों के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन का प्रयास किया जाता है ।

(ख) ग्रामीण विकास : सुधारवादी कार्यनीतियां - इन नीतियों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सुधारवादी कार्यक्रमों और उपायों को अपनाने पर बल दिया जाता है । सहकारी खेती, सहकारिता विकास और स्व-सहायता समूहों का गठन कर विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करने की चेष्टा की जाती है ।

(ग) ग्रामीण विकास : बाजार प्रेरित कार्यनीतियां - वर्तमान समय बाजार अर्थव्यवस्था का है । अत: ग्रामीण विकास के संदर्भ में बाजार प्रेरित कार्यनीतियों का समावेश किया गया है । इसके अन्तर्गत कृषि उत्पादन के लिए विपणन व्यवस्था, समर्थन मूल्य और कृषकों के हितों को इस आ से विकसित किया जाता है कि वे अपने उत्पाद का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें ।

विकासशील देशों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि विकास कार्यक्रमों में जनभागीदारी आवश्यक है । कृषि, आवास, सहकारिता, स्वास्थ्य, पेयजल एंव सफाई के क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकी और नए-नए विचारों को कैसे अपनाया जाए । इस संदर्भ में मुख्य तथ्य यह है कि मनुष्य के ज्ञान, कौशल और अभिवृत्तियों में वांछित परिवर्तन करके ही ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में सहभागी बनाया जा सकता है । जे. पाल लीगन्स ने मत व्यक्त किया है 'ग्रामीण लोगों में परिवर्तन लाने हेतु सफलता का निर्णायक कारक केवल कार्यक्रम अभिसंरचना (Programme Design) ही नहीं बल्कि इसके प्रति उनका प्रत्युत्तर है ।' अत: ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से स्व-सहायता के सिद्धान्त के केन्द्र में रखकर ग्रामीणों को अपनी समस्याओं को चिन्हित करने और उन्हें हल करने हेतु अभिप्रेरित किया जाए इस कार्य में जनसंचार माध्यमों की भूमिका नकारी नहीं जा सकती है ।

13.6.4 भारत में ग्रामीण विकास योजनाएं

ग्रामीण विकास एक ऐसी समग्र अवधारणा है जो ग्रामीण जीवन के लोगों के सभी पक्षों के विकास को समेटे हुए है । स्वतंत्रता आन्दोलन के द्वारा ग्रामीण समस्याओं की दिशा में भारतीय नेतृत्व का ध्यान दिया गया और ग्रामीणों की दशा सुधारने के बारे में गहन चिन्तन प्रारंभ हुआ । समग्र भारतीय उपमहाद्वीप की समस्याओं के संदर्भ में अध्ययन भी किए गए

इनमें सिंचाई आयोग (1900-1), रायल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, श्रम आयोग (1931 एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण समिति (1946) आदि के अलावा देश में पड़े विभिन्न अकालों से संबंधित प्रतिवेदन मुख्य हैं।

भारत के प्रबुद्ध वर्ग द्वारा ग्रामीणों की दशा सुधारने हेतु देश के विभिन्न अचलों में ग्रामीण विकास की परियोजनाएं भी प्रारंभ की गई । इनमें रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 में श्री निकेतन परियोजना, डॉ. स्पेंचर हैच नेतृत्व में यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन द्वारा 1921 में मार्तडंम (कन्या कुमारी जिला) परियोजना, गुडगाँव डिप्टी कमिश्नर एफ. एल. ब्रायन द्वारा 1927 में गुडगाँव परियोजना, बड़ौदा रियासत के मंत्री एव दीवान द्वारा 1932 में बड़ौदा योजना, गांधी जी द्वारा 1937 में वर्धा योजना, खादी एवं ग्राम उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु 1943 में मद्रास में फिरका योजना आदि का क्रियान्वन किया गया । इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण जनजीवन को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना था ।

देश की स्वतंत्रता के बाद नियोजित विकास के पूर्व संचालित कुछ अन्य परियोजनाएं अपना विशेष महत्व रखती हैं । ग्रामीण विकास हेतु सन् 1948 में अल्बर्ट मायर के निर्देशन में इटावा परियोजना, एस. के. डे के नेतृत्व में नीलोखेड़ी परियोजना और भूदान एवं ग्रामदान आन्दोलनों का उल्लेखनीय योगदान रहा है । इटावा परियोजना. सफलता से भारत के योजनाकारों का ध्यान सामुदायिक विकास की ओर गया और 2 अक्टूबर, 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए । प्रारंभ में देश भर में सामुदायिक विकास की 55 परियोजनाएं संचालित की गई जिससे लगभग 3500 गांव के तीन लाख लोगों को लाभ पहुँचा । तत्पश्चात् द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में 3110 खण्डों में और तीसरी योजनाओं में देश के सभी विकास खण्डों में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को लागू किया गया ।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में जिन प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू किया गया उनका योजनावाद निम्नवत है -

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)	सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61)	खादी और ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम, ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम बहु उद्देश्य जनजातीय विकास कार्यक्रम पैकेज प्रोग्राम सघन कृषि जिला कार्यक्रम महिलाओं और स्कूल पूर्व बच्चों के लिये संयुक्त कार्यक्रम
तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66)	व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम ग्रामीण उद्योग परियोजनाएं उच्च उत्पादकता किस्म कार्यक्रम
वार्षिक योजना (1966-67)	कृषक प्रशिक्षण एवं शिक्षा कार्यक्रम कुआँ निर्माण कार्यक्रम

वार्षिक योजना (1967-68)	जनजातीय विकास खण्ड
वार्षिक योजना (1968-69)	ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम
	ग्रामीण कार्यक्रम
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74)	ग्रामीण रोजगार फ्रेशे योजना
	लघु कृषक विकास ऐजेन्सी
	जनजातीय विकास कार्यक्रम
	जनजातीय विकास पायलेट परियोजना
	पूर्व सघन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
	सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम
	कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम
पांचवी पंचवर्षीय योजना (1975-79)	पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम
	विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम
	काम के बदले अनाज कार्यक्रम
	मरुक्षेत्र विकास कार्यक्रम
	समग्र ग्राम विकास कार्यक्रम
	ग्रामीण युवा स्व रोजगार प्रशिक्षण
छटवीं पंचवर्षीय योजना (1980-85)	समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
	राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम
	प्रधानमंत्री नए बीस सूत्रीय कार्यक्रम
	ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास
	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार उत्पादन कार्यक्रम
सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)	इन्दिरा आवास योजना
	राष्ट्रीय पेयजल मिशन
	दस लाख कुआँ योजना
	जवाहर रोजगार योजना
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-1997)	ग्रामीण शिल्पकारों को उन्नत टूल किट आपूर्ति
	सुनिश्चित रोजगार योजना
	गंगा कल्याण योजना
नवमी पंचवर्षीय योजना (1997-2002)	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वराज योजना
	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

अप्रैल, 1999 में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण स्वरोजगार युवा प्रशिक्षण, ग्रामीण शिल्पकारों को उन्नत टूलकिट आपूर्ति, दस लाख कुँआ योजना, गंगा कल्याण योजना को मिलाकर एक कार्यक्रम बना दिया गया है जिसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना की संज्ञा दी गई। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का उद्घाटन गाँधी जयन्ती के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा किया गया । इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध

कराना है। इसके अन्तर्गत गाँवों में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम की तरह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है ।

13.6.5 ग्रामीण विकास और पंचायत राज

देश में 73 वें संविधान संशोधन के बाद तीन स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को एकरूपता प्राप्त हुई । इस संविधान संशोधन के बाद सभी प्रदेशों में नए पंचायत राज अधिनियम पारित कर लागू किए गए जिससे ग्रामीण विकास कार्यों को गति मिली। संविधान की 11 वीं अनूसूची (243 जी) के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के जिन क्षेत्रों को पंचायत राज के अधीन रखा गया उनमें कृषि विस्तार, भूमि सुधार एव भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, वाटर शेड मैनेजमेंट, पशुपालन, डेरी उद्योग, कुक्कट पालन, सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी, लघु वनोपज प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण, खादी एव कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, ईंधन एवं चारा, यातायात प्रबंधन, विद्युत वितरण एव पारम्परिक ऊर्जा प्रबंधन, निर्धनता उन्मूलन, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा एवं तकनीकी एवं व्यवहारिक शिक्षा, प्रौढ़ एवं औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन, बाजार एवं मेलों का प्रबंधन, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास एवं विकलांग कल्याण एवं कमजोर वर्गों का कल्याण, विशेष रूप से अनुसुचित जातियों एवं जनजातियों का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली- और सामुदायिक अस्तियो/परिसम्पत्तियों का संधारण आदि मुख्य हैं ।

पंचायत राज की तीन स्तरीय व्यवस्था में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के कार्यक्षेत्रों और अधिकारों का भी स्पष्ट विभाजन किया गया है । जिला पंचायतों को अपने जिलों के सभी जनपंचायतों और ग्राम पंचायतों पर न केवल नियंत्रित रखना होगा बल्कि समय-समय पर जनपंचायतों और ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी देना होगा ।

13.7 ग्रामीण विकास की समस्याएं

ग्रामीण विकास की अनेक समस्याएं हैं जिनके कारण ग्रामीण विकास को जो गति मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाती है । इन समस्याओं को संक्षेप में निम्नवत समझा जा सकता है -

1. कृषि के पिछड़ेपन की समस्या
2. कृषि उत्पादन के विपणन की समस्या
3. पशुपालन संबंधी समस्याएं
4. ग्रामीण उद्योगों के पिछड़ेपन की समस्याएं
5. ग्रामीण बेरोजगारी की समस्याएं
6. ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्याएं
7. स्वास्थ्य तथा रोगों से संबंधी समस्याएं
8. आवास समस्या

9. निर्धनता की समस्या
10. जनसंख्या की वृद्धि की समस्या
11. जातिवाद और अस्पृश्यता की समस्या
12. कमजोर एवं पिछड़े वर्गों की समस्या
13. पेयजल और स्वच्छता संबंधी समस्याएं

13.8 ग्रामीण जनसंचार और ग्रामीण विकास

जनसंचार का अभिप्राय किसी बात को सही अर्थों में लोगों मे सम्प्रेषित करना है । इस दृष्टि से ग्रामीण जनसंचार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास सम्बन्धी मुख्य लक्ष्यों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ग्रामीण समुदायों तक पहुँचाना है । ग्रामीण विकास में अनेक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है । इन कारकों में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारकों के साथ-साथ राजनैतिक कारक भी महत्वपूर्ण हैं । अत: विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों की समझ लोगों में पैदा की जा सके, इसके लिए जनसंचार माध्यमों का उचित उपयोग आवश्यक है । ग्रामीण विकास के संदर्भ में यह बहुत जरूरी है कि इन माध्यमों से प्रसारित संदेश स्पष्ट और बोधगम्य होना चाहिए। टीकाकरण, परिवार कल्याण, महिला सशक्तीकरण, बालविकास, पिछड़े और कमजोर वर्गों का कल्याण आदि से जुड़े कार्यक्रमों में मानव कारक मुख्य है जिनका संबंध व्यक्ति की शिक्षा, जागरूकता और सोच से जुड़ा है । अत: ग्रामीण कार्यक्रमों के प्रति न केवल सकारात्मक सोच और जनभागीदारी हेतु जनसंचार माध्यम महत्वपूर्ण है बल्कि विकास कार्यक्रमों और नीतियों के प्रति अनुकूल जनमत तैयार करने में भी इनकी भूमिका नकारी नहीं जा सकती । अत: जनसंचार माध्यमों का उपयोग बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए । वस्तुत: कई बार विकास के अच्छे कार्यक्रम भी अपेक्षित परिणामोन्मुखी सिद्ध नहीं होते हैं जिसके पीछे लोगों में इन कार्यक्रमों के प्रति स्वास्थ्य जनमत ग्रामीण जनसंचार एवं ग्रामीण विकास और दृष्टिकोण का अभाव देखा गया।

जे. पॉल. लीगन्स ने ग्रामीण विकास के संदर्भ मे जो तथ्य प्रस्तुत किए वे यहां उल्लेखनीय हैं-ग्रामीण समाजों में ग्रामीण विकास केवल योजनाओं, सांख्यिकी, लक्ष्य और बजट, प्रौद्योगिकी और पद्धति, सामग्री सहायता और विशेषज्ञ दल तथा उन पर प्रशासन हेतु अभिकरणों और संगठनों तक का ही मामला नहीं है । इससे भी ज्यादा इन तंत्रों का प्रभावी उपयोग एक शैक्षिक साधन के रूप में लोगों के मस्तिष्क और क्रियाओं के बदले में इस का से किया जाए कि स्वयं अपनी सहायता कर सके और आर्थिक और सामाजिक सुधारों को प्राप्त कर सकें । अत: इस समग्र प्रक्रिया में जनसंचार माध्यमों की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता।

वस्तुत: जनसंचार माध्यमों के उचित और सम्यक् उपयोग से ही ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलता संभव है । इसके बारे में प्रकाश डालते हुए श्यामाचरण दूबे का मत है - 'अन्तिम विश्लेषण के रूप में ग्रामीण समुदायिक विकास में संचार की मुख्य समस्याएं समुदाय की संस्कृतिक मूल्यों, अभिवृत्तियों और दृष्टिकोण के अनुरूप परिवर्तन के अभिकर्त्ताओं, संचार माध्यमों, संचार के स्वरूप और विषयवस्तु को अपनाने की है । संक्षेप में, कहने का तात्पर्य यह

है कि ग्रामीण विकास के उद्देश्य से ग्रामीण जनसंचार की समग्र प्रक्रिया में इन तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

ग्रामीण विकास के संदर्भ में संचार माध्यमों की भूमिका के बारे में निम्न तथ्य पर ध्यान दिया जाए-

1. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सन्दर्भ में संचार कैसे सम्पन्न होता है?
2. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को संचार माध्यम कैसे प्रभावित करते हैं और इनके सहयोग से विकास लक्ष्यों को कहीं तक प्राप्त किया जा सकता है?
3. संचार और विकास कार्यक्रमों में किस प्रकार के अवरोध तथा कारक उत्पन्न होते हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है ।
4. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए किस प्रकार की संचार नीति और नियोजन उपयुक्त होगा?
5. स्थानीय श्रोताओं के लिए उनकी जरूरतों के अनुसार संचार संदेश कैसे अभिसंरचित किए जा सकते?

जे. पाल. लीगन्स ने ग्रामीण विकास के संदर्भ में जनसंचार के महत्व को स्पष्ट करते हुए व्यक्त किया है- 'ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलता प्रत्यक्ष रूप से विश्वसनीय स्रोतों से उन लोगों तक उपयोगी विचारों के हस्तान्तरण पर निर्भर करती है जिन्हें उनकी आवश्यकता है । यह हस्तान्तरण इस का से किया जाना चाहिए कि जब प्राप्त हो जब विचार क्रिया में फलित हो । ठीक से संचालित संचार प्रक्रिया लाखों ग्रामीण लोगों को उनके स्वयं के प्रयासों के माध्यम से निम्न जीवन की दशा से आर्थिक और सामाजिक खुशहाली के योग्य बना सकती है' ।

13.9 ग्रामीण विकास में जनसंचार माध्यमों की भूमिका

जनसंचार माध्यमों की ग्रामीण विकास में बहुआयामी भूमिका है । जनसंचार माध्यम किसी भी समाज में विकास और परिवर्तन की सशक्त साधन माने जाते हैं । ग्रामीण विकास में संचार की भूमिका की संभावनाओं को रेखांकित करते हुए डी.जे.पी. लीगन्स ने मत व्यक्त किया है 'निश्चित रूप से ग्रामीण विकास में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उपयोगी विचारों के हस्तान्तरण से बढ़कर ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है । संचार की इस प्रक्रिया में लाखों ग्रामीण लोगों को अज्ञान, निर्धनता, बीमारी से उबरने तथा आर्थिक और सामाजिक खुशहाली के स्तर को प्राप्त करने की शक्ति निहित है।

विकास कार्यों की सूचना और जानकारी, आवश्यकताओं और समस्याओं को चिन्हित करना और निर्णय प्रक्रिया में सामूहिक भागीदारी से विकास कार्यक्रम ज्यादा बेहतर का से क्रियान्वित किए जा सकते हैं । इसके अलावा लोकतांत्रिक नेतृत्व के विकास की शिक्षा भी लोगों को इन माध्यमों से दी जा सकती है । संचार समस्याओं ग्रामीण के लिए गठित सीन मैकाब्राइड आयोग का मत है- 'संचार मंत्र जनसूचना तंत्र नहीं है बल्कि शिक्षा और विकास का एव एक अभिन्न अंग है और शिक्षा तथा संचार नीतियों का व्यावहारिक प्रयोग प्राय: एक-दूसरे के पूरक हैं।' इस अर्थ पत्रकारिता में संचार का एक प्रमुख कार्य लोगों को शिक्षित करना है ।

प्राय: सभी ग्रामीण समुदाय संरक्षणवादी दृष्टिकोण रखते हैं । इसका एक बड़ा कारण अज्ञानता तथा निरक्षरता है और ग्रामीण आर्थिक संरचना में निहित वे दोष हैं जिनके कारण सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को प्रश्रय मिलता है । उदाहरण के लिए भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना को ही ले तो पाएंगे की यहाँ जातिवाद, छुआछूत, दलवाद, पर्दाप्रथा, बाल विवाह, दहेज एवं महिलाओं को निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति आदि अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो ग्रामीण विकास में बाधक हैं। अत: लोगों का जब तक नए मूल्यों से साक्षात्कार नहीं होगा वे सड़ी-गली अंध मान्यताओं से चिपके रहेंगे । उन्हें इस स्थिति से उबारने में जनसंचार माध्यम काफी हद तक सहायक हो सकते हैं ।

जनसंचार माध्यमों का जनसामान्य की शिक्षा में बड़ा योगदान होता है क्योंकि ये माध्यम लोगों तक जानकारी और सूचनाओं का सम्प्रेषण मात्र नहीं करते बल्कि राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक बनाकर लोगों का दृष्टिकोण व्यापक बनाते है । इस दृष्टि से जनसंचार माध्यम शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण की भूमिका निभाते हैं । भारत जैसे विकासशील और कृषि प्रधान देश में ने केवल विकास की समस्याऐं जटिल हैं बल्कि सांस्कृतिक एवं भाषागत विविधता के कारण राष्ट्रीय एकता और अखण्डता बनाए रखना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है । अत: जनसंचार माध्यमों का दायित्व और बढ़ जाता है कि वे राष्ट्रीय मूल्यों और परम्पराओं के अनुरूप कार्य करें । आर. के. चटर्जी के शब्दों में जनसंचार की राष्ट्रीय विकास की भूमिका बहु आयामी है-'जनसंचार माध्यमों की गतिविधियाँ विभिन्न क्षेत्रों में विकास का घनिष्ठ रूप से अनुसरण करती हैं, लोगों को सूचित करके, नीतियों के प्रति प्रतिक्रिया करके और ऐसे सामाजिक परिवेश का सृजन करके जिसमें विकास और राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम सम्पन्न हो सकें।'

ग्रामीण विकास के प्रति स्वास्थ्य जनमत तैयार करने में आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्र सूचना कार्यालय, प्रकाशन विभाग, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, समाचारपत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन संस्थान, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड एव अन्य अनेक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन सारे घटकों से ग्रामीण क्षेत्रों की सूचना व्यवस्था का निर्माण होता है। अत: सामाजिक-आर्थिक विकास की दृष्टि से सामाजिक सद्भाव, अस्पृश्यता निवारण, साम्प्रदायिक सद्भाव, परिवार कल्याण, कमजोर एव पिछड़े वर्गों का उत्थान, महिला सशक्तीकरण, बालविकास, कृषि एव औद्योगिकी विकास, पेयजल और सफाई, राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति की दिशा में इन माध्यमों का योगदान नकारा नहीं जा सकता । लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप सरकारी विकास नीतियों और कार्यक्रमों से जनता को अवगत कराना और जनता से सहयोग लेने में इन माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ अध्ययन की सुविधा हेतु ग्रामीण विकास में इन माध्यमों की भूमिका को निम्नवत समझ जा सकता है-

13.9.1 ग्रामीण विकास संबंधी जानकारी का सम्प्रेषण

जनसंचार माध्यमों से ग्रामीणों तक उपयोगी जानकारी सम्प्रेषित की जा सकती है । ग्रामीण विकास की ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनके बारे में प्राय: ग्रामीण निरक्षर अनभिज्ञ होते

हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, वृद्धावस्था पेंशन, टीकाकरण, स्वास्थ्य. बंजर भूमि विकास, जल संसाधन विकास, वानिकी, कृषि एव लघु उद्योगों आदि के विकास हेतु सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार की आवश्यकता है।

13.9.2 विकास चेतना जागृति करना

वस्तुत: जहां विकास की जानकारी है वही क्रियात्मक चेतना भी है। विकास चेतना के निर्माण में जनसंचार माध्यमों विशेष रूप से सहायक होते हैं। संचार विशेषज्ञों ने इन माध्यमों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा विकास गतिविधियों को प्रौउन्नत करने हेतु उपयोगी माना है । शिक्षित और जागरुक व्यक्तियों को विकास संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करने के ज्यादा स्रोत हैं लेकिन निरक्षर ग्रामीण इनके' बारे में सुनकर या लोगों से मिलकर ही जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। अत: इन लोगों के मध्य जानकारी सम्प्रेषित करने और विकास चेतना जागृत करने में लोक संचार माध्यमों की भूमिका विशेष उपयोगी हो सकती है । ये लोग नए विचारों और परिवर्तनों के बारे में न प्राप्त करके अपनी विद्यमान परिस्थितियों को बदल सकते हैं। बशर्ते कि ये लोग अपने विकास और प्रगति के प्रति जागरूक और इच्छुक हों । वस्तुत: जनसंचार माध्यम न केवल जानकारी प्रदान करते हैं बल्कि ग्रामीण नवाचारों को अपनाने की चेतना जागृत करते हैं ।

13.9.3 जनसहभागिता में वृद्धि

लोकतांत्रिक समाजों में विकास कार्य तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि लोगों की भागीदारी इन कार्यों में सुनिश्चित न हो। जनभागीदारी के तीन स्वरूप हैं-विकास कार्यो में ग्रामीणों की उपस्थिति, विकास कार्यों में उनकी संलग्नता और निर्णय प्रक्रियाओं में सहभागिता। वस्तुत: लोगों को ग्रामीण विकास कार्यों में संलग्न होने की दिशा में कई बार संकोच, अज्ञानता और मिथ्या धारणाओं का भय बना रहता है। अत: इन मिथ्या धारणाओं के खण्ड में जनसंचार माध्यम उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं।

13.9.4 विकास कार्यो का प्रचार-प्रसार

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी ठीक से लोगों तक पहुँच नहीं पाती है। अत: इनके प्रचार-प्रसार की महती आवश्यकता है। यद्यपि रेडियो एवं दूरदर्शन के द्वारा समाज कल्याण की कुछ योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाता है लेकिन अधिकांश विकास योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक ठीक से नहीं पहुँचती हैं ।

13.9.5 विकास कार्यो हेतु जनमत निर्माण

जनमत का आश्य जनता के मत से है। जेम्स ब्राइस के अनुसार 'एक समुदायों के सदस्य जन सामान्य के जीवन से संबंधित समस्याओं पर जो भी विचार रखते हैं, उन सबके सामूहिक रूप को जनमत की संज्ञा दी जाती है। 'वस्तुत: जनमत एक सामाजिक शक्ति है जो किसी भी समाज में कानून और व्यवस्था को ठोस आधार प्रदान करती है। जनमत के बिना

सामाजिक जीवन में स्थिरता संभव नहीं है। किसी भी विकास के कार्यक्रम और लक्ष्यों के प्रति स्वास्थ्य जनमत के निर्माण में संचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज परिवार कल्याण और परिवार योजन कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों में कम सफलता के पीछे इन कार्यक्रमों के प्रति लोगों में सकारात्मक जनमत का अभाव देखा गया है। इसी तरह उत्तरांचल में वन संरक्षण हेतु 'चिपको आन्दोलन' की सफलता का कारण सरकार की वन नीतियों के खिलाफ प्रबल जनमत था। अत: विकास कार्यों के प्रति स्वास्थ्य जनमत निर्माण तभी बन सकता है। जब लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों, नीतियों और लक्ष्यों की यथेष्ट जानकारी प्रदान की जाए'।

13.9.6 ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन

मानव समाज सदैव परिवर्तित होता रहता है । इसी अर्थ में डॉसन और गेटिस ने लिखा है कि 'क्रिया और परिवर्तन सार्वभौमिक तत्व है।' इस संदर्भ में उल्लेखनीय बात यह है कि शायद ही ऐसी कोई सामाजिक क्रिया हो जो संचार के बिना संभव होती हो। मानव समाज का अस्तित्व ही संचार पर अभिलिम्बित है। अत: सामाजिक विकास और परिवर्तन की दृष्टि से जनसंचार को नकारा नहीं जा सकता। समाजशास्त्री सी. एच. कूले ने ठीक ही व्यक्त किया है- संचार वह तंत्र है जिसके माध्यम से मानवीय संबंध अस्तित्व रखते हैं और विकसित होते है। अत: ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन में जनसंचार माध्यमों की भूमिका अपना विशेष स्थान रखती है। विल्वर श्राम ने सामाजिक परिवर्तन के अभिकारक के रूप में जनसंचार माध्यमों के तीन प्रमुख कार्यों का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित हैं-

(क) सूचना प्रदान करना - जनसंचार माध्यम लोगों को ध्यान को परिवर्तन की आवश्यकता पर केन्द्रित कर परिवर्तन के लिए अवसर आमंत्रित कर, परिवर्तन की पद्धतियों और साधनों और संभव हुआ तो लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ाकर राष्ट्रीय विकास के बारे में सूचित करते हैं।

(ख) निर्णय प्रक्रिया - जनसंचार माध्यम लोगों को निर्णय प्रक्रिया में संवाद को व्यापक बनाकर और सूचना के उर्ध्व एवं अधो प्रवाह का सुनिश्चियन कर सहभागी बनाने में सहायता करते हैं ।

(ग) शिक्षित करना - संचार माध्यमों का एक अन्य कार्य लोगों को शिक्षित करना है और उन्हें कौशल प्रदान करना है।

13.10 ग्रामीण विकास के प्रमुख क्षेत्र और जनसंचार पत्रकारिता

जनसंचार का महत्व तो सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे है लेकिन ग्रामीण विकास की दृष्टि से कुछ प्रमुख क्षेत्रों को यहाँ चुना गया है जो विशेष महत्व रखते हैं। जनसंचार माध्यमों का सामान्य रूप से त्रिआयामी प्रकार्य हैं जिन्हें सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण (IEC) के रूप में समझा जा सकता है। वस्तुत: कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन, सहकारिता, ग्रामोद्योग, परिवार कल्याण, पंचायत राज आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जनसंचार माध्यमों का हस्तक्षेप विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकता है ।

13.10.1 रोजगार

बेरोजगारी की समस्या ग्रामीण विकास में एक प्रमुख अवरोध है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अलावा ऐसे अनेक अभिकरण और संस्थाएं हैं जो ग्रामीणों को रोजगार के अवसर बढ़ाने में मददगार सिद्ध हो सकते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में ग्रामीण इनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा हाथकरघा, गुड़-खांडसारी निर्माण, शहद, तेल, ईंट-भट्टा एवं कई हस्तशिल्पों के विकास सम्बन्धी योजनाएं चलाई जा रही हैं । इसके अलावा रेशमकीट पालन एवं रेशम उत्पादन, मुर्गीपालन, सुअर पालन, डेयरी, भेड़-बकरी पालन, बागवानी एवं साग-सब्जी उत्पादन से ग्रामीण अतिरिक्त आय और रोजगार के अवसर बढ़ा सकते हैं लेकिन इन कार्यों के लिए जिस समस्या और जागरूकता की आवश्यकता है वह कैसे विकसित अभिकरणों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि जनसंचार माध्यमों के द्वारा संभव है। जरूरतमंद लोग इनका लाभ तभी उठा सकते हैं जब उन्हें इनकी जानकारी हो।

13.10.2 स्वास्थ्य

ग्रामीण विकास का एक प्रमुख क्षेत्र स्वास्थ्य है। ग्रामीण लोग रोगों के बारे में वैज्ञानिक जानकारी कम रखते हैं जिसका कारण एक ओर शिक्षा और साक्षरता का अभाव है तो दूसरी ओर ग्रामीण समुदायों में व्याप्त अंध-मान्यताऐं है। वे रोगों और बीमारियों को दैवीय प्रकोप मानते हैं । अत: स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तपेदिक, दस्त, उल्टी, मलेरिया एव अन्य संक्रामक रोगों से बचने हेतु सामान्य उपायों और सावधानियों के बारे में इन्हें संचार माध्यमों द्वारा जागरूक बनाया जा सकता है। इसी तरह पेयजल सुरक्षा और स्वच्छता जैसे छोटे- छोटे कार्यों के बारे में जानकारी दी जाए तो लोग इनका पालन करने लगते हैं।

13.10.3 पशुपालन

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ-साथ पूरक आय हेतु पशुपालन एक उत्तम कार्य है जो ग्रामीण परिवेश के अनुकूल है। पशुओं के स्वास्थ्य, खानपान, रोग, प्रजनन एवं नस्ल सुधार संबंधी जानकारी के अलावा उनके क्रय-विक्रय और उनकी उत्पादकता बनाए रखने संबंधी सूचनाएं सम्प्रेषित की जा सकती हैं। इससे ने केवल निर्धनता उन्मूलन में सहायता मिलेगी वरन् ग्रामीण लोगों को रोजगार एवं पूरक आय के साधन भी प्राप्त होंगे। उन्नत नस्ल के पशुपालन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस संबंध में जनसंचार माध्यम लोगों को अच्छी जानकारी प्रदान कर सकते हें।

13.10.4 कृषि विकास

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने परिवर्तन और शिक्षा के लिए कृषि विस्तार सेवाओं के बारे में कृषकों को जानकारी। देने, परिवर्तन और विकास के लिए तैयार करना, कृषकों के लिए उन्नत प्रौद्योगिक जानकारी और कौशल विकास तथा शोध संस्थाओं को प्रतिपुष्टि भेजने आदि पर जोर दिया गया। कृषि विज्ञान केन्द्रों, प्रयोगशाला में खेतों तक कार्यक्रमों, विस्तार सेवाओं और विशेष

परियोजनाओं के द्वारा कृषि विकास को प्रोन्नत करने का प्रयास किया गया। इस कार्य में जनसंचार माध्यमों ने भी सहयोग दिया। कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा देश भर में विस्तार सेवाओं की व्यवस्था की गई।

13.10.5 नेतृत्व विकास

सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व की आवश्यकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पोषाहार, सफाई, टीकाकरण, रोजगार एवं नवाचारों को अपनाने आदि की दिशा में पहल करने हेतु ग्रामीण नेतृत्व का विकास आवश्यक है। ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की सफलता बहुत कुछ नेतृत्व पर निर्भर करती है। अत: जनसंचार माध्यमों द्वारा नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेतृत्व प्रादुर्भाव जन्म से नहीं बल्कि समाज, शिक्षा., संस्कार, सम्प्रदाय और स्वयं की आत्म छवि व्यक्ति को नेतृत्व बोध कराती है । इस समग्र प्रक्रिया में जनसंचार को नकारा नहीं जा सकता है।

13.10.6 पंचायत राज

अब पंचायत राज संस्थाएं देश के विभिन्न प्रदेशों में पूरी वैधानिकता के साथ जड़ें जमा चुकी हैं। अत: इनके कार्य करने की समग्र प्रक्रिया का ज्ञान आम जनता और चुने हुए प्रतिनिधियों को होना चाहिए। पंचायत राज संस्थाओं में एक-तिहाई स्थान महिला वर्ग के लिये आरक्षित किए गए हैं। किन्तु महिलाएं, पिछड़े और कमजोर वर्गो के व्यक्ति शिक्षा और जागरुकता के अभाव में अपने अधिकारों और कर्तव्यों को पूरा ज्ञान नहीं रखते हैं। समय-समय पर राज्य सरकारें पंचायतों को नए-नए कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का दायित्व सौंपती हैं जिनके बारे में ग्रामीण लोग अनभिज्ञ बने रहते हैं । अत: जनसंचार माध्यमों द्वारा ग्रामीण विकास और पंचायत राज के बारे में यथेष्ट जानकारी दी जानी चाहिए।

13.10.7 शैक्षिक विकास एवं साक्षरता

स्वतंत्रता के बाद देश में शैक्षिक विकास और साक्षरता दर में वृद्धि अवश्य हुई हैं लेकिन समस्याग्रस्त समुदायों में आज भी लोग बड़ी संख्या में निरक्षर हैं और शिक्षा से वंचित हैं। देश में विभिन्न स्तर की शैक्षिक संस्थाओं में हुई वृद्धि को निम्नवत समझा जा सकता है। वस्तुत: शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के साथ उनके उपयोग और लाभ उठाने के लिये लोगों को आगे आना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता की परियोजना के लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकते है जब लोग इनका लाभ उठाएं जिसके लिये उन्हें प्रेरित और जागरुक बनाने की आवश्यकता है।

शैक्षिक संस्थाओं का विकास

संस्थाओं की श्रेणी	1950-51	1996-97
1. प्राथमिक स्कूल	210	598
2. उच्च प्राथमिक स्कूल	13	177
3. माध्यमिक स्कूल	-	73
4. उच्चतर माध्यमिक स्कूल	17	25

5. डिग्री पूर्व/जूनियर कालेज	-	4
6. विश्वविद्यालय	27	228

स्रोत - नाइन्थ फाइव ईयर प्लान, वाल्यु 11 पृ. 103

ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता की समस्या विशेष रूप स कमजोर वर्गों के मध्य जटिल बनी हुई है। उक्त जनसंचार माध्यमों के द्वारा जन साक्षरता और शिक्षा के प्रति चेतना जागृत की जा सकती है।

13.10.8 परिवार कल्याण

ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि की समस्या बहुत ज्यादा उग्र है जिसका प्रभाव वहाँ लोगों की पारिवारिक, संरचना, रहन-सहन के स्तर, भूमि विभाजन, सामान्य निर्धनता और बेरोजगारी के रूप में परिलक्षित होता है। अत: लघु परिवार के आदर्श का ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाने की महती आवश्यकता है। परिवार कल्याण सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध होते हुए भी ग्रामीण लोग उनका लाभ नहीं उठाते हैं। इसके पीछे उनका परम्परागत दृष्टिकोण है। वे पुत्र कामना, सन्तान ईश्वरीय देन है, वंश वृद्धि जिसने जन्म दिया है वह पालन पोषण करेगा, आदि भाग्यवादी मान्यताओं पर ज्यादा विश्वास करते हैं। फलत: परिवार नियोजन और कल्याण सम्बन्धी उपायों को नहीं अपनाते है। इसके अलावा परिवार नियोजन को धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ मानते हैं। अत: जनसंचार माध्यमों के द्वारा उनकी उन अध मान्यताओं को दूर किया जाना चाहिए।

13.10.9 ग्रामोद्योग

ग्रामोद्योग के विकास की ओर सरकार ने ध्यान दिया है लेकिन ग्रामीणों में भी ग्रामोद्योग को आगे बढ़ाने के लिए चेतना जागृत की जाना चाहिए। सहकारी आधार पर ग्रामीण लोग बैंकों से ऋण प्राप्त कर पूंजीगत समस्या को हल कर सकते हैं । ट्राइसेम के अंतर्गत उद्योग संचालन हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता हैं। प्रशिक्षण के बाद शिल्पकारों को टूल किट आदि भी प्रदान की जाती है। हाथकरघा, रेशम किट पालन, गुड-खंडसारी, ईंट-भट्टा, तेल घानी, पशुपालन, बागवानी, चर्मकारी, बढ़ईगिरी, खाद्य प्रसंस्करण, हस्त शिल्प आदि के बारे में ग्रामीणों को व्यवस्थित जानकारी प्रदान की जा सकती है।

13.11 ग्रामीण जनसंचार की समस्याएं

ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंचार की समस्याएं ग्रामीण विकास को भी प्रभावित करती हैं । ग्रामीण जनसंचार को प्रभावित करने वाली समस्याओं को निम्नवत् समझा जा सकता है-

13.11.1 ग्रामीण जनसंचार माध्यमों की पहुँच

विकासशील देशों में जनसंचार माध्यमों का विकास इतना नहीं हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी पहुँच लोगों तक संभव हो सके। संचार साधनों को व्यापक बनाने में जहाँ अतिरिक्त संसाधन जुटाने की परेशानी है वहीं ग्रामीण लोगों को इनसे लाभ उठाने में आर्थिक कठिनाईयाँ भी हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़ा वर्ग उपयोगी जानकारी से वंचित बना रहता है। देश में 1988

तक दूरदर्शन के 274 ट्रांसमीटर और 1988 - 89 तक 79 आकाशवाणी केन्द्र थे लेकिन आम ग्रामीण इन माध्यमों का लाभ उठाने से वंचित है। सातवीं योजना में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की संख्या 473 को भी पार कर गई है जिससे देश के दो तिहाई से ज्यादा क्षेत्रफल तक इसकी पहुँच हो गई है लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ अपेक्षाकृत पिछड़ापन और गरीबी ज्यादा है, वहीं इन माध्यमों की पहुँच भी कम है।

13.11.2 निरक्षरता की व्यापकता

भारत सहित सभी विकासशील देशों में अभी भी निरक्षरता की समस्या व्यापक है। निरक्षरता के कारण लोगों को मुद्रित जनसंचार माध्यमों का लाभ नहीं मिल पाता है। वस्तुत: साक्षरता संचार का मार्ग प्रशस्त करती है जैसा की गुन्नार मिर्डाल ने कहा है- 'साक्षरता संचार का मार्ग प्रशस्त करती है अन्यथा वे बद पड़े रहते हैं। यह अन्य कौशल की प्राप्ति और अधिक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के विकास हेतु पूर्व आवश्यकता है। 'साक्षरता का विकास से सीधा संबंध है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त ग्रामीण विकास को कई प्रकार से प्रभावित करती है। निरक्षरता जनसंचार में एक बड़ा अवरोध है।

13.11.3 सामाजिक-साँस्कृतिक कारक

ग्रामीण क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति पाई जाती है जो नगरी संस्कृति से भिन्न होती है। लोगों में जातिगत ऊंच नीच, अस्पृश्यता की भावना, पारिवारात्मकता, अनेक सामाजिक निषेधों आदि के अलावा परम्परागत दृष्टिकोण की प्रधानता होती है जो जनसंचार को प्रभावित करती है। ग्रामीण महिलाएं, पर्दा- प्रथा और लोक लाज के कारण घरों से बाहर कम निकलती हैं । अत: यह वर्ग घर के बाहर हो रहे सामाजिक- आर्थिक परिवर्तनों से अनभिज्ञ ग्रामीण बना रहता है । वैसे भी ग्रामीण महिलाएं ज्यादातर निरक्षर होती हैं जिससे ग्रामीण सामाजिक विकास प्रभावित होता है।

13.11.4 सामान्य निर्धनता

ग्रामीण जनसंचार के क्षेत्र में सामान्य निर्धनता भी एक प्रमुख बाधा है । ग्रामीण आबादी का एक बड़ा भाग घोर निर्धनता की स्थिति का शिकार है । अत: ये लोग जनसंचार माध्यम के ऐसे साधनों को वहन नहीं कर सकते जो महंगे हों, जैसे रेडियो, दूरदर्शन सेट या समाचारपत्र- पत्रिकाएं आदि । यद्यपि सरकार द्वारा सामुदायिक केन्द्रों, वाचनालय, सामुदायिक श्रवण केन्द्रों, रूरल रेडियो फोरम जैसे संस्थागत उपयोगों के द्वारा जनसंचार की पहुंच का दायरा बढ़ाया जा रहा है लेकिन सामाजिक आर्थिक कारणों से इनका लाभ निर्धन लोग उठा नहीं पाते हैं ।

13.11.5 संचार / सम्प्रेषण संबंधी समस्याएं

ग्रामीण क्षेत्रों में सफल संचार हेतु कुशल सम्प्रेषक द्वारा उचित माध्यमों से विकास कार्यक्रमों संबंधी उपयोगी जानकारी सम्प्रेषित की जाना चाहिए, जिसका श्रोता प्रभावी ढंग से उपचार कर

सके और वांछित प्रतित्युत्तर दे सकें । इस दृष्टि से सम्प्रेषक द्वारा श्रोताओं के मध्य विकास कार्यक्रमों से संबंधित समझ को विकसित किया जाना आवश्यक है । अत: संचार/सम्प्रेषण संबंधी समस्याओं को जानना आवश्यक है । ये समस्याएं निम्नवत हो सकती हैं -

1. संचार किसी व्यक्ति की संचार प्रक्रिया की अवधारणा द्वारा सीमित होता है ।
2. संचार द्विमार्गी प्रक्रिया है, जिसमें सदैव सम्प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य अन्त: क्रिया होती है ।
3. संचार के लिए ग्रामीण विकास संबंधी उपयुक्त विचारों का होना आवश्यक है ।
4. सम्प्रेषित किए जाने वाले विचारों, उद्देश्यों तथा अवधारणाओं की अभिव्यक्ति हेतु प्रयुक्त प्रतीकों की व्यवस्था स्पष्ट होनी चाहिए तथा कुशलता के साथ उनका प्रयोग किया जाना चाहिए ।
5. संचार के निर्धारण में सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक संगठन का भी महत्व होता है । जिसका ज्ञान सम्प्रेषक को होना चाहिए ।
6. सार्थक संचार के लिए प्रयासों को एक निश्चित प्रतिमान के अनुसार संगठित किया जाना चाहिए ।
7. संचार हेतु सहयोग, सहभागिता और संलग्नता आवश्यक है । जिसके अभाव में जनसंचार ठीक से सम्पन्न नहीं होता है ।

13.12 सारांश

इस इकाई में आपने पढ़ा की ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण जनसंचार के मध्य घनिष्ट सम्बन्ध है ग्रामीण विकास की समग्र नीतियों योजनाओं और कार्यक्रमों का ग्रामीणों को लाभ तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि इनके बारे में इन्हें ठीक से अवगत न कराया जाए अत: ग्रामीण जनसंचार के माध्यम ग्रामीण विकास में अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं।

सरकार द्वारा कृषि उद्योग सहकारिता वानिकी, भूमि एक जल संसाधन प्रबंधन आदि मे जुड़ी. अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे ग्रामीण लोगों को रोजगार और पूरक आय प्राप्त हो इन योजनाओं का लाभ प्रायः वही लोग उठा पाते हैं जो सूचित होते हैं और जागरूकता रखते हैं। इसी तरह स्वास्थ्य टीकाकरण पोषण आवास पेयजल एक सफाई आदि के कार्यक्रमों का व्यापक पैमाने पर करना है तो जनसंचार माध्यमों की भूमिका और महत्व को ठीक से समझना होगा ।

ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत जनसंचार माध्यमों को ज्यादा सशक्त और प्रभावकारी माने गए हैं लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मुद्रित माध्यम रेडियो, दूरदर्शन एक फिल्म आदि कम प्रभावी हैं। अब देखा यह जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंचार माध्यम प्रस्थिति का प्रतीक नहीं है बल्कि शिक्षा सूचना और मनोरंजन का एक सशक्त पर्यावरण अंग बन गया है। कृषि दर्शन, ग्रामीण विकास, ग्राम मंगल आदि अनेक कार्यक्रमों के ग्रामीण लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पाए गए हैं। जनसंचार माध्यमों से ग्रामीण विकास के विविध पक्षों को गति मिली है । इन माध्यमों द्वारा प्रसारित संदेश संक्षिप्त होते हुए भी प्रभावकारी हैं। अत: ग्रामीण विकास के संदर्भ में ग्रामीण जनसंचार माध्यमों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है ।

13.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. लीगन्स, जे. पाल 'द कम्यूनिकेशन प्रोसेस इन रुरल डिव्हलपमेंट, कालेज यूनिवर्सिटी, इकथा न्यूयार्क, 1961
2. वर्ल्ड बैंक (1975 ए) : रूरल डिव्हलपमेंट सेवलर पालिसी मैटर, वाशिंगटन डी. सी.
3. देसाई, ए. आर : रुरल सोशियोलॉजी इन इण्डिया, पापुलर प्रकाशन, 1978 बाम्बे.
4. सिन्हा, पी. आर. आर. : कम्यूनिकेशन एण्ड रूरल चेंज
5. श्राम, विस्वर : मास मीडिया एवं नेशनल डिव्हलपमेंट, स्टेन्डफोर्ड यूनिवर्सिटी, 1964.
6. दाहमा, ओ पी. एवं भटनागर, ओ पी. : एजुकेशन एण्ड कम्यूनिकेशन फॉर डिव्हलपमेंट, आक्सफोर्ड, आई. वी. एच. पब्लिशिंग, नई दिल्ली, 1980.
7. जैन, एच. सी. : प्रौढ़ शिक्षा - सिद्धांत और प्रबंधन, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर 2001
8. कामथ एम. जी. (सम्पा.): एक्सटेंशन एजुकेशन इन कम्यूनिटी डिव्हलपमेंट मिनिस्ट्री आफ फूड एण्ड एग्रीकल्चर गवर्नमेंट आफ इंडिया, नई दिल्ली.
9. कुप्पूस्वामी, बी. : कम्यूनिकेशन एण्ड सोशियल डिव्हलमेंट स्टलिंग पब्लिसर्स, दिल्ली 1976.

13.14 निबंधात्मक प्रश्न

1. ग्रामीण संचार की अवधारणा स्पष्ट कीजिए?
2. ग्रामीण विकास की अवधारणा समझाइए?
3. ग्रामीण विकास में ग्रामीण जनसंचार माध्यमों की भूमिका स्पष्ट कीजिए?
4. ग्रामीण विकास के वे प्रमुख क्षेत्र बतलाइए जिनके संदर्भ में जनसंचार माध्यम कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं ?
5. ग्रामीण विकास की प्रमुख समस्याएं बताइए? इनके निराकरण में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए ।
6. ग्रामीण जनसंचार की क्या समस्याएं हैं? इनका विस्तृत वर्णन कीजिए ।

इकाई 14 पर्यावरणीय कानून (Environmental Laws)

इकाई की रूपरेखा

14.0 उद्देश्य

14.1 प्रस्तावना

14.2 पर्यावरण क्या है?

14.2.1 पर्यावरण से तात्पर्य

14.2.2 पर्यावरण के प्रकार और तत्व

14.3 वन संरक्षण अधिनियम 1980

14.4 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986

14.5 जल प्रदूषण अधिनियम

14.6 वायु प्रदूषण अधिनियम

14.7 सारांश

14.8 निबंधात्मक प्रश्न

14.0 उद्देश्य

इकाई का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय कानून का परिचय देना है । आज पर्यावरण कानून के बारे में जानकारी प्राप्त करना जनसंचार के शिक्षार्थियों के लिए जरुरी है । इस दृष्टि से आप इस इकाई में निम्न बिन्दुओं पर यथेष्ट जानकारी प्राप्त करेंगे-

पर्यावरण क्या है?

पर्यावरण से तात्पर्य

पर्यावरण के प्रकार और तत्व

वन संरक्षण अधिनियम 1980

वन संरक्षण अधिनियम 1986

जल प्रदूषण अधिनियम

वायु प्रदूषण अधिनियम

पर्यावरण के बारे में आज सभी लोग जागरुक हैं । पर्यावरण को जन-जन तक पहुँचाने में जनसंचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है ।

14.1 प्रस्तावना

21वीं सदी की दहलीज पर एंव विकसित सभ्यता के नए दौर से गुजरकर जिन समस्याओं का सामना जैविक अस्तित्व को करना पड़ रहा है उनमें पर्यावरणीय अवनयन की समस्या सबसे अधिक व्यापक है । विकास की दौड़ में प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन जिस दर से किया जा रहा है, उस पर यदि अंकुश नहीं लगाया गया तो भयावह परिणाम की आशंकाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है । प्रकृति मानव की सहचरी है और मानव उसके पर्यावरण साथ अनुकूलन करता है । दोनों का अपना अलग-अलग महत्व है, मानव को समग्र

विकास चाहिए और प्रकृति को संरक्षण, क्योंकि बिना संरक्षण के समग्र विकास की अवधारणा अधूरी है, विकास से विनाश नहीं बल्कि उत्थान होना चाहिए ।

विकास यदि पर्यावरणीय अवनयन की कीमत पर होता है या पर्यावरणीय संरक्षण विकास की गति को अवरुद्ध करके होता है तो दोनों ही स्थितियों में समग्रता नहीं रह जाती है । तब प्रश्न यह उठता है कि पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए किन साधनों की आवश्यकता होगी जिससे मानवीय चिन्तन की मूल अनुभूति जो कि समग्र विकास का प्रतीक है, कायम रहे । विश्व परिदृश्य पर यदि हम पर्यावरणीय अवनयन की बात करें तो पिछले कुछ दशकों में पर्यावरण इतना दूषित हो चुका है कि स्वयं मानवीय अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है। विश्व में जिस दर से जनसंख्या बढ़ी एवं जनसंख्या बढ़ने के साथ आवश्यकताएं बढ़ी उससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई और प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषित होता चला गया । औद्योगिकरण के बाद नगरीकरण की प्रवृत्ति में जो वृद्धि हुई उससे तीनों प्रकार के प्रदूषण हुए। कल कारखानों से मोटर वाहनों से एवं रेलगाडियों से निकलने वाले से वायु इतनी दूषित हुई कि महानगरों के लोग अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेण्डरों का प्रयोग करने लगे, पुन: वैज्ञानिक युग में आयी क्रांति से जैसे- जैसे वायुयानों एव रॉकेट लांचरों में वृद्धि हुई वायु दूषित होती चली गई, कार्बन-डाई- ऑक्साइड, क्लोरो- क्लोरो कार्बन आदि गैसों से पर्यावरण इतना प्रदूषित हुआ कि महानगरों में सूर्य गैसों के बादलों में छिप गया. बढ़ती हुई जनसंख्या की प्रवृत्ति से शहरों में गंदी बस्तियां पनपी और इसके साथ- साथ गंदी नालियों में मल मूत्र झीलों, एवं नदियों में गया और जल प्रदूषण हुआ ।

वर्तमान में नदियों का जल पीने योग्य नहीं रहा गया है । ध्वनि प्रदूषण भी दिनों-दिन बढ़ता चला जा रहा है । आए दिन वाहनों की संख्या में वृद्धि से ध्वनि की तीव्रता अत्यधिक हो गई है, जिससे श्रवण शक्ति में निरंतर कमी आ रही है । कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है, इससे खाद्यान्नों में भी रोग उत्पन्न हो रहे हैं जिससे मानव शरीर पर अनेक रोग एव व्याधिया व्याप्त हो रही हैं । इन तमाम पर्यावरणीय प्रदूषणों से पृथ्वी पर जैव विविधता में कमी आई है, यहां तक कि कुछ प्रजातियां नष्ट हो चुकी है और कुछ विलुप्त की कगार पर खड़ी हैं । वन्य जीवों से लेकर पादपों की संख्या में निरन्तर कमी के फलस्वरूप पृथ्वी पर परिस्थितिक तंत्र बिगड़ता जा रहा है । मानवीय जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से वन क्षेत्र में कमी आई है । वायुमंडल में कार्बनडाई ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड एव क्लोरो- क्लोरो कार्बन गैसों के बढ़ने के साथ भूमि के ऊपर पड़ते अतिरिक्त मानवीय दबाव से पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि हो रही है तथा ' पादप गृह प्रभाव' जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं ।

मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि इसी गति से तापमान बढ़ता रहा तो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ पिघलेगी तथा समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी । विश्व के अधिकांश देशों द्वारा अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ने की होड़ लगी है । इनको अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले रॉकेटों से निकलने वाले धुंए से वायुमंडल में स्थित ओजोन गैर की परत धीरे- धीरे नष्ट हो रही है । ओजोन गैर की परत का हमारे जीवन में बहुत महत्व है क्योंकि सूर्य द्वारा छोड़ी गई पराबैंगनी किरणों को

यह गैस का आवरण या तो अवशोषित कर लेता है या अंतरिक्ष में परिवर्तित कर देता है । इस गैस में कमी आने से निश्चित रूप से एक छिद्र उत्पन्न हो रहा है जो कि प्रशांत महासागर में अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है । अभी तक इस छिद्र का आकार यूरोप महाद्वीप के बराबर है । यद्यपि पृथ्वी का अपना पारिस्थितिक तंत्र है, जब कभी जनसंख्या के बढ़ने से या अन्य कारणों सें इसमें असंतुलन उत्पन्न होता है तो प्रकृति अपने कानून से उसे संतुलित करती है। इन्हें प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं परंतु प्राकृतिक आपदाएं केवल जनसंख्या को संतुलित कर सकती हैं । इनमें पर्यावरणीय अपनयन नहीं रुकता ।

मानव आज अपने अस्तित्व के जिस कगार पर खड़ा है । उससे उभर पाने के लिए यदि समयवत् कारगर उपाय न किए गए तो समस्त सृष्टि एक दिवास्वप्न बन कर रह जाएगी । अत: इन सब परिस्थितियों में इस प्रकार पर्यावरणीय प्रबंधन किया जाए जो आर्थिक रूप से सम्पन्न सामाजिक रुचिकर एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से संतुलित हो ।

14.2 पर्यावरण क्या है?

पर्यावरणीय भौगोलिक अध्ययन का आधार पक्ष है क्योंकि इसने जीव जगत को गौरव प्रदान किया है । सौर परिवार में केवल पृथ्वी पर ही पौधों और प्राणियों के विकास के लिए अनुकूल पर्यावरण उपलब्ध है जिसके कारण यह पृथ्वी 'वसुंधरा' कही जाती है । मानव सहित सभी पेड़-पौधे और जीव जन्तु इसी पर्यावरण की देन है ।

मानव इस पृथ्वी की सर्वोत्तम रचना है जो पर्यावरण के सभी रहस्यों को सर्वाधिक समझता है । मानव के समस्त क्रियाकलाप एवं आधारभूत आवश्यकताएं (भोजन, गृह, वस्त्र आदि), प्रमुख उद्यम, सामाजिक आवश्यकताएं, सांस्कृतिक आवश्यकताओं का सीधा संबंध पर्यावरण से है, पर्यावरण भौतिक तत्वों, शक्तियों और प्रक्रमों का एक ऐसा समुच्चय है जो सृष्टि को जीवन्त बनाए हुए हैं ।

14.2.1 पर्यावरण से तात्पर्य

पर्यावरण शब्द का शब्दकोशीय अर्थ होता है आस- पास, मानव, जन्तुओं एवं पौधों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाली बाहरी दशाएं, कार्यप्रणाली तथा जीवन यापन की दशाएं आदि । इस संदर्भ में तीन प्रश्न उठते हैं-

1. क्या वस्तु आवृत्त है?
2. किसके द्वारा घिरा हुआ है?
3. तथा कहां घिरा हुआ है?

निश्चय ही प्रथम प्रश्न का उत्तर है सामान्य रूप से जीवित वस्तु तथा मुख्य रूप से मानव । इस तरह यदि मनुष्य घिरी हुई वस्तु है तो दूसरे प्रश्न का उत्तर भौतिक पर्यावरण हो जाता है और कहां घिरा हुआ है, प्रश्न का उत्तर- स्थान (धरातल पर) या बसने वाला क्षेत्र है, इस प्रकार किसी स्थान विशेष में मनुष्य के आस- पास भौतिक वस्तुओं (स्थल, जल, मृदा, वायु) का आवरण, जिसके द्वारा मनुष्य घिरा होता है, को पर्यावरण कहा जाता है । पार्क (1980) के अनुसार - ''पर्यावरण का अर्थ उन दशाओं के योग से होता है, जो मनुष्य को

निश्चित समय में निश्चित स्थान पर आवृत्त करती है । '' प्रारम्भ से मानव के वातावरण की रचना इस पृथ्वी के केवल तीन पक्षों (स्थल, जल एवं वायु) तथा जैविक समुदायों द्वारा होती है, किन्तु समय के साथ मानव समाज में विकास के द्वारा मानव ने अपने सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कार्यों के माध्यम से अपने पर्यावरण को विस्तृत कर लिया है । अत: कालान्तर में मनुष्य के पर्यावरण के अन्तर्गत भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, राजनैतिक पर्यावरण आदि सम्मिलित होते गए ।

14.2.2 पर्यावरण के प्रकार एवं तत्व

भौगोलिक मान्यता के अनुसार पर्यावरण दो प्रकार को होता है -

1. प्राकृतिक पर्यावरण
2. सांस्कृतिक पर्यावरण

1. प्राकृतिक पर्यावरण - प्राकृतिक पर्यावरण को तीन भागों में विभाजित करना उचित होगा।

अ. प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व

ब. प्राकृतिक वातावरण की शक्तियां एवं

स. प्राकृतिक वातावरण की प्रक्रियाएं ।

अ. प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व - प्राकृतिक वातावरण के तीन प्रमुख तत्व हैं

1. भौतिक तत्व - इसके अन्तर्गत जलवायु, भूआकार, एवं उच्चावच, मिट्टियां, खनिज, अपवाह तंत्र एवं जलाशय, धरातलीय व अधोभूमि जल और महासागर आदि सम्मिलित किए जाते हैं ।

2. जैविक तत्व - इसके अन्तर्गत प्राकृतिक वनस्पति, क्षेत्रीय जीव जन्तु तथा स्थानीय पशु पक्षियों एवं पर्यावरण सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है ।

3. अमूर्त तत्व - इन तत्वों के अन्तर्गत कुछ ऐसे तत्व शामिल किए जाते हैं जो स्वरूप के रूप में तो स्थित नहीं होते, परन्तु इनकी सीमाएं निश्चित होकर मानवीय क्रियाकलापों को साकार रूप प्रदान करती हैं । इनमें प्रदेश की स्थिति, प्राकृतिक अवस्थिति, प्रदेश का क्षेत्रफल एवं विस्तार तथा भौगोलिक स्थिति आदि सम्मिलित किए जाते हैं।

(ब) प्राकृतिक वातावरण की शक्तियां - प्राकृतिक वातावरण की शक्तियां न केवल मानवीय क्रियाकलापों को भी प्रभावित करती है । इन शक्तियों को दो भागों में बांटा जा सकता है - आन्तरिक शक्तियां एव बाहय शक्तियां । आन्तरिक शक्तियों में गुरुत्वाकर्षण बल एवं पटलविकपणकारी शक्तियों को सम्मिलित किया जाता है । इन आन्तरिक शक्तियों के प्रभाव से अन्य भौतिक तत्वों जैसे - पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि का निर्माण होता है । बाहरी शक्तियों में ऊर्जा, सूर्यताप, वायुमण्डलीय तथा सागरीय शक्तियों को शामिल किया जाता है ।

(स) प्राकृतिक वातावरण की प्रक्रियाएं - प्राकृतिक वातावरण की शक्तियां विभिन्न प्रक्रियाओं को जन्म देती हैं जिससे प्राकृतिक तत्व में गतिशीलता आती है । इन शक्तियों एवं

प्रक्रियाओं के माध्यम से धरातल पर विभिन्न एव जैविक तत्वों का निर्माण होता है जो एक दूसरे के साथ मिलकर गतिमान होते हैं ।

अत: संक्षेप में कहा जा सकता है कि पर्यावरण के प्राकृतिक तत्वों में वायु, जल, भूमि, प्रकाश, पेड़ पौधे व वनस्पति, पशु जगत व स्वयं मानव भी सम्मिलित किया जाता है ।

2. सांस्कृतिक पर्यावरण

सांस्कृतिक पर्यावरण मानव प्रकृति की अन्त प्रक्रिया का प्रतिफल है । मानव द्वारा सर्जित दृश्य और अदृश्य तत्वों के संगठित रूप को सांस्कृतिक परिवेश कहा जाता है । स्पष्ट है कि सांस्कृतिक परिवेश पर भौतिक परिवेश का प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रभाव पाया जाता है । भौतिक पर्यावरण की तरह ही सांस्कृतिक वातावरण के भी तीन प्रमुख अंग होते है - शक्ति, प्रक्रिया एवं तत्व ।

(अ) सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियां

मानव एक भौगोलिक इकाई माना जाता है जो वातावरण के एक प्रमुख तथ्य के रूप में कार्य करता है। एक भौगोलिक तथ्य होने के नाते मानव की संख्यात्मक अभिव्यक्ति जनसंख्या के रूप में की जाती है । मानव अपनी बुद्धि के आधार पर तकनीकी का विकास कर प्राकृतिक शक्तियों से जूझता हुआ परिवर्तन करता चला आ रहा है । इसी जनशक्ति तथा नवीन तकनीकी के विकास के सहारे मानव अपने जीवन विकास के नित नए आयाम ढूंढता है तथा नवीन समाज, सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक वातावरण आदि का निर्वाह करता रहा है ।

(ब) सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की प्रक्रियाएं

समाजीकरण मानव की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वह समाज समूह व वर्ग के एक निश्चित तौर तरीके अपनाता है तथा अपने को समाज के अनुकूल ढालता है । समाजीकरण स्वयं प्रक्रिया का नाम है जिसके माध्यम से मानव जिस वर्ग समूह में जन्म लेता है उसी के अनुकूल आचरण, व्यवहार में ढलना सीखता है । सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही मानव विभिन्न वर्ग समूहों के साथ समायोजन स्थापित कर विकास की विभिन्न दशाओं का सर्जन करता है । मानव ने वैज्ञानिक प्रगति कर आधुनिक समाज का निर्माण किया है ।

दुनिया की विभिन्न सांस्कृतिक गतियां विकास के इस चरण में मानव सभ्यता के रूप में जानी जाती हैं जो विभिन्न प्राकृतिक परिवेश में भिन्न- भिन्न केन्द्रों पर विकसित हुई लेकिन इन सभ्यता केन्द्रों पर इन मानव समूहों का सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ऐसा था कि एक दूसरे से भिन्नता रखते हुए भी वे अपनी- अपनी पहचान बनाए रखने में सफल हुई । मिश्र की नील घाटी सभ्यता, भारत की मोहन जोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता सर्वदा भिन्न परिस्थितियों में विकसित हुई । धीरे- धीरे मानव समूहों ने अपना दायरा बढ़ाया, ये आगे चलकर वृहत मानव समाज के निर्माण का आधार बना ।

(स) सांस्कृतिक वातावरण के तत्व

सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों के रूप में मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं और भूदृश्य, संस्थाएं, प्रथाएं, कलाएं, विज्ञानतंत्र उद्योग एवं प्रौद्योगिकी आते हैं, जिनके माध्यम से मानव

अधिक विकसित मानव बन सका । सांस्कृतिक वातावरण के अन्तर्गत निम्न तत्व आते हैं - 1. मानव प्रजातियां 2. धर्म 3. जनसंख्या एवं 4. तकनीकी ।

पर्यावरण का मानव पर प्रभाव

मुख्य रूप से प्राकृतिक पर्यावरण मानव के क्रियाकलापों को निम्न माध्यमों से प्रभावित करता है ।

1. जैव भौतिक सीमाओं द्वारा
2. आचारपरक नियंत्रणों द्वारा एवं
3. संसाधन की सुलभता द्वारा ।

जैव भौतिक सीमाओं में वायुमण्डलीय पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण है । मौसम एवं जलवायु मानव के कल्याण एव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है । पर्यावरणीय कारकों के विभिन्न संयोगों ने विश्व के विभिन्न भागों में मनुष्य की जातीय विशेषताओं को प्रभावित व निर्धारित किया है । भौतिक पर्यावरण मानव के विचारों व चिन्तन, विचारधाराओं तथा संस्कृति एवं आधार को भी प्रभावित करता है ।

मनुष्य के क्रिया कलापों को प्रभावित करने वाले भौतिक पर्यावरण के पक्षों में प्राकृतिक संसाधनों की सम्पन्नता या दुर्बलता व सुलभता बहुत महत्वपूर्ण है । यह अर्थक्षमता, सामाजिक संगठन, राजनीतिक स्थिरता, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध आदि को निश्चित रूप से प्रभावित करती है । मध्य पूर्व के देशों में खनिज तेल भण्डार के कारण खाड़ी के देशों में राजनैतिक उथल-उथल तथा अस्थिरता व्याप्त है । वास्तव में किसी देश का आर्थिक विकास का स्तर काफी हद तक प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है ।

पर्यावरण पर मानव का प्रभाव

मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ दोहरी भूमिका होती है, मानव अन्य प्राणियों की तुलना में शारीरिक मानसिक स्तरों एव प्रौद्योगिक स्तर पर भी सर्वाधिक विकसित प्राणी है । अत: वह प्राकृतिक पर्यावरण को बड़े स्तर पर परिवर्तित करके अपने अनुकूल बनाने में समर्थ भी है । यदि ऐतिहासिक परिवेश में देखा जाए तो मानव की प्राकृतिक वातावरण के साथ भूमिका प्रारम्भ में पर्यावरण के कारक के रूप में थी जो समय के साथ बदलती गई । मानव प्रारंभ में प्रकृति का अंग तथा साझीकार या वह आगे चलकर उसका स्वामी बन बैठा । मानव पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों का मूल कारण मानव की प्रौद्योगिकी है क्योंकि इसी ने प्रागेतिहासिक काल में लेकर वर्तमान की विकसित औद्योगिक काल का मानव पर्यावरण के संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन किया है ।

समसामयिक काल में हमारी पृथ्वी एक ' घायल गृह' का वीभत्स स्वरूप अर्जित करती जा रही है । फलस्वरूप प्रकृति व पर्यावरण का समग्र संतुलन बिगड़ता प्रतीत होता है, पर्यावरण की विकृति ने अनेकानेक समस्याओं को जन्म दे दिया है ।

14.3 वन संरक्षण अधिनियम 1980

वन संरक्षण के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक या अनुगत मामलों के लिए प्रावधान करने हेतु अधिनियम -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ -

(1) यह अधिनियम वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह 25 अक्टूबर 1980 के 25 वे दिन प्रवृत्त हुआ माना जाएगा ।

2. वनों के अन-आरक्षण पर या गैर वन प्रायोजन के लिए वन भूमि के प्रयोग पर प्रतिबन्ध - राज्यों में तत्सम प्रवर्तित किसी अन्य विधि में किसी अन्य चीज के अर्न्तविष्ट होते हुए भी कोई राज्य सरकार या अन्य? केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय यह निर्देशित करते हुए आदेश नही दे सकेगी -

(i) कि कोई आरक्षित वन (उस राज्य में तत्समय प्रवर्तित किसी विधि में 'आरक्षित वन' पद के और उसका कोई भाग आरक्षित होना समाप्त हो जाएगा ।

(ii) कि कोई वन भूमि या उसका कोई भाग किसी गैर वन प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जा सकेगा ।

(iii) कि कोई वन भूमि या उसका कोई भाग पट्टा या अन्यथा के रूप में किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी प्राधिकारी, सरकार के स्वामित्व, प्रबन्ध या नियंत्रण के अधीन न रहने वाले किसी निगम अभिकरण या, अन्य संगठन को समनुदेशित किया जा सकेगा।

(iv) कि कोई वन भूमि या उसके किसी भाग में से पेड़ों को जो उस भूमि या उसके भाग में प्राकृतिक रूप उपजा हो, पुन: वनरोपण के लिए इसके प्रयोग के प्रयोजन के लिए उन्मूलित किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण

इस धारा के प्रयोजन के लिए गैर वन प्रयोजन का तात्पर्य ।

(क) चाय, काफी, मसाले, रबड़, नारियलों, तेल उत्पाद संयत्र, बागवानी फसलें या मेडिकल वनस्पति के

(ख) पुन: वनरोपण के अतिरिक्त किसी प्रयोजन के लिए किसी वन भूमि या उसके भाग के उन्मूलन या सफाए से परन्तु वन और जंगली जीव से संबंधित किसी कार्य से या आनुषंगिक संरक्षण विकास और प्रबन्ध, यथा- चौकी पुलिया, बांधों, गढ्ढों, खाई चिन्ह, सीमा रेखा, नल तंत्र या अन्य सामान प्रयोजनों को शामिल नहीं करेगा ।

3. सलाहकार समिति का गठन

केन्द्रीय सरकार ऐसी संख्या के व्यक्तियों को शामिल करते हुए समिति का गठन कर सकेगी जैसा कि वह उन सरकार को-

(i) धारा 2 के अधीन अनुमोदन की स्वीकृति, एवं

(ii) वनों के संरक्षण से संबंधित किसी अन्य मामले जो इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकेगा । संबंध में सलाह देने के लिए उचित समझें ।

3 (क) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए शास्ति - जो कोई धारा 2 के प्रावधानों में से किसी का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, साधारण कारावास से इतनी अवधि के लिए, जो 15 दिन. हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा ।

3 (ख) प्राधिकारियों और सरकारी विभागों द्वारा अपराध

1. जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है -

(क) सरकार के किसी विभाग, विभागाध्यक्ष द्वारा, या

(ख) किसी प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कारित किए जाने के समय प्राधिकारी के कारोबार संचालन के लिए प्रभार में तथा प्राधिकारी के प्रतिदायी था ।

अपराध का अपराधी माना जाएगा । और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए तथा सजा पाने के लिए दायी होगा ।

परन्तु इस धारा में अन्तविष्ठ कोई बात विभागाध्यक्ष या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को किसी सजा के लिए उत्तरदायी नहीं बना देगा, यदि यह साबित होता है कि अपराध बिना उसके ज्ञान के कारित किया गया या कि उसके ऐसे अपराध को कारित किए जाने से रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता का प्रयोग किया था ।

उपधारा (1) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध सरकार के विभाग या उपधारा (1) में के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा कारित किया गया है और यह साबित हो जाता है कि विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त किसी अधिकारी की सम्मति या मौनाकुलूता से कारित किया गया है या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है या प्राधिकारी उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी व्यक्ति के मामले में ऐसा अधिकारी या व्यक्ति उस अपराध का अपराधी होना माना जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा ।

4. नियम बनाने की शक्ति-

(1) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नियमों को बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथा साध्य शीघ्र संसद के अधिवेशन के दौरान संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष चौदह दिनों की पूर्ण अवधि के लिए रखे जाएंगे जो एक अधिवेशन या दो से अधिक उत्तरवर्ती अधिवेशन में शामिल होगा और पूर्वोत्तर अधिवेशन या अधिवेशनों को तत्काल अनुसरण करने वाले अधिवेशन के अवसान के पहले, दोनों सदन नियम में किसी उपान्तरण को करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन सहमत होते है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए । इसके पश्चात नियम का प्रर्वतन ऐसे उपान्तरित रूप में होगा या नहीं होगा, जैसा कि मामला हो, जबकि कोई ऐसा उपान्तरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किए गए किसी चीज की वैधता पर प्रभाव नहीं डालेंगे।

5. निरसन और व्यावृत्ति -

(1) वन (संरक्षण) अध्यादेश, 1980 (1980 का 17) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी कथित अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन की गई कोई कार्यवाही या की गई कोई बात इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई मानी जाएंगी ।

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (1980 का 69) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्रीय सरकार एतद द्वारा निम्नलिखित नियमों को बनाती है,

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-

(1) ये नियम वन (संरक्षण) नियम 1981 कहे जा सकेंगे ।

(2) इनका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा ।

(3) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगे ।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों ।

(क) अधिनियम से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (1980 का 69) अभिप्रेत है ।

(ख) ' समिति' से धारा 3 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है,

(ग) 'अध्यक्ष' से समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है,

(घ) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

2 (क) समिति की संरचना - समिति की संरचना निम्नलिखित सदस्यों सें की जाएगी ।

(i) वन महानिरीक्षक, वन और पर्यावरण मंत्रालय - अध्यक्ष

(ii) अपर वन महानिरीक्षक, वन और पर्यावरण मंत्रालय - सदस्य

(iii) संयुक्त आयुक्त (भूमि संरक्षण), कृषि मंत्रालय - सदस्य

(iv) तीन प्रसिद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक (अशासकीय) - सदस्य

(v) उपवन महानिरीक्षक (वन संरक्षण), वन और मंत्रालय - सदस्य

2 (ख) अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति की शर्ते निम्न प्रकार होंगी-

(i) अशासकीय सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

(ii) अशासकीय सदस्य पद धारण करने से प्रविरत हो जाऐगा - यदि वह मर जाता है, पद त्याग देता है, विकृत चित हो जाता है, दिवालिया हो जाता है या नैतिक भ्रष्टाचार को शामिल करने वाले आपराधिक अपराधों पर विधि के न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाता है ।

(iii) उपनियम (ii) में वर्णित किसी नियम से उत्पन्न सदस्यता में कोई रिक्ति 2 वर्ष की अवधि के अनवसित भाग के लिए सरकार द्वारा भरी जाएगी ।

(iv) समिति के अशासकीय सदस्यों को यात्रा और दैनिक भत्ते केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए तत्समय प्रवृत्त आदेशों और नियमों के अधीन समूह 'अ' के सरकारी सेवकों के अनुज्ञेय उच्चत दर पर संदाय किए जाएंगे।

परन्तु सदस्य, जो संसद का सदस्य या राज्य विधान मण्डल का सदस्य है, के यात्रा भत्ते या दैनिक भत्ते की अदायगी, संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 या

संबन्धित राज्य विधान मण्डल के सदस्यों से संबंधित विधि के क्रमिक प्रावधानों के अनुसार विनियममित की जाएगी ।

3. समिति के काम काज का संचालन

(1) अध्यक्ष जितनी बार आवश्यक हो, समिति की बैठक बुलाएगा, किन्तु जो प्राय: एक मास में एक बार से कम नहीं होगी ।

(2) समान्यतया समिति की बैठक नई दिल्ली में होगी, यदि किसी मामले में जहां अध्यक्ष का समाधान है कि गैर वन प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने के लिए प्रस्तावित वन भूमि स्थलों या स्थल का निरीक्षण आवश्यक होगा या नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन प्राप्त प्रस्तावों या प्रस्तावों के प्रतिफल के संबंध में समाचीन है, वहां वह निर्देश दे सकेगा कि समिति की बैठक दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थान पर होगी, जहां से स्थल का स्थलों का ऐसा निरीक्षण सुविधापूर्वक किया जा सकता है ।

(3) समिति की प्रत्येक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेगा, जिसमें वह उपस्थित हो। परन्तु यदि अध्यक्ष समिति की बैठक से अनुपस्थित है और बैठक को स्थगित करना समाचीन नहीं है तो समिति का वरिष्ठतम सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(4) प्रत्येक प्रश्न जिस पर समिति सलाह देने के लिए अपेक्षित है इसकी बैठक में विचारित किया जाएगा, परन्तु अत्यावश्यक मामले में यदि समिति की बैठक एक महीने के अन्तर्गत आयोजित नहीं की जा सकती है तो अध्यक्ष निर्देश दे सकेगा कि आवश्यक कागजातों को निर्धारित समय के अन्दर सदस्यों के पास उनके विचारण के लिए भेजा जा सकता है ।

(5) समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति तीन होगी ।

4. राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव करने की प्रक्रिया

(1) प्रत्येक राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी जो धारा 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के लिए इप्सित है इस नियम के संलग्नक में विर्निदिष्ट विशिष्टियों के साथ-साथ उस सरकार के पास अपना प्रस्ताव भेजेगी ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रस्ताव निम्न पते पर भेजा । यथा: भारत सरकार पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग पर्यावरण भवन, केन्द्रीय सरकार अधिकारी काम्पलेक्स, लोदी रोड नई दिल्ली 30003 । 22 परन्तु एक हैक्टेयर से कम वन भूमि को अर्न्तग्रस्त करने वाले सभी प्रस्ताव पर्यावरण और वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित मुख्य वन संरक्षक को भेजे जाऐंगे ।

5. केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर सलाह देने के लिए समिति -

1. केन्द्रीय सरकार नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन प्राप्त प्रत्येक प्रस्ताव को उस पर अपना निर्णय देने के लिए समिति को निर्दिष्ट करेगी यदि अन्तग्रस्त वन भूमि का क्षेत्रफल 10 हैक्टेयर से अधिक हो ।
2. समिति उपनियम (1) के अधीन अपने को निर्दिष्ट प्रस्तावों पर अपना विचार देते समय निम्न मामलों में से किसी या सभी पर सम्यक ध्यान देगी यथा :

(क) कि गैर वन प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने के लिए प्रस्तावित वन भूमि प्रकृति आरक्षित, राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण, जीवमण्डल आरक्षिति का भाग है या वनस्पति और जीव जन्तु के किसी संकटपन्न या संकट में जाति के आवास या गंभीर रूप से आरक्षित आवास में पड़े हुए क्षेत्र का भाग है ।

(ख) कि किसी वन भूमि का प्रयोग कृषीय प्रयोजन के लिए किसी नदी घाटी या जल विद्युत परियोजना के कारण अपने आवासों से निर्वासित किए गए व्यक्तियों के पुर्नवास के लिए है ।

(ग) कि राज्य या अन्य प्राधिकारी ने अभिप्रमाणित किया है कि उसने सभी अन्य विकल्पों पर विचारण किया है और कि परिस्थिति में अन्य विकल्प साध्य नहीं है और कि अपेक्षित क्षेत्र प्रयोजन के लिए आवश्यक में से कम से कम है ।

(घ) कि राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी समाज क्षेत्र के भूमि के अर्जन और उसके वनरोपण के लिए अपनी लागत पर प्रदान करने का वचन देता है ।

(ङ) (ड) सलाह देते समय समिति अपनी किसी गैर वन प्रयोजन के लिए किसी वन भूमि के प्रयोग पर किसी शर्त का निर्बन्धन का सुझाव दे सकेगी जो उनके विचार में प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करेगा।

6. समिति की सलाह पर केन्द्रीय सरकार की कार्यवाही

केन्द्रीय सरकार नियम 5 के अधीन दी गई समिति ही सलाह पर विचारण के पश्चात और आगे की ऐसी जांच के पश्चात जिसे वह आवश्यक समझे शर्त सहित या शर्त रहित प्रस्ताव का अनुमोदन स्वीकृत करेगी या उसे अस्वीकृत कर देगी ।

गैर वन प्रयोजन के लिए वन भूमि के प्रयोग का आरक्षित वन की उपयुक्तता के संबंध में राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों का निवेदन ।

1. प्रस्ताव और परियोजना/योजना का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए वन भूमि नक्शा और माप सहित अपेक्षित है।
2. परियोजना /योजना का अवस्थान
   (i) राज्य/संघशासित क्षेत्र
   (ii) जिला
   (iii) वन प्रखण्ड, वन खण्ड, उपखण्ड आदि
3. इसमें विद्यमान भूमि के प्रयोग के साथ परियोजना । योजना के लिए अपेक्षित संपूर्ण भूमि।
4. अर्न्तग्रस्त वन भूमि के लिए विवरण -
   (i) वन की विधिक प्रास्थिति (यथा आरक्षित, अवर्गीकृत इत्यादि)
   (ii) वनस्पति के घनत्व को शामिल करके क्षेत्र में विद्यमान वनस्पति का विवरण,
   (iii) ढाल, अवस्थिति, ऊँचाई को निर्दिष्ट करते हुए क्षेत्र की स्थलाकृति,
   (iv) कटाव की इसी भेद्यता की क्या यह गंभीर रूप से कटाव का भाग है या नहीं,

(v) कि यह राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण, प्रकृति आरक्षिति, जीव मण्डल आरक्षिति, इत्यादि का भाग है, यदि ऐसा है तो अर्न्तग्रस्त क्षेत्र का विवरण,

(vi) कि यह प्रवजन करने वाले वन्य जीव का आवास है या उसके लिए पालने के आधार का भाग है ।

5. यदि परियोजना जिसके लिए वन भूमि अपेक्षित है लोगों के निर्वासन को अर्न्तग्रस्त करती है या किसी वन क्षेत्र से कच्चे माल की अपेक्षा करती है तो उनके पुर्नवास और कच्चे माल के उत्पादन के लिए क्रमश प्रस्ताव का विवरण दिया जाएगा ।

6. वन क्षेत्र, वनस्पति और वन्य जीव की हानि के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए ग्रहण किए गए प्रस्तावित कदम ।

7. निम्न पहलुओं को शामिल करते हुए संबंधित वन विभाग के अध्यक्ष, वन के मुख्य संरक्षक का विवरणात्मक विचार यथा :

(i) अर्न्तग्रस्त वन भूमि से इमारती लकड़ी और अन्य वनोत्पाद का बाहर करना,

(ii) क्या जिला इमारती लकड़ी या धन लकड़ी में स्वयं निर्भर है एवं

(iii) प्रस्ताव का प्रभाव

(क) ग्रामीण जनसंख्या को धन लकड़ी की आपूर्ति पर,

(ख) जनजातियों और पिछड़े समुदायों की जीविका और अर्थव्यवस्था पर ।

(ग) प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए उसके कारणों के साथ मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग के अध्यक्ष की विर्निदिष्ट सिफारिश पर ।

14.4 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

यह विधायन का छोटा रुप है जिससे 26 धाराएँ शामिल है और इन्हें चार अध्यायों में विभाजित किया गया है। यह पर्यावरण के संरक्षण व सुधार के लिए तथा उनसे संबंधित मामलों के लिए प्रावधान करने वाला अधिनियम है । पर्यावरण का संरक्षण तथा सुधार करके इसका उद्देश्य मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों तथा संपत्ति परिसंकट के निवारण का है । यह अधिनियम 1972 के स्टॉकहोम घोषणा जिसमें भारत ने भाग लिया था, जो क्रियान्वित करने के लिए आशायित विधायन का महत्वपूर्ण भाग है ।

हमारे देश में पर्यावरण के संरक्षण तथा अभिकरण और अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व वन तथा पर्यावरण मंत्रालय को सौंपा गया है । अभी कुछ समय पूर्व ही संसद की पर्यावरण स्थायी समिति ने जिसमें सभी दलों से और संसद के दोनों सदनों के 42 सदस्य शामिल थे, मंत्रालय और उसके सहायक अभिकरणों के कार्य का परीक्षण किया है ।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रथम अध्याय में केवल दो धाराएं शामिल है। धारा संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारूप के संबंध में प्रावधान करती है । अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है, जम्मू और कश्मीर राज्य भी इसके परिक्षेत्र के अर्न्तगत है । धारा

2 उन विभिन्न अभिव्यक्तियों को परिभाषित करती है जो अधिनियम में प्रयोग किए गए हैं। परिभाषित अभिव्यक्ति निम्नलिखित हैं-

(क) पर्यावरण - इसमें जल, वायु और भूमि तथा वह अन्र्तसंबंध शामिल है जो जल, वायु तथा भूमि और मानव, अन्य जीवित प्राणी, पौधों सूक्ष्म जैविकों और संपत्ति के बीच विद्‌यमान है।

(ख) पर्यावरण प्रदूषक - इसका तात्पर्य ऐसे ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ से है जो ऐसे संकेन्द्रण में उपस्थित रहते हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं या होने के लिए प्रवृत्त हैं। पर्यावरण को हानिकर बनाने वाले पदार्थों को पर्यावरण प्रदूषक कहा जाता है । उदाहरणार्थ- जहरीले पदार्थ, सड़क की गंदगी आदि ।

(ग) पर्यावरण प्रदूषण - इसका तात्पर्य पर्यावरण में किसी पर्यावरण प्रदूषक की उपस्थिति से है ।

(घ) प्रहस्तन - सामान्य अर्थों में प्रहस्तन का तात्पर्य किसी पदार्थ से संबंधित क्रियाकलाप से है।

(ङ) परिसंकटमय पदार्थ - परिसंकटमय पदार्थ वह है जो किसी जीवित प्राणी संपत्ति या पर्यावरण को क्षति कारित करने के लिए उत्तरदायी है ।

(च) अधिभोगी - किसी कारखाने या परिसर के संबंध में इसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका नियंत्रण कारखाने या परिसर के मामले पर है और इसमें किसी पदार्थ के संबंध में पदार्थ की कब्जाधारी व्यक्ति शामिल है ।

(छ) विहित - इसका तात्पर्य इस अधिनियम अर्थात पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन निर्मित नियमावली द्‌वारा विहित है ।

अधिनियम के दूसरे अध्याय के प्रावधान धारा 3 से 6 तक विस्तारित हैं । पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में केन्द्र सरकार की साधारण शक्तियां निम्नलिखित है-

धारा 3 (1) प्रावधान करती है कि अधिनियम के प्रावधानों के अध्याधीन केन्द्र सरकार को सभी ऐसे उपाय करने की शक्ति होगी जिसे वह पर्यावरण के संरक्षण तथा गुणवत्ता के सुधार और पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशासन के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझें, यह धारा केन्द्र सरकार को व्यापक शक्ति करती है ।

उपधारा (2) प्रावधान करती है कि केन्द्र सरकार द्‌वारा अपनाए गए उपायों में अग्रलिखित मामलों में से सभी - किसी से संबंध में उपाय शामिल होंगे, अर्थात-

(i) (क) इस अधिनियम 'या इसके अधीन निर्मित नियमावली के अधीन या (ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जो इस अधिनियम के उद्देश्यों से सम्बन्धित हैं ।

(ii) राष्ट्र की योजना तथा निष्पादन- पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए व्यापक कार्यक्रम।

(iii) पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए उनके विभिन्न पहलुओं में मानक अधिकथित करना ।

(iv) विभिन्न स्रोतों से चाहे जो हो, पर्यावरण प्रदूषक के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक अधिकथित करना ।

(v) उन क्षेत्रों का निर्बन्धन, जिसमें उद्‌योगों, क्रिया कलाप या प्रसंस्करण उद्‌योग के क्रिया कलाप या प्रसंस्करण कतिपय संरक्षणों के अधीन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ।

(vi) दुर्घटनाओं के निवारण के लिए प्रक्रिया तथा संरक्षण को अधिकथित करना, जो पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न कर सकता है और ऐसी दुर्घटनाओं के लिए उपचारात्मक उपाय अधिकथित करना।

(vii) परिसंकटमय पदार्थों का प्रहस्तन करने के लिए प्रक्रिया तथा संरक्षणों को अधिकथित करना।

(viii) ऐसे विनिर्माणकारी प्रक्रिया, पदार्थों तथा मालों का परीक्षण जो पर्यावरण प्रदूषण कारित करने के लिए संभाव्य है।

(ix) पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं से संबंधित अन्वेषण तथा अनुसंधान करना तथा प्रायोजित करना ।

(x) किसी परिसर संयत्र, उपकरण, मशीनरी, विनिर्माण जो अन्य प्रक्रिया पदार्थ या माल का निरीक्षण और ऐसे प्राधिकारियों, अधिकारियों या व्यक्तियों को आदेश द्वारा ऐसा निर्देश देना जो पर्यावरण प्रदूषण के निवारण नियंत्रण तथा उपशमन के लिए कदम उठाने हेतु आवश्यक समझा जाए।

(xi) पर्यावरण प्रयोगशालाओं तथा संस्थाओं को इस अधिनियम के अधीन ऐसे पर्यावरण प्रयोगशालाओं तथा संस्थानों को सौंपे गए कार्यों को करने के लिए स्थापित करना या मान्यता देना ।

(xii) पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशासन से सम्बन्धित नियम संग्रहों, संहिताओं या मार्ग निर्देशों को तैयार करना ।

(xiii) ऐसे अन्य मामले जिन्हें केन्द्र सरकार इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे ।

धारा 3 की उपधारा (3) केन्द्र सरकार को ऐसे मामलों के संबंध में निर्देश जारी करने तथा उपाय करने की शक्तियों को शामिल करके शक्तियों तथा कृत्यों में से ऐसे का प्रयोग करने या निर्वहन करने के लिए प्रयोजन के लिए प्राधिकरण या प्राधिकरणों को गढ़ित करने के लिए सशक्त करती है जो आदेश में वर्णित हो और केन्द्र सरकार के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अधीन हो ।

धारा 3 (2) में अधिकथित पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय ने एम. सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के सभी चलचित्र’ ग्रहों को निशुल्क पर्यावरण पर सूचना तथा संदेश अन्तर्विष्ट करने वाले स्लाइडों के प्रदर्शन, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय भाषा में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के माध्यम से पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना का प्रसार करने के लिए निर्देश देते हुए आदेश पारित किया।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अध्याय तीन में धारा 7 से धारा 17 तक के प्रावधान अन्तर्विष्ट हैं। ये प्रावधान निम्नलिखित हैं-

1. धारा 7 के अनुसार औद्योगिक क्रियाकलाप या प्रसंस्करण करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे मानक के आधिक्य में जैसा कि विहित किया जाए किसी पर्यावरण प्रदूषण का निर्वहन नही

करेगा या उत्सर्जन नहीं करेगा या उसे निर्वहन या उत्सर्जन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

2. अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान है कि कोई व्यक्ति ऐसी प्रक्रिया के अनुसार सिवाय और ऐसे संरक्षण के अनुपालन के बाद ही जैसा कि विहित किया जाए किसी परिसंकटमय पदार्थ का निस्तारण नहीं करेगा या निस्तारण नहीं कराएगा ।

पर्यावरण संरक्षण नियमावली 1986 नियम 3 प्रावधान करता है कि पर्यावरण की गुणवत्ता. का संरक्षण करने तथा सुधार करने और पर्यावरण प्रदूषण का निवारण करने उपशासन करने के प्रयोजन के लिए उद्योगों, क्रियाकलापों या प्रसंस्करणों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन का मानक ऐसा होगा जैसा कि नियमावली की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट है ।

नियम 3 (1) के अनुसार जहां ऐसा उद्योग, क्रियाकलाप या प्रसंस्करण के केन्द्रीय या राज्य बोर्ड द्वारा विर्निदिष्ट ऐसी शर्तों का कठोरता से अनुपालन करके ऐसे समयबद्ध कार्यक्रम की ऐसी अवधि के दौरान विहित मानक के आधिक्य में पर्यावरण प्रदूषकों का निर्वहन करते हैं वहां ऐसी निर्वहन अधिनियम के अधीन अपराध माना जाएगा। नियम 3 (2) केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड को उनसे भिन्न कठोर मानक विहित करने के लिए सशक्त करती है जो प्राप्ति की गुणवत्ता पर आधारित किसी विनिर्दिष्ट उद्योग, क्रिया कलाप या प्रसंस्करण के संबंध में और उसके लिए लिखित में कारणों को लेखबद्ध करने के बाद उपबन्धित हैं।

3. जहाँ विहित मानक के आधिक्य में किसी पर्यावरण प्रदूषक का निर्वहन होता है या किसी दुर्घटना या अन्य अप्रत्याशित कार्य या स्थिति के कारण होने के लिए संभाव्य है । वहां ऐसे निर्वहन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति और उस स्थान के, जिसमें ऐसे निर्वहन होता है या होने के लिए संभाव्य है का भार साधन व्यक्ति ऐसे निर्वहन के परिणामस्वरूप कारित पर्यावरण प्रदूषण का निवारण करने या शमन करने के लिए बाध्य होगा ।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अध्याय 4 में धारा 28 से 26 तक सम्मिलित हैं । यह सामान्य महत्वपूर्ण प्रावधानों को अधिकथित करती है । प्रावधान निम्नलिखित हैं -

1. अधिनियम की धारा 18 इस प्रभाव का प्रावधान अधिकथित करती है यह प्रावधान करती है कि सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण के किसी सदस्य अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी चीज के संबंध में जिसे इस अधिनियम या निर्मित नियमावली या इसके अधीन निर्गत आदेशों या निर्देशों के अनुसरण में सद्भाव से किया जाता है या किए जाने के लिए आशातिय है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही दाखिल नहीं की जाएगी।
2. अधिनियम की धारा 19 प्रावधान करती है कि कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा सिवाय -
   (क) केन्द्र सरकार या उस सरकार द्वारा इसके लिए प्राधिकृत किसी प्राधिकरण या अधिकारी।

(ख) किसी व्यक्ति जिसने विहित ढंग से अभिकथित अपराध के 60 दिनों में अन्यून अवधि की ओर केन्द्र सरकार या प्राधिकरण या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी को परिवाद करने के लिए अपने आशय की सूचना दी है ।

3. धारा 20 प्रावधान करती है कि केन्द्र सरकार समय-समय पर इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के संबंध में किसी व्यक्ति अधिकारी राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी को उसे या किसी विहित प्राधिकारी या अधिकारी को कोई रिपोर्ट, विवरणी, सांख्यिकी लेखा और अन्य सूचना देने के लिए कह सकेगी और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी, राज्य, सरकार या अन्य सरकार या अन्य प्राधिकारी ऐसा करने के लिए बाध्य होगा ।
4. अधिनियम की धारा 21 प्रावधान करती है- 'धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण यदि कोई हो, के सभी सदस्य और ऐसे प्राधिकरण के सभी अधिकारियों और कर्मचारी इस अधिनियम के किसी प्रावधान या इसके अधीन निर्मित नियमावली या निर्गत किए गए आदेशों या निर्देशों के अनुसरण में कार्य करते हुए या कार्य करने के लिए तात्पर्यित होते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक होना माने जाएगें ।
5. 'धारा 22 के अनुसार किसी सिविल न्यायालय को केन्द्र सरकार या किसी प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसके या अपने कृत्यों के संबंध में या इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में किए गए, किसी कार्य, की गई कार्यवाही या जारी किए गए आदेश या निर्देश के संबंध में कोई वाद या कार्यवाही स्वीकार करने की अधिकारिता नहीं होगी।
6. धारा 23 प्रावधान करती है कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के प्रावधानों के प्रतिकूल हुए बिना केन्द्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों तथा परिसीमाओं के अध्यधीन जैसा की अधिसूचना में विर्निदिष्ट किया जाए अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों तथा कृत्यों में से ऐसे को धारा 3 की उपधारा (3) के अधान प्राधिकरण को गठित करने तथा धारा 25 के अधीन नियमावली निर्मित करने की शक्ति के सिवाय जिन्हें वह आवश्यक या समाचीन समझे किसी अधिकारी, राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण को प्रोत्साहित कर सकेगी ।
7. धारा 24 प्रावधान करती है कि इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके अधीन निर्मित नियमावली या आदेशों का प्रभाव इस अधिनियम के अतिरिक्त किसी अन्य अधिनियमिति में अर्न्तविष्ट इससे असंगत किसी चीज के हुए भी होगा ।
8. नियमावली बनाने की शक्ति धारा 25 द्वारा केन्द्र सरकार को प्रदान की गई है ।
9. धारा 26 के प्रावधान करती है कि धारा 25 के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो यो अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद से सत्रों के अवासन के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे

परिवर्तित रूप से ही प्रभावी होगा किन्तु ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभावी होने के पूर्व किया गया कार्य अविधिमान्य नहीं होगा ।

14.5 जल प्रदूषण अधिनियम

भारत में जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 में पारित किया गया था और तब से सह प्रवर्तन में है तथा प्रभावी ढ़ंग से अपनी भूमिका अदा कर रहा है । जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 के उद्देश्य हैं - 'जल प्रदूषण के तथा नियंत्रण और जल की स्वास्थ्यप्रदता बनाए रखने या पूर्वावस्था में लाने के लिए पूर्वोत्तर प्रयोजनों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्डों की स्थापना के लिए, उनसे सम्बन्धित शक्तियां और कृत्य ऐसे बोर्डों को प्रदत्त और समनुदेशित करने के लिए और उनसे संबंधित विषयों के लिए उपबन्ध करना समीचीन है । '

इस प्रकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण करना है । इस उद्देश्य के साथ यह जल की पूर्णता को बनाए रखने या प्रत्यावर्तित करने और पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए बोर्ड को गठित करने का प्रयास भी करता है, चूंकि वर्णित उद्देश्य राज्य विधान मण्डल से संबंधित है और संसद को संविधान के अधीन उसके अनुच्छेद 249 तथा 250 के सिवाय उनके संबंध में कोई शक्ति नहीं है । इसलिए संसद ऐसे मामले के संबंध विधि निर्माण नहीं कर सकती किन्तु असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और प. बंगाल के विधान मण्डलों ने संसद से इस प्रकार की विधि अधिनियमित करने का अनुरोध करते हुए संकल्प पारित किए हैं । इसलिए संसद ने उनके अनुरोध के उत्तर के अनुच्छेद 252 (1) के अधीन इस परिनियम को अधिनियमित किया है ।

अधिनियम की धारा 1 उसके संक्षिप्त शीर्षक लागू होने और प्रारंभ इस विषय पर प्रावधान करती है । इस अधिनियम को जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 कहा जाता है । यह अधिनियम प्रारंभ से पूर्व लिखित 12 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है, अन्य राज्य संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) अधीन पारित संकल्प द्वारा इस अधिनियम को अंगीकार करने के लिए प्राधिकृत किए गए, हैं । धारा 1 (2)

अध्याय 2 केन्द्रीय तथा राज्य जल प्रदूषण के गठन नियुक्ति की शर्ते तथा निबन्ध, पद धारण करने की अर्हता, बोर्ड की बैठक और अन्य चीजों के साथ-साथ विभिन्न समितियों के गठन के संबंध में प्रावधान करता है । इस अध्याय के प्रावधान धारा 3 से 12 तक में अन्तर्विष्ट है । अध्याय 3 की धारा 13 (1) प्रावधान करती है कि (क) दो या अधिक समीपस्थ राज्यों की सरकार, या (ख) एक या अधिक संघ राज्यों और ऐसे संघ राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्रों के समीपस्थ एक या अधिक राज्यों की सरकारों के संबंध में केन्द्र सरकार ऐसी अवधि के लिए नवीनीकरण के शर्त के अध्यधीन संयुक्त बोर्ड को गठित करने के लिए करार कर सकेगी ।

इस प्रकार गठित संयुक्त बोर्ड सभी भागीदारी राज्यों के लिए या भाग लेने वाले संघ राज्य क्षेत्र का संघ राज्य क्षेत्रों और राज्य या राज्यों के लिए राज्य बोर्ड होगा ।

अधिनियम की धारा 14 (1) में संयुक्त बोर्ड के गठन से संबंधित प्रावधान है यदि उसका गठन समीपर्ती राज्यों की राज्य सरकारों के बीच करार के अनुसारण में किया जाता है ।

अध्याय 4 के अन्र्तगत केन्द्रीय एव राज्य बोर्ड की शक्तियां एव कृत्य सम्मिलित है । धारा 16 (1) के अनुसार पर्यावरणीय केन्द्रीय बोर्ड का मुख्य कृत्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्रोतों तथा कुंओं की सफाई में वृद्धि करना होगा । राज्य बोर्ड के कृत्यों से संबंधित प्रावधान अधिनियम की धारा 17 में अधिकथित किए गए हैं ।

अध्याय 5 जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण से संबंधित है । अधिनियम की धारा 19 कतिपय क्षेत्रों में अधिनियम की प्रयोज्यता को निर्बन्धित करने की राज्य सरकार की शक्ति के संबंध में प्रावधान अधिकथित करती है । प्रत्येक जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण क्षेत्र की घोषणा या तो नक्शे के निर्देश द्वारा या किसी जल विभाजक की रेखा या किसी जिले की सीमा के प्रति निर्देश द्वारा या अंशत: एक ढंग द्वारा और अंशतः दूसरे द्वारा घोषित किया जा सकेगा।

1. धारा 20 में राज्य बोर्ड को प्रदत्त कृत्यों के निर्वहन में समर्थ बनाने के लिए सूचना प्राप्त करने की शक्ति का प्रावधान है -
   (क) राज्य बोर्ड या उसके द्वारा इसके लिए निर्धारित कोई अधिकारी किसी क्षेत्र का सर्वेक्षण कर ऐसे क्षेत्र में किसी सरिता या कुंए के प्रवाह या आयतन तथा अन्य विशेषताओं का माप कर उनका अभिलेख रख सकेगा, तथा ऐसी अन्य कार्यवाहियां कर सकेगा जो पूर्वोत्तर प्रयोजन के लिए अपेक्षित कोई सूचना प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो ।
   (ख) राज्य बोर्ड या किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसकी राय में उस क्षेत्र में किसी ऐसी सरिता या कुंए से, ऐसे परिमाप में, जो उस सरिता या कुएं के प्रवाह या आयतन के संबंध में सारभूत हो, जल निकल रहा हो, या मल या व्यावसायिक वहिःस्राव निस्तारित कर रहा हो यह अपेक्षा करते हुए निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे निस्तारण के संबंध में जानकारी दे ।
2. राज्य बोर्ड या इसके लिए उसके द्वारा सशक्त किसी अधिकारी को किसी सरिता या कुंए से जल का नमूना या किसी नाली या व्यवसायिक बहिस्राव से कोई नमूना जो किसी संयत्र या जलयान से या किसी स्थान से या उसके ऊपर से किसी ऐसी सरिता या कुएं में जा रहा हो को विश्लेषण के प्रयोजन के लिए ग्रहण करने की शक्ति होगी ।
3. धारा 23 के प्रावधानों के अध्यधीन राज्य बोर्ड द्वारा प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति के लिए सशक्त किसी व्यक्ति को ऐसी सहायता के साथ जिसे वह आवश्यक समझे किसी समय, किसी स्थान में प्रवेश करने का अधिकार होगा ।
4. कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी भी विषाक्त, उपायकर या प्रदूषक पदार्थ को, जो ऐसे मानकों के अनुसार अवधारित हों, जो राज्य बोर्ड द्वारा अधिकथित हो, किसी सरिता या

कुंओं में प्रत्यक्षत: या परोक्ष रूप से न तो प्रवेश कराएगा और न प्रवेश करना अनुज्ञात करेगा। (धारा-24(1))

5. कोई व्यक्ति राज्य बोर्ड की पूर्व सम्मति के बिना -
   (क) किसी उद्योग, संक्रिया या प्रक्रिया या किसी उपचार तथा व्ययन प्रणाली या उसके किसी विस्तार या अभिवृद्धि की स्थापना नहीं करेगा या स्थापना करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा, जो मेल- जोल या व्यावसायिक बहिःस्राव का निर्वहन सरिता या कुएं या भूति पर करने के लिए संभाव्य है ।
   (ख) मल-जल के निर्वहन के लिए किसी नए या परिवर्तित निकास को प्रयोग में नहीं लाएगा।
   (ग) किसी नए निस्सरण या जल निकास करने के लिए प्रारंभ में नहीं करेगा, (धारा 25)
6. राज्य बोर्ड नए या परिवर्तित निकास को प्रयोग में लाने के लिए सहमति तब तक नहीं देगा जब तक कि निकास का इस प्रकार सन्निर्माण न किया गया हो कि उन शर्तों का अनुपालन हो जाए जो बोर्ड को बहिःस्राव के नमूने लेने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए समर्थ बनाने हेतु बोर्ड द्वारा अधिरोपित की गई हो (धारा 27)
7. अधिनियम की धारा 29 राज्य सरकार को पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करती है ।
8. धारा 30 से 32 कतिपय कार्यों को करने के लिए राज्य बोर्ड की शक्ति को बताती है । कतिपय मामलों में राज्य बोर्ड और अन्य अभिकरणों को सूचना देना धारा 31 में तथा सरिता या कुंए के प्रदूषण के मामले में आपातिक उपाय धारा 32 के अन्तर्गत निहित हैं ।
9. सरिताओं या कुंओं में जल के आशंकित प्रदूषण को निर्वन्धित करने के लिए न्यायालय में आवेदन करने की बोर्ड की शक्ति धारा 33 में निहित है ।
10. बोर्ड इस अधिनियम के प्रावधानों और केन्द्र सरकार के किसी निर्देश के अध्यधीन तथा किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी इस अधिनियम में अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में लिखित किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को निर्देश जारी कर सकेगा । और वह इस शक्ति के अधीन ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा ।

निधि, लेखा तथा लेखा परीक्षा से संबंधित प्रावधान धारा 34 से 40 तक अन्तर्विष्ट है । ये महत्वपूर्ण प्रावधान है क्योंकि ये बोर्ड को उसके कर्तव्यों के दासतापूर्ण निर्वहन के लिए समर्थ बनाते हैं ।

धारा 41 से 50 तक में अधिकथित प्रावधान शास्ति तथा प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान करते हैं । जहां इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होता है । अधिनियम उल्लंघन के विभिन्न कार्यों के लिए एक ही शास्ति को विहित नहीं करता यह विभिन्न शक्तियों के लिए प्रावधान करता है ।

14.6 वायु प्रदूषण अधिनियम

वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 वायु के प्रदूषण का निवारण तथा उसको नियंत्रित करने के लिए संसद में वर्ष 1981 में विधि पारित की थी जो 30 मार्च, 1981 को प्रवृत्त हुई थी। अधिनियम की उद्देशिका प्रावधान करती है कि वायु की मात्रा का संरक्षण करने और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इसे अधिनियमित किया जा रहा है । इस अधिनियम का विस्तार जम्मू व कश्मीर राज्य को शामिल करके सम्पूर्ण भारत पर है । अधिनियम के अधीन निर्मित पर्यावरण संरक्षण नियमावली 1986 की अनुसूची 4 प्रावधान करती है कि कब वायु को धुआं या मोटर यान से वाष्प द्वारा प्रदूषित माना जाएगा ।

अध्याय 2 वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए केन्द्रीय और राज्य बोर्ड के मुख्य कृत्य देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना और वायु प्रदूषण का निवारण, नियन्त्रण या उपशमन करना है ।

वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान अध्याय 4 में धारा 19 से धारा 31 क तक में अन्तर्विष्ट है, ये प्रावधान महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान करते हैं । अधिनियम निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करता है-

1. धारा 19(1) प्रावधान करती है कि राज्य सरकार राज्य बोर्ड से परामर्श करने के बाद शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे का में, जैसा कि विहित किया जाए, राज्य के भीतर किसी क्षेत्र या क्षेत्रों को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकेगी ।

   राज्य सरकार राज्य बोर्ड से परामर्श करने के बाद शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा -

   (क) किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र को परिवर्तित कर सकेगी चाहे वह विस्तार द्वारा हो या किसी कमी द्वारा

   (ख) नया वायु प्रदूषण क्षेत्र घोषित कर सकेगी, जिसमें एक या अधिक विद्यमान वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र या उसके किसी भाग या भागों में विलीन किया जा सकेगा ।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि धारा 17(1) के खण्ड (6) के अधीन राज्य बोर्ड द्वारा अधिकथित स्वचालित वाहन से वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन के मानक का अनुपालन किया जाता है, राज्य सरकार, राज्य बोर्ड से सलाह करके ऐसा निर्देश देगी जो मोटर यान अधिनियम 1939, अब मोटर यान अधिनियम 1988 कोई अधीन मोटर यान के पंजीकरण के प्रभारी सम्बद्ध प्राधिकारी को आवश्यक हो और ऐसा प्राधिकारी उस अधिनियम या उसके अधीन निर्मित नियमावली में अर्न्तविष्ट किसी चीज के होते हुए ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा ।

3. कोई व्यक्ति वायु प्रदूषण नियन्त्रण क्षेत्र में राज्य बोर्ड की अनुमति के बिना कोई औद्योगिक संयंत्र स्थापित या संचालित नहीं करेगा, किन्तु वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 9 के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी औद्योगिक संयत्र को पहले से संचालित करने वाला व्यक्ति,

जिसके लिए प्रारंभ में पूर्व सहमति आवश्यक नहीं थी, ऐसे प्रारंभ के तीन माह की अवधि के लिए या उससे तीन माह की उक्त अवधि के भीतर ऐसी सम्मति के लिए आवेदन किया है ऐसे आवेदन के निस्तारण तक संचालन करता रहेगा । धारा 21(1) यदि कोई सम्मति प्रदान नहीं की जाती तो उस संयत्र का संचालन स्थगित करना होगा ।

राज्य बोर्ड की सम्मति प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ ऐसी फीस जो विहित हो, होगी और इसे विहित प्रारूप में दिया जाएगा। अनुमति प्रदान करने से इन्कार करने के पूर्व राज्य बोर्ड ऐसी जांच कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे और ऐसी जांच करने में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसा विहित की जाय (धारा 23(3))

4. जहां बोर्ड द्वारा यह आशंका की जाती है कि राज्य बोर्ड द्वारा अधिकथित मानक के आधिक्य में किसी वायु प्रदूषण का उत्सर्जन औद्योगिक संयत्र संचालित करने वाले ?? व्यक्ति के कारण या अन्यथा किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में होने के लिए संभाव्य है, तो बोर्ड न्यायालय में जो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के अन्यून न हो ऐसे व्यक्ति को वायु प्रदूषकों को उत्सर्जित करने से निर्बन्धित करने के लिए आवेदन कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे (धारा 4-क(2))
5. राज्य बोर्ड द्वारा प्रवेश तथा निरीक्षण की शक्ति के लिए सशक्त किए गए किसी व्यक्ति को सभी युक्ति युक्त समयों में ऐसी सहायता के साथ जिसे वह आवश्यक समझे, किसी स्थान पर प्रवेश करने का अधिकार होगा।
6. राज्य बोर्ड को सौंपे गए कृत्यों को निष्पादित करने के प्रयोजनों के लिए, वह या उसके लिए उसके द्वारा सशक्त को अधिकारी अधिभोगी या किसी उद्योग को करने वाले किसी अन्य व्यक्ति या किसी नियंत्रण उपकरण या औद्योगिक संयत्र को संचालित करने वाले व्यक्ति से प्रत्येक वायु प्रदूषकों के प्रकार से संबंधित सूचना को शामिल करके किसी सूचना की मांग कर सकेगा और ऐसी सूचना की शुद्धता को सत्यापित करने के प्रयोजन के लिए राज्य बोर्ड या ऐसे अधिकारी को उस परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार होगा, जहां ऐसा उद्योग, नियन्त्रण उपकरण या औद्योगिक संयत्र चलाया जा रहा है । (धारा 25)
7. राज्य बोर्ड या उसके द्वारा सशक्त किसी अधिकारी को विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए किसी चिमनी धुंए के मार्ग या नली या किसी अन्य निकास इस ढंग से, जैसा कि विहित किया जाए', नमूने को लेने की शक्ति होगा । (धारा 26)
8. इस अधिनियमों के प्रावधानों और किसी निर्देश, जिसे राज्य सरकार इसके लिए दे, के अध्यधीन राज्य बोर्ड किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी चीज के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित में कोई निर्देश दे सकेगा और ऐसा व्यक्ति. अधिकारी और प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा ।

   अधिनियम के प्रभावी कार्य करने के प्रयोजन के लिए निधि आवश्यक है । इस निधि को कैसे विनियोजित तथा प्रबन्धित किया जाएगा । यह भी आवश्यक है इस उद्देश्य से धारा

32 से 36 तक में प्रावधान निर्मित किए गए हैं । धारा 37 से 46 तक शास्ति और प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रावधान करती है।

(धारा 47) 'यदि किसी समय केंद्र सरकार की यह राय हो-

(क) कि गठित राज्य बोर्ड ने इस अधिनियम द्वारा या के अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों के निर्वहन में बार-बार व्यतिक्रम किया है, या

(ख) कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जो उसे लोकहित में ऐसा आवश्यक बनाती हैं, तो राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य बोर्ड का 6 महीने से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए जो अधिसूचना में विनिदिष्ट की जाए, अधिक्रमण कर सकेगी (धारा (47 (1))

14.7 सारांश

यह एक दुरभिसंधि ही कही जाएगी की बीसवीं सदी के विकास ने मौजूद सदी के लिए तमाम गंभीर चुनौतियां ज्ञापित कर डाली हैं पर्यावरण प्रदूषण इसमें सबसे भयावह चुनौती है, विकास की दौड़ में प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन जिस दर से जारी है उस पर प्रभावी अंकुश की दरकार अब स्वयंसिद्ध हो चुकी है। औद्योगीकरण एवं नगरीकरण से निरन्तर कृषि योग्य भूमि एवं वन भूमि सिकुडती चली गई। परिणामस्वरूप आलम यह है कि पूर्व में जहां घने वन थे वहां आज आसमान छूती अट्टालिकाएं है। पर्यावरणीय अवनयन के दुष्परिणामों की जिद में अब केवल मानव निर्मित राज्य की सीमा ही नहीं अपितु मानवीय अस्त्वि भी नजर आ रहा है।

यदि हम पर्यावरणीय विनाश के मूल को समझने की कोशिश करें तो पाते हैं कि समृद्धि और गरीबी दोनों ही वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी है । विकसित और औद्योगिक समाज की समस्याएं अतिवादी भौतिकरता से जन्म लेती हैं जबकि विकासशील समाज में ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का अभाव और रोजी रोटी की चुनौती इसका कारण बनते जा रहे हैं।

अब विशुद्ध उपभोक्तावादी मौजूद समाज में निरन्तर विकास के साथ पर्यावरण सरंक्षण की बात करना बडा कठिनतम हो चला है। वस्तुतः इस गंभीरतम मोर्चे पर प्रभावी और दृढ़ रणनीति की आवश्यकता है। विश्व स्तर पर तमाम अभिसमय घोषणाएं शिखर सम्मेलनों के बावजूद पर्यावरण अवनयन की समस्या बजाय कम होने के बढ़ती प्रतीत हो रही है। इसके पीछे सबसे अहम कारण पर्यावरण के प्रति आम जन में संवेदन शून्यता है। पर्यावरण सुधार की चर्चाओं में विकासशील समाज से नियत दरिद्रता और अज्ञानता की समाप्ति अभी भी सर्वोपरी प्राथमिकता नहीं है। इतिहास गवाह है कि प्रत्येक सद्विचार जन आंदोलन के जरिए ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाया है पर्यावरणीय चुनौती और इसका सामना करने के लिए कानूनी प्रावधान जन आंदोलन को निर्णायक शक्ल दिला सकते हैं।

14.8 निबंधात्मक प्रश्न

1. पर्यावरण क्या है? पर्यावरण के प्रकार और तत्वों की विवेचना कीजिए ।

2. वन संरक्षण अधिनियम 198० पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए ।
3. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर एक लेख लिखिए ।
4. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए (कोई दो)
    1. जल प्रदूषण अधिनियम
    2. वायु प्रदूषण अधिनियम
    3. पर्यावरण का मानव का प्रभाव

इकाई 15 भारत की भाषाई पत्रकारिता

इकाई की रूपरेखा

15.0 उद्देश्य

15.1 प्रस्तावना

15.2 भाषाई पत्रकारिता का अर्थ और स्वरूप

15.3 पुराने भाषाई पत्र

15.4 भाषाई पत्र और भाषागत विकास

15.5 भाषाई पत्रों की संप्रेषण शक्ति

15.6 भाषाई पत्रों की जनमत में भूमिका

15.7 भारतीय भाषाओं में समाचारपत्र- पत्रिकाएं

15.8 कतिपय उपयोगी सारणियां

15.9 सारांश

15.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

15.11 निबंधात्मक प्रश्न

15.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप

- भाषाई पत्रकारिता का अर्थ और उसका स्वरूप जान सकेंगे।
- भाषाई पत्रों के विकास, पुराने भाषाई पत्रों, वर्तमान भाषाई पत्रों की भाषावार संख्या और प्रसार संख्या की जानकारी आपको मिल सकेगी।
- भाषाई पत्रों की संप्रेषण शक्ति और जन-मत में उनकी भूमिका के विषय में जान सकेंगे।
- भाषाई पत्रकारिता की भारत में स्थिति और उसके महत्व से आप परिचित हो सकेंगे ।
- भारत की भाषाई पत्रकारिता के विषय में आप अपने विचार सुझाव रूप में व्यक्त कर सकेंगे।

15.1 प्रस्तावना

भारत में जहां हिन्दी-अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं का वर्चस्व है, वहां भाषाई पत्रकारिता का भी कोई कम महत्व नहीं है। यहां एक ओर जहां उन्नीस प्रमुख भाषाओं में पत्र- पत्रिकाओं को प्रकाशन होता है, दूसरी ओर वहां सौ से अधिक उपभाषाओं, छोटी भाषाओं, बोलियों में भी बड़ी संख्या में पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। इनकी प्रसार संख्या भी काफी विशाल है। अन्य भाषाओं की बहुत्सी पत्र-पत्रिकाएं सामग्री, स्तर, प्रसार की दृष्टि से हिन्दी-अंग्रेजी की पत्र-पत्रिकाओं के समकक्ष है। वे किसी भी रूप में कम नहीं है। हिन्दी और अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाएं उच्चस्तरीय है और उनकी प्रसार संख्या भी विशाल है। हिन्दी पत्रों की प्रसार संख्या जहां पांच करोड़ और अंग्रेजी पत्रों की प्रसार संख्या दो करोड़ को छूने जा रही है, वहीं मलयालम, उर्दू, मराठी, बंगला, गुजराती, तमिल आदि पत्र-पत्रिकाओं की प्रसार संख्या स्वतंत्र रूप से एक करोड़

की ओर बढ़ रही है। भाषाई पत्रकारिता की दृष्टि से यह शुभ लक्षण है। यह सब भारत की भाषाई पत्रकारिता के उच्च स्तर, विशालता और महत्व का परिचायक है। अन्य भाषाओं की पत्रकारिता भी निरंतर प्रगति पर है ।

15.2 भाषाई पत्रकारिता का अर्थ और स्वरूप

15.2.1 भाषाई पत्रकारिता का अर्थ

भाषाई पत्रकारिता से तात्पर्य विभिन्न भाषाओं की पत्रकारिता से है। इसके अन्तर्गत हिन्दी- अंग्रेजी के साथ-साथ देश की प्रमुख भाषाओं और उपभाषाओं तथा बोलियों की पत्रकारिता भी है। भारत में भाषाई पत्रकारिता की परंपरा अत्यन्त समृद्ध है। एक ओर जहां हिन्दी-अंग्रेजी की प्रतिनिष्ठित और व्यापक पत्रकारिता है तो दूसरी ओर मलयालम, गुजराती, मराठी, बंगला, तमिल, कन्नड, तेलगु, उड़िया आदि भाषाओं की समृद्ध पत्रकारिता का भी कोई कम महत्व नहीं है। इनके अलावा अन्य भाषाओं, उपभाषाओं, बोलियों में भी उल्लेखनीय पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है।

15.2.2 भाषाई पत्रकारिता का स्वरूप

भाषाई पत्रकारिता का अभी तक सम्यक् विवेचन और मूल्यांकन नहीं हुआ है । इसका स्वरूप विशाल है। बंगाल, असम आदि से राजस्थान तक तथा जम्मू-कश्मीर से केरल तक भाषाई पत्रकारिता का विराट साम्राज्य है । विभिन्न भाषाओं के हजारों पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है । इसकी प्रसार संख्या करोड़ों में है । बड़े, मध्यम और लघु पत्रों की समृद्ध परंपरा है ।

15.2.3 भाषाई पत्रों की संख्या सबसे अधिक

भाषाई अखबारों की संख्या भले ही अधिक हो लेकिन आज भी उनमें विश्वसनीयता की कमी है । इस संदर्भ में 'दैनिक आनन्द बाजार पत्रिका' के कार्यकारी संपादक सुमन चट्टोपाध्याय का मत है कि-अखबारों की पाठक संख्या और उनका प्रसार भले ही अंग्रेजी अखबारों की तुलना में ज्यादा हो, लेकिन यह कोई तसल्लीबख्श बात नहीं है । अहम सवाल यह है कि क्या भाषाई अखबारों की प्रबुद्ध पाठकों में वैसी ही विश्वसनीयता है जैसी कि अंग्रेजी अखबारों की है या विज्ञापनदाता भी ऐसा ही सोचते हैं । यदि किसी घटना को भिन्न-भिन्न का से अंग्रेजी अखबारों में और भाषाई प्रेस में रिपोर्ट किया गया हो, तो वे किसे अधिक विश्वसनीय मानेंगे? निस्संदेह अंग्रेजी में छपी खबरों को । राजस्थान पत्रिका या आनन्द बाजार पत्रिका जैसे कुछ भाषाई अखबारों ने अपनी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता की छाप अपने पाठकों में भले ही छोड़ी हो पर कुल मिलाकर विश्वसनीयता के लिहाज से अंग्रेजी प्रेस काफी आगे है । यह एक बहुत बड़ी चुनौती है ।

15.3 पुराने भाषाई पत्र

भाषाई पत्रकारिता दो सौ वर्षों से अधिक पुरानी है। गुजराती का दैनिक 'बाम्बे समाचार' मुंबई से सन् 1822 में निकलने लगा था सावधिक पत्र तो इसमें भी पहले निकलने लगे थे । गुजराती का दूसरा दैनिक मुंबई से ही 'जाम-ए-जमशेद' शीर्षक से 1832 में प्रकाशित होने लगा था । इसी भाषा का साप्ताहिक 'खेड़ा वर्तमान' कायरा से 1861 में, सूरत से दैनिक गुजरात मित्र एवं गुजरात दर्पण 1863 में, भड़ौच से साप्ताहिक 'भड़ौच समाचार' 1879 में, भावनगर से मासिक 'श्री जैन धर्मप्रकाश' 1884 में या त्रैमासिक 'अमलदार' मुंबई से 1882 में निकले । इसी प्रकार तमिल मासिक तिसनेलेवली से 'तिसनेलवेली डायसेशन' शीर्षक से प्रकाशित हुआ । मराठी में बेलगांव से साप्ताहिक 'बेलगांव समाचार' 1863 में, रत्नागिरि से साप्ताहिक 'सत्यशोधक' 1871 में, जलगांव से साप्ताहिक 'प्रबोध चन्द्रिका' 1880 में, पुना से 'दैनिक केसरी' 1881 में, मुंबई से मासिक 'सिंहनाद' 1882 में प्रकाशित हुए। मलयालम में कोट्टायम से दैनिक 'दीपिका मलयालम' 1887 में, दैनिक 'मलयाला मनोरमा' 1890 में तथा तेलुगू में मासिक 'युद्ध धावनी' मद्रास (अब चेन्नई) से निकले । बंगला में मुर्शिदाबाद से साप्ताहिक 'मुर्शिदाबाद हितैषी' 1893 में, हुगली से 'चिन्नारिया बर्तामा' 1893 में प्रकाशित हुए । उर्दू में हैदरबाद से दैनिक 'मुशीरे डेकन' 1894 में तथा दिल्ली से साप्ताहिक आर्य गजट 1884 में निकले ।

हिन्दी में लश्कर से पाक्षिक 'मध्यप्रदेश संदेश' और साप्ताहिक 'जैन गजट' लखनऊ से 1895 मैं निकले। भारत की अंग्रेजी में 'द टाइम्स आफ इण्डिया' (मुंबई) 1838 में, त्रैमासिक, 'कलकत्ता रिव्यू (कोलकाता) 1844 मे, साप्ताहिक 'एक्जामिनर (मुंबई) 1850 में, पाक्षिक 'गार्जियन (चेन्नई) 1851 में, मासिक 'न्यूमैन्स इण्डियन ब्राइशा' (कोलकाता) 1865 में, अमृत बाजार पत्रिका (कोलकाता) 1868 में, त्रैमासिक यू एस.आई.जर्नल (मदुराई) 1870 में, 'इण्डियन विटनैस' (दिल्ली) 1871 में, साप्ताहिक बिहार हेराल्ड (पटना) 1874 में, दैनिक सेटेट्स मैंन (कोलकाता) 1875 में, मासिक 'सब-स्टाफ' (चेन्नई) 1876 में, 'हिन्दू (चेन्नई) 1878 में, दैनिक 'ट्रिप्स' (चण्डीगढ़) 1881 में, साप्ताहिक न्यूलीडर (कोलकाता) 1887 में, साप्ताहिक कैपिटल (कोलकाता) 1888 में प्रकाशित हुए। द्विभाषी पत्रों में मासिक सेतिया वर्तमान (मदुराई, 1870), पाक्षिक सुबोध पत्रिका (मुंबई,1873) साप्ताहिक सत्यनादम (कोच्ची,1876) प्रकाशित हुए। इनके अलावा पोर्तगीजी भाषा में 1861 में मारगांव से 'एन इण्डियन' तथा गोरो भाषा में मेघालय से 'अछकनी रिपेनो, 1881 में प्रकाशित हुए।

15.4 भाषाई पत्र और भाषागत विकास

भाषाई पत्रों और भाषा-गत विकास जो सबद्ध है वह स्पष्ट है। इस सम्बन्ध में वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक 'आनन्द बाजार पत्रिका' कलकत्ता के कार्यकारी सम्पादक सुमन चट्टोपाध्याय द्वारा एक व्याख्यान में कहे गए ये विचार उल्लेखनीय है- 'भाषा के विकास के संदर्भ में मैं पहले भारतीय भाषाई मिडिया की चर्चा करना चाहूंगा। क्योंकि यदि भाषा समुन्नत स्थिति में न

हो तो पत्रकारिता या साहित्य अभीष्ट स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे । इस स्तर तक पहुंच पाने का प्रमाण यह है कि हम प्रथम दृष्टया न तो कोई मारक्विज़ या न्यूयार्क टाइम्स पैदा करने की क्षमता रखते है। दूसरी स्मरणीय बात यह है कि संस्कृति की तरह भाषा विशिष्ट वर्गवादी (इलीइस्ट) होती है। साक्षरता का प्रसार सामाजिक और राजनीतिक आशय है। लेकिन उत्कृष्ट साहित्य का निर्माण नहीं होगा। उत्कृष्टता कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों द्वारा होती है । भारत में विशिष्ट जन के अलगाव ने भाषाओं के इच्छित विकास को रोका है।

दिल्ली में अगर आप किसी व्यावसायिक विशिष्ट व्यक्ति या किसी विशिष्ट नेता से मिलें, तो वह शायद ही अपनी मातृभाषा में बात करेगा। उसका अध्ययन तो बहुत दूर की बात है। शायद कोई बंगाली इसका अपवाद निकलेगा। वह 'आनन्द बाजार पत्रिका' को ही उठाएगा, ऐसा क्यों?

संबंधित भाषा से इस दृष्टिकोण को समझा जा सकता है। वह भाषा, जिसे आम तौर से हिन्दी के रूप में जाना जाता है वह या तो भोजपुरी या अवधि या खडी बोली होती है। सुमित्रानन्दन पंत की कविताएं, टैगोर की कविताएं जैसी है। गौरतलब बात यह है कि हिन्दी अपने समस्त रूपों में सत्तारूढ़ वर्ग की जरूरतों के मुताबिक विकसित हुई है। उदाहरण के लिए मुगलकाल में खड़ी बोली फारसी और उर्दू से मिलकर विकसित हुई। कालान्तर में सरकारी कामकाज में और कानूनी भाषिक संरचना में फारसी के शब्द आ गए। हिन्दी, संस्कृत से सीधे आई है। इसी भाषा के अटल बिहारी वाजपेयी पक्षधर हैं। दूसरी ओर बंगाली की ताकत इसके प्रयोक्ता द्वारा इसके प्रति व्यक्त सम्मान में निहित है। भारत में अन्य भाषाओं के विपरीत यह भाषा लोगों के भाव और विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में विकसित हुई किन्तु देश में अन्य भाषाएं विदेशी हुक्मरानों को संतुष्ट करने की जरुरत के फलस्वरूप विकसित हुई है। शासकों की भाषा की जो संरचना है, उसका प्रभाव हमारी भाषिक संरचना पर देखा जा सकता है। इससे हमारी भाषा का सहज प्रवाह और लय खत्म हो गए। शासकों द्वारा शासितों पर भाषिक संरचना थोप दी गई। इसे समझना बहुत आसान है। ऐसे मामलों में भाषा को शासकों और शासितों के बीच में संप्रेषण का माध्यम समझ गया।

उत्तरी अंचल में हिन्दी की उपेक्षा

अपने देश के उत्तरी अंचल में शहरी शिक्षितों में हिन्दी के प्रति उपेक्षा का भाव साफ दिखाई पड़ता है । उसमें से अधिकांश लोग इस भाषा को बोलते भी नहीं है । पढ़ने-लिखने की बात को तो छोड़िए । अगर दिल्ली और कानपुर के 'आई.आई.टी.' के छात्रों का सर्वेक्षण किया जाए, तो पता चलता है कि उनमें बहुत से छात्र साफ तौर से हिन्दी के प्रति उपेक्षा का भाव रखते है। मंत्रालय या अन्य मंत्रालयों में किसी वरिष्ठ अधिकारी को हिन्दी पढ़ते पाना दुर्लभ है। इस तथ्य का क्या स्पष्टीकरण हो सकता है?

किसी भाषा संस्कृति के विकास का संबंध उन कतिपय प्रतिभाओं के सम्मिलित प्रयत्नों से है, जिनके पीछे, उनका समर्पण भाव होता है । उनका कार्य भाषा के लिए सम्मान प्रदान करता है, और उस भाषा के प्रयोक्ताओं में भाषा के प्रति प्रेम जगाता है । अपने जमाने में सत्यजित रे का उदाहरण लिया जा सकता है । उनकी महत्वपूर्ण फिल्मों ने समकालीन बंगाली फिल्म निर्माताओं के लिए एक जमीन तैयार की । इन फिल्म निर्माताओं ने उनकी प्रतिभा का अनुकरण किया । वे भले ही उनकी प्रतिभा तक न पहुंच पाए हों पर उनके सम्मिलित प्रयासों

ने बंगाली सिनेमा को काफी ऊंचाई तक पहुँचा दिया । साहित्य के क्षेत्र में बंकिम शरतचन्द्र या रवीन्द्रनाथ ने बहुतो को प्रेरणा दी । इससे गंभीर साहित्य, भाषा और समझदार पाठक वर्ग के विकास में मदद मिली । समाज शास्त्रीय ढंग से यह बताना कठिन है कि यह कलकता में ही क्यों हुआ, भारत में अन्यत्र क्यों नहीं । कमल में अंग्रेजों के आकस्मिक आगमन से इसे बल मिला । इससे सुधार और पुरूत्थान का युग शुरू हुआ और समाज ने पाश्चात्य ज्ञान को अपनाया और अपने को उसके अनुरूप ढाल लिया । इसने हमारी विरासत, के प्रति हमारी रुचि पनपाई, जिससे दो बाते हुई अतीत के प्रति सम्मान का भाव तथा भविष्य के प्रति अनूकूलन । शिक्षित बंगालियों का नया वर्ग अपनी भाषा के लिए वैसा ही करना चाहता था जैसा कि पश्चिमी लोगों ने अपने भाषा के विकास में किया । बंगाली के कवि माइकेल मधुसूदन दत्त के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो सकती हैं उसके पूर्व किसी भी भारतीय भाषा में सॉनेट (चतुर्दशपदी) का कभी प्रयोग नहीं किया गया । मधुसूदन दत्त का कहना था कि यदि लैटिन में पैट्रार्क सॉनेट लिख सकता है, तो मैं वैसा ही बंगाली में क्यों नहीं कर सकता? उन्होंने बंगाल में 'सॉनेट' की शुरुआत की ओर बाद में यह पूरे देश में प्रचलित हुआ ।

इन सब चीजों से एक नसीहत मिलती है, लेकिन वह बहुत महत्वपूर्ण है । एक सायास, मापन या तुलनात्मक मूल्यांक्न होना जरूरी है । बंगाली में ही लिखना अपने आप में काफी नहीं है और न अपनी दूसरी बंगाली लेखकों से तुलना करना पर्याप्त है । हमें अपनी तुलना उस सर्वश्रेष्ठ चीज से करनी है जो अंग्रेजी या फ्रेंच में लिखी जा रही है और हमें यह जानना है कि हम कहा खड़े हैं ।

इस परिदृश्य के अन्तर्गत हम भारत में अंग्रेजी मीडिया पर विचार करें । यह बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि अंग्रेजी पहले से ही भारत में विकसित हो चुकी है । बहुत से भारतीय अंग्रेजी में उपन्यास और कविता लिखते हैं । उन्हें विदेशों में पहचान मिलती हैं और वे अंतराष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त करते हैं । यह एक किसी प्रकार से अलग से विकास नहीं हुआ । लेकिन हम पाएंगे कि सामान्य मीडिया की जगह यह विकास एक विशिष्टीकृत क्षेत्र में हुआ है । इंगलिश मीडिया की पहली हलचल 'इण्डिया टूड़े' ने शुरू की । अपने प्रारंभिक दिनों में इसने ऐसे-ऐसे आलेख छापने की हिम्मत की, जिन्हें दूसरे पत्र छूना भी नहीं चाहते थे । तकनीकी दृष्टि से इसकी शिल्प सृष्टि भी सुन्दर थी और उत्कृष्टता की ओर इसका झुकाव था । दुर्भाग्य से अब हम अपने पुराने स्वरूप की एक भौंडी छाया मात्र है, लेकिन उसने उत्कृष्टता दिखाई तो । उम्मीद थी कि ' इण्डिया टुडे' का प्रयोग अन्य अंग्रेजी मीडिया को प्रभावित करेगा । लेकिन यह झूठी उम्मीद साबित हुईं । इसने उद्योग प्रेस को अवश्य प्रभावित किया ।

भारत में मीडिया क्रांति का परचम 'इण्डिया टुडे' के हाथों से 'इकोनामिक टाइम्स' के पास पहुँचा । उसे कामयाबी भी मिली । लेकिन इस अखबार ने उत्कृष्टता की तलाश छोड़ दी । 'इकोनामिक्स टाइम्स' ने जहां अपनी यात्रा छोड़ी थी वहीं से 'बिजनिस स्टैन्डर्ड' ने अपना सफर शुरू किया । विपणन में असफलता के कारण अखबार को कमजोर स्तरों को स्वीकारना पड़ा । लेकिन अभी भी इस अखबार के संपादकीय पृष्ठों में भारत का सर्वश्रेष्ठ पहलू देखा जा सकता है । मीडिया क्रान्ति दैनिकों से आर्थिक पत्रिकाओं तक भी पहुंची । 'बिजनिस इण्डिया', 'बिजनिस

वर्ल्ड' और 'बिजनिस टुडे' ने मुख धारा के अंग्रेजी प्रकाशनों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ कीर्तिमान बनाए हैं । जहां तक भारत में 'बिजनिस वर्ल्ड' और अमरीका के 'बिजनिस वीक' की गुणवत्ता के अन्तर की बात है, यह विवाद का विषय है । लेकिन प्रसन्नता की बात है कि तुलना का स्तर काफी ऊँचा चला गया है । यह कहना कठिन है कि उद्योग मीडिया क्यों पनप गया है । कुछ इक्के-दुक्के कारणों को बताया जा सकता है । ' बिजनिस मीडिया' का भाग्य निजी क्षेत्र के वैभव से जुड़ा है । जैसे भी भारतीय उद्योग ने विकास किया है । उद्योग मीडिया ने भी वैश्विक मापदण्डों को अपना लिया है । दूसरी बात, व्यापारी लोग से अधिक समझदार पाठक होते हैं । यदि कोई प्रकाशन उनके लिए सहायक नहीं होता, तो वह उसको पढ़कर अपना वक्त जाया करना नहीं चाहते । सामान्य पाठक की प्रवृत्ति में आलस्य या उदासीनता बहुत बडा घटक रही है । तीसरी बात, आर्थिक प्रेस में मुख्य धारा के अंग्रेजी अखबारों की अपेक्षा कहीं बेहतर वेतमान है । जाहिर है ऊंचे वेतनमानों के आकर्षण में बेहतर व्यक्ति वहां पहुंचेंगे ही ।

अब सवाल यह है कि यह प्रयोग कहीं और नहीं अपनाया जा सकता? जहां तक कागजी स्वरूप है कोई समस्याएं नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से समस्याएं है । प्रबुद्ध पाठकों ने ' बिजनेस मीडिया' को बाध्य कर दिया कि उन्हें उत्कृष्टता मिले । फलस्वरूप संपादकों और मालिकों को स्तर उठाना पड़ा । सामान्य मीडिया में सुधार के लिए दबाव नहीं है । यहा तक कि मापदण्ड भी उद्योग के भीतर ही तय किए जाते हैं ।

उत्कृष्टता प्राप्त करना ही वास्तविक चुनौती

जहां तक 'आनंद बाजार पत्रिका' का सवाल है, हम यह नहीं कर सकते कि हमने इन सभी समस्याओं का हल ढूंढ़ लिया हैं । सिर्फ एक दावा है हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं और अपनी सीमाओं और दुर्बलताओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं । मैं साफ तौर से अपनी कुछ कोशिशों के बारे में बताना चाहूंगा । टैक्नोलोजी में हमने संस्कृत आधारित लिपियों के प्रयोग की शुरूआत की है । पहले लीनोटाइप और अब कम्प्यूटर । हमने लीनोटाइप या माइक्रोसॉफ्ट से कभी नहीं चाहा कि वे हमारे लिए काम करें । यह काम हमने खुद किया है । दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इन सभी प्रयोगों में हमने वर्णमाला को संक्षिप्त नहीं किया है । हमारी योजनाएं संपादकों द्वारा संचालित हैं न कि इंजीनियरिंग द्वारा । एक उदाहरण दूं । मुझे 'राजस्थान पत्रिका' के बारे में अधिक जानकारी नहीं है । इसलिए मैं यदि कोई गलती करूं तो पहले ही क्षमायाचना कर लेता हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि चाहे वह 'नवभारत टाइम्स' हो या हिन्दी का 'इण्डिया टुडे' हो, अधिकांश हिन्दी प्रकाशनों ने, जिन्होंने विन्डोबेस्ड कम्प्यूटराइजेशन अपनाया है, वर्णमाला के अक्षरों को छोटा कर दिया है । वर्णमाला का पांचवा व्यंजन यथा 'न', 'म' आदि अपने संधि रूप में हिन्दी में एक बिन्दी से लिखे जाते हैं । बंगाली से हम परम्परा के अनुसार आधा 'न', आधा 'म' संधि रूप में लिखते हैं । बात साफ है मशीन को भाषा के अधीन होना पड़ेगा । भाषा को मशीन के अधीन नहीं होना चाहिए । हमारे द्वारा प्रयुक्त होने वाले सत्तर प्रतिशत शब्द संस्कृत के उद्भूत है और हम पाणिनि के पूर्ण भक्त हैं । भाषा को केन्द्र में रखकर हम प्रमुख लेखकों को पत्रकार के रूप में नियोजित करते हैं ताकि प्रयुक्त भाषा की गुणवत्ता बंगाली साहित्य के उत्तमांश की बराबरी कर सके ।

तीसरा, हम विशिष्ट वर्ग द्वारा की गई प्रशंसा के बारे में विशेष रूप से जागरुक है, चाहे उनकी संख्या. कितनी भी कम क्यों न हो । ' आनंद बाजार पत्रिका' में आजकल संपादकीय दल में कैम्ब्रिज और हार्वर्ड से पी. एच. डी. प्र व्यक्ति भी शामिल है ।

चौथा, हम अंग्रेजी भाषा में लिखे जा रहे सर्वश्रेष्ठ से अपनी तुलना करते हैं । हम अन्य बंगाली अखबार लोगों को नहीं लेते । हम परीक्षा परिणामों के आधार पर विश्वविद्यालयों से लोगों को लेते हैं । यहाँ तक कि ऊन के अखबारों से भी हम लोगों को बुलाते हैं । अन्तत: एक मिशन का भाव । हमारे स्वर्गीय संपादक अशोक सरकार ने एक बार कहा था कि हमारे पाठकों को ' आनन्द बाजार पत्रिका ' से वही गुणवत्ता मिलनी चाहिए जो उन्हें अंग्रेजी अखबारों से प्राप्त होती है । इसलिए हम यह स्वीकार करते हैं कि हम अपने उत्पाद से हमेशा खुश नहीं रहते । हम श्रेष्ठता अर्जित करना चाहते हैं और हम जानते हैं कि श्रेष्ठता रोज-रोज नहीं मिलती । यहां भविष्य में और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है । लेकिन हम जानते हैं कि हमारा सर्वश्रेष्ठ भी काफी नहीं संख्या की वृद्धि ही हमारा उद्देश्य नहीं है अपितु उत्कृष्टता प्राप्त करना ही हमारे सामने वास्तविक चुनौती है। इसको प्राप्त करने के लिए दृढप्रतिज्ञ रहना चाहिए । (4 जनवरी. 2000 को जयपुर में 'राजस्थान पत्रिका' और चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में, भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित पं. झाबरमल शर्मा स्मृति पर्यावरण व्याख्यानमाला के अन्तर्गत दिए गए व्याख्यान का सार संक्षेप)

15.5 भाषाई पत्रों की संप्रेषण शक्ति

पत्रों की संप्रेषण-शक्ति के विषय में वरिष्ठ पत्रकार सुमन चट्टोपाध्याय ने जयपुर में एक व्याख्यान देते हु ए कहा था-हम विचारों या दृष्टिकोण का भी संप्रेषण करते है । अक्सर या बहु त कम किसी अखबार की पहचान उसके विचारों से होती है । उन्नीसवीं सदी में लन्दन में 'टाइम्स' ने सबसे पहले संपादकीय लेखन की कला की शुरूआत की तथा उसे आगे बढ़ाया । इस अखबार को प्यार से 'थन्डर्स' कहा जाता था । उस जमाने में अखबारों से उम्मीद की जाती थी कि वे गरजे, अर्थात् चीख-चीख कर मुद्दों की ओर लोगों का ध्यान खींचे । आज के जमाने में हमारे गुजरे माने के कई मशहू र संपादकों को शायद पत्रकार न कहा जाए', लेकिन वे गरजने में काफी पुरअसर थे । हम अब नहीं गरजते । हम बहस करते हैं । हम तर्क करते है । हम घटनाओं का विश्लेषण करते हैं । हम दृष्टिकोण पेश करते हैं ।

हम विचारधाराओं और विचारों का भी सम्प्रेषण करते हैं। यह ऊंचे दर्जे का पत्रकारिता है । अगर हम विचारधाराओं या प्रवृत्तियों को पाठकों के सामने सही का से रखें, तो इसका मतलब यह है कि हम तथ्यों को साबित कर रहे हैं, साठ के दशक में बीटिल्स और मिनी स्कर्ट के कारण लन्दन संसार भर में सबसे मदहोश जगह बन गया था । 'टाइम्स पत्रिका' ने इस प्रवाह को समझ कर एक आमुख कथा में कहा 'लन्दन झूम रहा है' । सारी दुनिया का इस तथ्य की ओर ध्यान गया । अपने देश में 'इंडिया टुडे' ने राजीव के जमाने में भारत के विकासशील मध्य वर्ग की बात कही थी । हमारे यहा उपभोक्ताओं के एक बड़े तबके ने जन्म लिया । ऐसे ही कई अन्य उदाहरण हैं ।

हमें लोगों का मनोरंजन भी करना है । हम किसी शैक्षिक पत्रिका के लिए कोई विद्वतापूर्ण लेख भी नहीं लिख रहे हैं । हम तो आम आदमी से रू-ब-रू हैं । हम उसे तथ्य दे रहे हैं । हम उसे समझ दे रहे हैं । हम उसे विचारधाराओं या समय के प्रवाह की तालीम देते हैं । लेकिन हम यह सब इस तरह से करते हैं कि आम आदमी की दिलचस्पी बनी रहे । इसे ही संप्रेषण कहते हैं ।

भारतीय भाषाई मीडिया की पहचान कमजोर

अगर ये विचारधाराएं या युग प्रवृत्तियां हों, तो हमें यह देखना चाहिए कि आमतौर से भारतीय मीडिया और खासतौर से भाषाई मीडिया किस तरह इन मापदंडों पर खरा उतरता है । पहला तथ्य जो कुछ घटा है, उसकी रिपोर्टिंग मीडिया की खुराक है । दुर्भाग्य से इन क्षेत्र में हमारी पहचान काफी कमजोर रही है । भारतीय भाषाई मीडिया का रिकार्ड और भी खराब रहा है । मैं तथ्य के तात्विक विवेचन की यहां बात नहीं कर रहा हूँ । मैं केवल घटनाओं के सही- सही स्वरूप की बात कर रहा हूँ । हम तथ्यों को रिपोर्ट नहीं कर पाते, इसके पीछे वही कारण है जो कारण इतिहास को रिकार्ड करने में हमारी अक्षमता के पीछे है । तथ्यों को रिपोर्ट करने में दो तत्व महत्वपूर्ण है । प्रथम, विवरण कौशल और दूसरा, एक दृष्टि । विवरण कौशल के लिए भाषा पर अधिकार तथा पर्यवेक्षण- क्षमता का होना बहुत जरूरी है । एक लम्बे विवरण का निर्वाह करने के लिए बहुत कम भारतीयों में भाषा पर अधिकार पाया जाता है। जिनकी भाषा पर अधिकार होता है, वे कम ही मीडिया के क्षेत्र में आते हैं । इसलिए भारतीय मीडिया के विवरण - लेखन में ब्यौरे की कमी अखरती है ।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम तौर से भारतीयों में सम्यक् दृष्टि का अभाव पाया जाता है । ब्राह्मण- व्यवस्था से हमने सवाल न उठाने वाला दिमाग पाया है । इसलिए हम प्राय: राष्ट्रीय दृष्टिकोण का ही इजहार करते हैं । जब बाबरी मस्जिद जैसे बड़े- बड़े सवाल सामने हों, तो हम अपने- अपने पक्ष की नुमाइन्दगी करते हैं । यह एक राष्ट्रीय रोग है । हम यह मानकर चलते है कि नेहरू या गांधी हमारे नायक थे और अंग्रेज लोग खलनायक । परिणामस्वरूप बहुत सा सार्थक कार्य अंग्रेजों द्वारा किया गया है क्योंकि निजी पत्रों या लेखों तक पहुंचने की हमने जहमत ही नहीं उठाई ।

अंग्रेजी मीडिया की तुलना में भाषाई मीडिया कमजोर

इस स्वरूप में भी अंग्रेजी मीडिया की तुलना में भाषाई मीडिया कमजोर ही पड़ता है । यह बात टैगोर थे पत्रकारिता विनोदप्रियता से अपनी एक कविता में कही थी : ' कवि, जो तुम लिखते हो, वह सत्य है । जो वास्तव में घटता है वह सत्य नहीं है । ' भारतीय भाषाई प्रकाशनों में तथ्यों की रिपोर्टिंग विचारों की रिपोर्टिंग के साथ गड्डमड्ड हो जाती है । यह समझना बहुत कठिन हो जाता है कि एक चीज कहां शुरू होती है, तो दूसरी कहां खत्म होती है । इसके बारे में एक सफाई यह दी जा सकती है कि स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय भाषाई मीडिया राष्ट्रीय आकांक्षा का वाहक था, जो कि आम तौर से पैम्फलेट्स के रूप में था, अखबारों के रूप में नहीं । क्योंकि अंग्रेजी मीडिया के मालिक अंग्रेज थे इसलिए मीडिया व्यापार से ज्यादा संबद्ध

था तथा उनके वर्ग हितों को ही व्यक्त करता था । लेकिन यह जानबूझकर किया गया फैसला था, न कि कौशल के अभाव में की गई कोई चीज ।

अपनी व्यापारिक दिलचस्पी के कारण अंग्रेजी मीडिया एक उत्पाद के रूप में सफल हो गया । स्वतंत्रता के बाद कुछ भारतीय भाषाई मीडिया ने अपनी शैली बदल दी । पहले वे अंग्रेजों की खिलाफत करते थे, अब वे कई अन्य स्थानीय राजनीतिक वर्गों का विरोध करते हैं, शेष हर बात पहले जैसी ही रही । अंग्रेजी मीडिया को साफगोई बरतनी पड़ी क्योंकि व्यापारिकता का तकाजा था कि वे स्थानीय शासन का विरोध न करें । व्यापारिक अस्तित्व के अलावा उनकी कोई खास प्रतिबद्धता नहीं थी। इसलिए किसी नई व्यवस्था को अपनाने की उन्हें कोई जरूरत नहीं थी । फलस्वरूप, चीजों को वस्तुनिष्ठ ढंग से देखने का उनका रवैया बन गया ।

अब विचारों की अभिव्यक्ति की बात को लें । समाचारों और विचारों के अलगाव की बात, जैसा कि चर्च और राज्य के बीच अलगाव था, भारतीय मीडिया के लिए निश्चित रूप से एक अनजानी बात थी । भारतीय भाषाई मीडिया एक जन्म तक संदेश पहुंचाने के लिए हुआ था : राष्ट्रवाद । जैसा कि गर्डियन के एक पूर्व संपादक ने कहा था कि अब यह कहना कि तथ्य पवित्र होते हैं जबकि यह स्वतंत्र होती है, यह इसके जन्म के औचित्य से ही इन्कार करना है । पत्रकारिता की पैम्पलेट वाली शैली का कुछ पर प्रभाव पड़ा । इस तरह से व्यापारिक सफलता ने पूर्वाग्रहों की वैधता प्रदान कर दी । कहना यह है कि इस प्रक्रिया में विचारों के लेखन को बहुत बड़ी क्षति पहुंची । अंग्रेजी मीडिया में संपादकीय लेखन का विकास एक विशेषीकृत कला के रूप में हुआ था । भारतीय भाषाई मीडिया में तथ्यों की रिपोर्टिंग संपादनीकृत (एडीटोरियलाइज्ड) थी, घटनाओं का विश्लेषण कौशल के स्तर पर सामान्यत: हो ही नहीं पाया ।

अब जरा विचारों की रिपोर्टिंग का जिक्र करें । इसमें कहने में हमे गुरेज नहीं होना चाहिए कि इस क्षेत्र में हम नौसिखिए ही है । अगर मामूली तथ्यों की रिर्पोटिंग नहीं कर सकते या किसी सामान्य दृष्टिकोण के बारे में बुद्धिपरक तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकते, तो यह गैरमुमकिन है कि हम विचारधाराओं या प्रवृत्तियों की सही पहचान कर सकें । यहां तक कि जहां विचारधारा ज्यादा आवश्यक हो, हमें अब भी उसके बारे में जानने के लिए अंग्रेजी मीडिया पर निर्भर रहना पड़ता है। एक उदाहरण देना ठीक रहेगा । कुछ वक्त पहले जब बम्बई की फिल्म इण्डस्ट्री ने हिंसा और मारधाड़ कि दौर के बाद रोमांस की ओर रुख किया, तो अंग्रेजी मीडिया ने फौरन इसे भांप लिया। माधुरी दीक्षित की शादी से ' अरेन्ज्ड मैरिज' पर कोई बहस नहीं छिड़ी ।

अन्तत: इन सब चीजों को इस तरह से मिलाया जाना चाहिए कि हमारे पाठकों को रुचिकर लगे । यदि सामग्री असरदार न हो तो 'पैकेजिंग स्किल' की कम ही जरूरत रहती है । इन्फोग्राफिक्स या सूचना की ग्राफिक्स के रूप में प्रयुक्त करने की कला उद्योग प्रेस (बिजनेस प्रेस) से विकसित हुई । उद्योग प्रेस के संपादक अपने उत्पाद में अधिकाधिक आकर्षण पैदा करने के तरीके तलाश कर रहे थे । ग्राफिक्स से काम चल जाता है । व्यापारी वर्ग चाहे कितना भी आकर्षण वाला हो, शाहरूख खान नहीं है । इस दुविधा के समक्ष कम्प्यूटर युग के आगमन से सूचना ग्राफिक्स का जन्म हुआ । मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मीडिया को

विकास के अलग- थलग नहीं किया जा सकता । हर कौशल का स्तर दूसरे स्तर को जन्म देता है । हर सृजनशील विचार दूसरे सृजनशील विचारों को पर्यावरण पनपाता है । पैम्पलेटीयरंग' को प्रस्तुति कौशल की जरूरत नहीं होती । पत्रकारिता की इसकी जरूरत पड़ती है । पैकेजिंग '(संवेष्टन) के बिना, विचार तथ्यों की रिपोर्टिंग की जगह निबन्धों की तरह दिखाई पड़ेंगे । पत्रकारिता की अपनी शैली को अपनाने के साहस ने सह- कौशलों के विकास को प्रोत्साहित किया है ।

15.6 भाषाई पत्रों की जनमत में भूमिका

जन-मत के निर्माण में भाषाई पत्रों की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है । इस सम्बन्ध में वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी लिखते हैं - तीन- चार साल पहले आस्ट्रलिया से एक सज्जन जो कि भारत की मीडिया का अध्ययन करने आए थे, और उनको एक शोधग्रंथ लिखना था, दफ्तर में आए और काफी देर तक बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं, एक अंग्रेजी अखबार में गया था, तो वहाँ मैंने पूछा कि आप फलां-फलां चीज क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि इसलिए करते है कि जनता इसकी मांग करती है । तो अपने यहाँ ज्यादातर अंग्रेजी अखबारों से कोई ज्यादा कुछ पूछता नहीं है लेकिन उस आदमी ने पूछा कि इस देश में कुल ढ़ाई- तीन प्रतिशत लोगों को भाषा अंग्रेजी है, तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि जनता की मांग है । सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह कहा कि ये क्रीमी लेयर को फीड करने वाले अखबार हैं । मैंने अपने जिंदगी के नौ साल अंग्रेजी पत्रकारिता में व्यर्थ किए हैं । इसलिए मैं सिर्फ एक तथ्य का बयान कर रहा हूँ । इस देश में सचमुच जनमत बनाने में अंग्रेजी अखबारों की भूमिका नहीं हो सकती । हमारे देश में भाषाई पत्रकारों की छः सात पीढ़ियाँ लगभग इस अवधारणा में अखबार निकालते रहे कि ' गुड पेपर इज इंग्लिश न्यूज पेपर'।

देश के ज्यादातर भाषाई अखबार ही इस देश का जनमत बनाते हैं । एक तो इस कारण से कि वो उन लोगों के द्वारा पढ़े जाते हैं और उनकी दुनिया में सूचनाओं की बहुत ज्यादा खिड़कियाँ नहीं होती । इस देश के अंग्रेजी के अखबार वालों से आप बात करें, तो वे कहेंगे कि जो हमारा पाठक से वह हमारी चीजों को उतनी श्रद्धा और भक्तिभाव से नहीं पड़ता है, जितना कि हिंदी के या भाषाई अखबारों के पाठक पढ़ते हैं, क्योंकि अंग्रेजी अखबार का पाठक अपने अखबार को आलोचनात्मक तरीके से देखता है । इसलिए आप पाते हैं कि अंग्रेजी के सारे अखबार होली से पहले यह लिखेंगे कि बड़ी मुश्किल हो रही है और यह है और वह है । उसके बाद जो होली मन जाएगी तो लिखेंगे कि परंपरा के साथ फलां त्यौहार मना । मैंने आज तक दीवाली के पहले के अंग्रेजी अखबार नहीं देखे जो यह न कहते हों कि बहुत ज्यादा महंगाई है । इसलिए दीवाली इस बार बहुत ठंडी होने वाली है ।

कारण यह है कि अंग्रेजी इस देश में सोचने समझने की भाषा तो हो सकती है इस देश में महसूस करने की भाषा नहीं है और जिस भाषा के जरिए आप महसूस नहीं करते उस भाषा के जरिए आप लोगों को इतना प्रभावित नहीं कर सकते कि वे अपनी राय अपने तौर- तरीके आदि बदल सकें । यानी हिंदी को कोई अच्छा लिखने वाला संपादक या पत्रकार चाहे तो अपने पूरे के पूरे पाठकों में हिलोरें पैदा कर सकता है इधर से उधर तक उनको प्रभावित कर सकता है

लेकिन अंग्रेजी का अच्छे से अच्छा कापी लिखने वाला भी ज्यादा सोचने समझने वाला भी इस देश को यानी अपने ही पाठकों को हिला नहीं सकता । क्योंकि प्रभावित करने के लिए मात्र तर्क की आवश्यकता नहीं होती है प्रभावित करने के लिए महसूस करवा सकने की शक्ति आपमें होना जरूरी है।

मैं अंग्रेजी में और हिन्दी में लिखते हुए महसूस करता रहा है मैं हिंदी में जब लिखता हूँ यानी लोगों से सीधे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ तो उसकी जो प्रतिक्रिया पाठकों की तरफ से होती है, वह अंग्रेजी की तरफ से कभी नहीं होती ।

तो जिस देश में भाषाई अखबार ही ऐसे है जो लोगों में रिपल्स पैदा कर सकते हैं वहीं अखबार जनमत बनाने के सही माध्यम और सही हकदार भी हो सकते हैं । मैं अंग्रेजी के अखबार वालों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ । उनसे मेरे अच्छे संबंध भी है, लेकिन मैं अक्सर सोचता हूँ कि अंग्रेजी का पत्रकार लालू यादव से किस स्तर पर संवाद भारत की कर सकता है । यानी जो लोग इस देश की राजनीति बनाने वाले हैं, जो लोग इस देश की राजनीति को दिशा देने वाले हैं, उसको आधार देने वाले लोग हैं, आज के पत्रकार का संवाद कैसा होगा क्योंकि जिंदगी के तौर तरीके अलग हैं और उनका स्तर अलग है, उनकी दुनिया अलग है । इसलिए मैं अक्सर यह पाता हूँ कि राजनीति की समझ हमारे अंग्रेजी अखबारों के पास उतनी कभी नहीं होती जितनी की हमारे भाषाई अखबार बहुत आसानी से व्यक्त करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं । इसका एकमात्र कारण यह नहीं कि वे जनता को समझते हैं । जिस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, जो राजनीति में नए तत्व आ रहे हैं, उनको समझते हैं । मैं राजनीति से सिर्फ इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि अपने देश के अखबारों को मोटे तौर से यह मान लिया जाता है कि सबसे पहले राजनीति की ठीक से लोगों को समझाने का उनका काम होना चाहिए । लोकतंत्र हमारे यहाँ है और जितना बड़ा लोकतंत्र हमारा है, उतना दुनिया में किसी का नहीं है, तो उस लोकतंत्र में आम लोगों तक राजनीति की लहरें पहुँचाने की जितनी आपकी शक्ति होगी, उतना ही आप जनमत बनाने का काम कर सकते हैं । इसलिए राजनीति को समझाने और समझने की जो शक्ति इस देश के भाषाई अखबारों को प्राप्त है, वह इस देश की अंग्रेजी पत्रकारिता में नहीं है । और इस कारण से आप यह देखिए, कि जो सचमुच का राजनेता है, वह इस देश के भाषाई अखबारों को ज्यादा महत्व देता है । किसी राजनेता का राजनैतिक भविष्य कोई बना या बिगाड़ सकता है, तो वे भाषाई अखबार है ।

हमारी राजनीति मुख्यत: दो तत्त्वों से संचालित है । जाति और धर्म या संप्रदाय । जाति का वह कौनसा तत्व है जो लोगों को प्रभावित कर सकता है । या धर्म अथवा संप्रदाय का ऐसा कौनसा तत्त्व है जो लोगों को किस हद तक प्रभावित करता है । इसकी जो समझ देश के भाषाई पत्रकारों को है, उतनी अंग्रेजी पत्रकारों को नहीं होती । अंग्रेजी के संपादकीय लिखने वाले सहायक संपादक की दुनिया भी वो दुनिया नहीं है, जो कि इस देश के बड़े राजनीतिज्ञ की दुनिया हो सकती है । आज से 20-25 साल पहले फिर भी राजनेता ऐसे हुआ करते थे जिनकी जीवन शैली और अंग्रेजी के पत्रकारों और उनकी जीवन शैली लगभग समान होती थी । लेकिन पिछले 5-20 साल में हमारे देश की राजनीति का जो देशीकरण हुआ है या भारतीय कारण हुआ

है, उसके कारण अंग्रेजी की दुनिया, अंग्रेजी पत्रकारों की दुनिया और हमारे देश के राजनेताओं की दुनिया दो अलग- अलग चीज हो गई है । उनकी दूरी बहुत बढ़ गई है । इसलिए जब वे लिखते हैं तो कहीं कोई झंकार नहीं होती, टंकार लौटकर नहीं आती । ऐसा नहीं लगता कि कोई चीज गूँज-गूँज कर वापिस आ रही है । जबकि आप भाषाई पत्रकारों को देखेंगे तो पाएंगे कि जो वे बोलते हैं, वह बात गूँजती हुई लगातार वापस आती है और यह तो गूँज है, यही जनमत बनाती है । मैं पाता हूँ कि राजनीति में तो कम से कम निश्चित है कि भाषाई अखबार की जो भूमिका है, वह अंग्रेजी अखबारों की भूमिका नहीं हो सकती । इस देश का आदमी अपनी अतिरिक्त भावना से वोट देता है । इसलिए अंग्रेजी अखबारों की राजनीति को लेकर जनमत बनाने में उतनी बड़ी भूमिका इस देश में नहीं है जितनी हमारे भाषाई अखबारों की है । चुनाव के वक्त जिन अखबारों का असर होता है, जिन अखबारों का प्रसार बढ़ता है, वह इस कारण से ही है कि वे अखबार जनता नब्ज को छू रहे हैं और उसे प्रकट कर रहे हैं ।(कम्यूनिकेशन टूडे जून-मार्च 2000)

15.7 विभिन्न भाषाओं में समाचारपत्र-पत्रिकाएँ

प्रो. रमेश जैन के शब्दों में- ''भारतीय समाचारपत्रों का अध्ययन करने के बाद विशेष बात उभरकर सामने आई है कि अभी लगभग पंचानवे भाषाओं तथा बोलियों में समाचारपत्र प्रकाशित किए जा रहे हैं, जिनमें सोलह मुख्य भाषाएँ भी सम्मिलित हैं । प्रमुख सोलह भाषाएँ हैं- हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम, मराठी, गुजराती, बंगला, उर्दू तेलगु, कन्नड, पंजाबी, उड़िया, सिंधी, असमिया, संस्कृत और कश्मीरी। अन्य भारतीय भाषाएँ हैं- कोंकणी, मणिपुरी, खाँसी, लुसाई (मिजो), मैथिली, संथाली, भोजपुरी, गारो, राजस्थानी, थाड़ो, कुकी, मारा, अगामी, नागा हिंदुस्तानी, पैटे, टंगखुल, डोगरी, काबुई, जोऊ, बुंदेलखंडी, हलावी, मगही, नार, पाली, छत्तीसगढ़ी, हमार, जैंतल, काबुर, कोकबोरोक, मारवाड़ी, मितिलोन, मुरीदारी, पहाड़ी, रोंगमेई आदि। अंग्रेजी के अतिरिक्त जिन अन्य विदेशी भाषाओं में पत्र- पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है उनमें अरबी, बर्मी, एवं चीनी, फ्रेंच, इंडोनेशियाई, इटालियन, नेपाली, पुर्तगाली, पश्तो, पर्शियन, स्पेनिश, स्वाहिली, सीरियाई एवं तिब्बती भाषाएँ सम्मिलित है । एक विशेष बात यह है कि प्राय: सभी भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की संख्या और विक्रय संख्या में लगातार वृद्धि होती गई है ।

प्रमुख भाषाएँ

भारत के प्रमुख भाषाओं के समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं का शोधपरक अध्ययन इस प्रकार है-

1. हिंदी

भारत को सभी भाषाओं में हिंदी की पत्र- पत्रिकाओं की संख्या सबसे अधिक है । एक विशेष बात यह है कि अन्य दूसरी प्रमुख भाषाओं की तुलना में हिंदी से समाचारपत्रों की प्रगति अधिक तेज गति से हुई है । इसी तरह हिंदी के पत्रो की विक्रय संख्या में भी वृद्धि हुई है ।

इसका प्रमुख कारण है कि हिंदी ने राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त कर लिया है और सभी क्षेत्रों में इसके पत्रों का विकास होता जा रहा है ।

सन् 1826 में कलकत्ता से ' उदंत मार्तंड' का प्रकाशन हुआ था । लेकिन आज देश का सबसे पुराना हिंदी पत्र अजमेर से प्रकाशित साप्ताहिक ' जैन गजट' है । हिंदी के समाचारपत्र देश के प्राय हर कोने से प्रकाशित हो रहे हैं । इसमें सर्वाधिक पत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, दिल्ली एवं राजस्थान से प्रकाशित होते हैं ।

देश में प्रमुख हिंदी दैनिक 'नवभारत टाइम्स', 'दैनिक हिंदुस्तान', 'दैनिक जागरण', 'पंजाब केसरी', 'दैनिक भाष्कर', 'नई दुनिया', 'राजस्थान पत्रिका', 'आज', 'जनसत्ता', 'अमर उजाला', 'वीर अर्जुन', 'दैनिक ट्रिब्यून' आदि हैं । 'इंडिया टुडे', 'सहित्य अमृत', 'चक्रवाकृरहंस' आदि प्रमुख पत्रिकाएं हैं ।

2. अंग्रेजी

हिंदी के समाचारपत्रों के बाद सबसे अधिक संख्या में अंग्रेजी के समाचारपत्र निकलते हैं। आजादी के बाद भी अंग्रेजी समाचारपत्रों की संख्या और विक्रय संख्या में लगातार वृद्धि होती रही है। हमारे यहाँ अंग्रेजी पत्रों परंपरा सबसे पुरानी है । सबसे पहला समाचारपत्र 29 जनवरी, 1780 को जेम्स आगस्टस हिक्की ने ' बंगाल गजट' या ' कलकत्ता जनरल एडवाइजर' के नाम से प्रकाशित किया ।

देश का सबसे पुराना अंग्रेजी पत्र बंबई से प्रकाशित दैनिक ' टाइम्स ऑफ इंडिया' है । इसका प्रकाशन सन् 1838 में साप्ताहिक के रूप में हुआ था । अंग्रेजी के समाचारपत्र अधिकांश चार महानगरों - दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास और प्रदेशों की राजधानियों में केन्द्रित हैं । दो- तिहाई से अधिक अंग्रेजी पत्र- पत्रिकाओं का प्रकाशन केवल महानगरों से होता है । एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में इनकी संख्या बहुत कम है । संख्या की दृष्टि से दिल्ली में सबसे ज्यादा अंग्रेजी पत्र प्रकाशित होते हैं, लेकिन विक्रय संख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र सबसे आगे है ।

'टाइम्स ऑफ इंडिया', 'इंडियन एक्सप्रेस', 'हिंदुस्तान टाइम्स', 'हिंदु', 'स्टेट्समैन', 'अमृत बाजार पत्रिका', 'टेलीग्राफ', 'ट्रिप्स', 'दक्कन हेराल्ड', 'कश्मीर टाईम्स', 'पेट्रियाट' आदि देश के प्रमुख अंग्रेजी समाचारपत्र हैं । अंग्रेजी पत्रिकाओं में 'ब्लिट्ज', 'रीडर्स डाइजेस्ट', 'फिल्म फेयर', 'इंडिया टुडे', आदि उल्लेखनीय हैं ।

3. तमिल

तमिल पत्र- पत्रिकाओं का केन्द्रीकरण तमिलनाडु और विशेष रूप से मद्रास महानगर में है। तमिलनाडु के अलावा महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी और दिल्ली से कुछ पत्रिकाएँ तमिल भाषा में प्रकाशित होती हैं । अन्य राज्य संघ क्षेत्र राज्य जहाँ से तमिल समाचार प्रकाशित हो रहे हैं वे हैं- कर्नाटक, पांडिचेरी, महाराष्ट्र केरल, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार, तथा पश्चिम बंगाल । अधिकांश दैनिक तमिलनाडु से प्रकाशित होते हैं ।

'तिरुनेलवेली डायोसेसन मैंगजीन', 'तमिल मासिक', एवं 'तिरुनेलवेली' (1849) तमिल का प्राचीनतम पत्र है । तमिल के प्रमुख दैनिक पत्र हैं - 'दिणामणि', 'डेली थांथी', 'अन्ना',

'दिनाकरणा', 'मोक्कुल कुराल' एवं 'दिनामला' । पत्रिकाओं में 'कुमुदम', 'वारांतरी रानी', 'आनंद विकेतन', 'तुगलक', 'देवी', 'रानी मुध' आदि उल्लेखनीय है ।

4. मलयालम

मलयालम भाषा के समाचारपत्र मुख्यत: केरल में केन्द्रित हैं । तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मैसूर, दिल्ली, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश से भी मलयालम भाषा के समाचारपत्र प्रकाशित होते हैं । मलयालम भाषा के पत्र-पत्रिकाओं की प्रसार संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है । केरल में मलयालम पत्र-पत्रिकाएं नगरों एवं कस्बों में बिखरी हुई हैं । कुछ मलयालम पत्रों का थोड़ा बहुत भाग ही केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में केंद्रित है ।

दैनिक पत्र 'दीपिका' कोट्टायम का प्राचीनतम पत्र है । इसकी स्थापना सन् 1887 में हुई थी । मलयालम के प्रमुख दैनिक पत्रों में 'मलयाला मनोरमा', 'केरल कौमुदी', 'मातृभूमि', 'दीपिका', 'देशाभिमानी', 'केरल पत्रिका' केरल 'भूषणम' और 'जनयुगम' हैं । पत्रिकाओं में 'मंगलम', ' मलायाला मनोरमा साप्ताहिक', 'मनोराज्यम', 'साखी', 'बलराम', 'कुमारी', 'केरल शब्दम', 'गृहलक्ष्मी', 'स्नेह सेना' आदि हैं ।

5. मराठी

महाराष्ट्र की प्रमुख भाषा मराठी है । मराठी के अधिकांश समाचारपत्र महाराष्ट्र में केन्द्रित है लेकिन इसके अलावा गोवा, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्रप्रदेश, गुजरात और मध्यप्रदेश से भी मराठी के समाचारपत्र प्रकाशित होते हैं । बेलगाँव से प्रकाशित साप्ताहिक 'पबलगाँव समाचार' प्राचीनतम पत्र है । यह सन् 1863 से प्रकाशित हो रहा है ।

मराठी के प्रमुख दैनिक पत्रों में- 'लोकसत्ता', 'सकाल', 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'केसरी', 'लोकमत', 'तरुण भारत', 'मुंबई सकाल', 'नवाकाल', 'नवशक्ति', 'संध्याकाल' 'प्रभात', 'गाँवकारी', 'संचार', 'नागपुर पत्रिका', 'मराठावाड़ा' आदि हैं । मराठी पत्रिकाओं में 'शेतकारी', 'लोक प्रभा', 'क्रीडांगन', 'व्यापारी मित्र', 'स्वराज्य' 'चंदोबा', 'मार्मिक' आदि उल्लेखनीय है। मराठी के दैनिक समाचारपत्र महाराष्ट्र से अत्यधिक प्रकाशित हुए है। दैनिक समाचारपत्र गोवा और कर्नाटक से भी प्रकाशित होते हैं ।

6. गुजराती

गुजराती राज्य की प्रमुख भाषा गुजराती है । गुजरात में सबसे अधिक पत्र गुजराती भाषा में प्रकाशित होते हैं । बंबई एवं अहमदाबाद में आधे से ज्यादा पत्र गुजराती भाषा में निकलते हैं । बंबई का ' बंबई समाचारपत्र' गुजराती का सबसे पुराना पत्र है । यह सन् 1984 में शुरू हुआ था। गुजराती में सबसे अधिक समाचारपत्र गुजरात से प्रकाशित हुए हैं । इसके बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी से भी प्रकाशित हुए ।

7. बंगला

पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है और यहाँ की प्रमुख भाषा बँगला है । बँगला के अधिकांश समाचारपत्र पश्चिम बंगाल से प्रकाशित होते हैं । बँगला भाषाभाषी लोग अपनी भाषा के प्रति अत्यधिक जागरुक हैं । इसमें स्थानीयता का भी अत्यधिक मोह होता है । इसके

इस स्वभाव का प्रभाव समाचारपत्रों पर भी है । इसलिए बँगला पत्र- पत्रिकाएँ अपेक्षाकृत समृद्ध हैं । बँगला पत्रों का अध्ययन करने के बाद एक विशेष बात देखने में आई है कि अंग्रेजी के बाद उनका केंद्रीकरण महानगरों में सबसे अधिक है । आधे से अधिक समाचारपत्रों का प्रकाशन कलकत्ता से होता है । पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त असम, त्रिपुरा, दिल्ली, बिहार. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश एवं अंडमान- निकोबार द्वीप समूह से बँगला-पत्र पत्रिकाएँ निकलती हैं । कलकत्ता से प्रकाशित 'आनंद बाजार पत्रिका', दैनिक बँगला समाचारपत्र की प्रसार संख्या प्रति प्रकाशन पर्यावरण दिवस उक्त भाषा में तथा भारत में प्रकाशित समाचारपत्रों में सबसे अधिक है । साप्ताहिक. पत्रों में कलकत्ता से प्रकाशित बँगला साप्ताहिक 'देश' की प्रसार संख्या सबसे अधिक रही है ।

बँगला के सबसे पुराने दो पत्र हैं- 'मुर्शिदाबाद हितैषी' (1893) तथा 'चिनौरिया वरतभा'। ये दोनों पत्र क्रमशः मुर्शिदाबाद और हुगली से प्रकाशित होते हैं । बँगला भाषा के दैनिक पत्रों में 'आनंद बाजार पत्रिका', 'कातर', 'आजकल', 'वसुमति', 'उत्तर बंग संवाद', 'गणशक्ति', 'सत्ययुग', 'पश्चिम बंगाल संवाद' आदि उल्लेखनीय है । बँगला पत्रिकाओं में 'देश', 'आनंद मेला', 'संग्रामी हथियार', 'आनंद लोक', 'सिने एडवांस', 'देश हितैषी', 'वर्तमान', 'सुकताश', 'कॉलेज स्ट्रीट' आदि लोकप्रिय है ।

8. असमिया

असम की प्रमुख भाषा असमिया है । असमिया भाषा के समाचारपत्र प्रकाशन संख्या और प्रचार-प्रसार की दृष्टि से अन्य भाषाओं के समाचारपत्रों के मुकाबले बहुत पिछड़े हुए हैं । असमिया भाषा के समाचारपत्रों में सबसे अधिक असम से प्रकाशित होते हैं । इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु तथा दिल्ली से भी प्रकाशित हो रहे हैं । गुवाहाटी से प्रकाशित 'दैनिक असम' असमिया पत्रों में अग्रणी रहा है । जोरहट से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र 'जन्मभूमि' प्राथमिक पत्रों में था । यह सन् 1947 में शुरु हुआ था।

9. कन्नड

कर्नाटक राज्य की प्रमुख भाषा कन्नड है और यहाँ से ही इस भाषा के अधिकांश समाचारपत्र प्रकाशित होते हैं । पिछले दशक तक कर्नाटक से कुल मिलाकर छह सौ इकसठ समाचारपत्र प्रकाशित हुए, शेष छब्बीस समाचारपत्र महाराष्ट्र, बारह तमिलनाडु, नौ आंध्रप्रदेश तथा गोवा, केरल, दिल्ली, दमन और दीव एवं पांडिचेरी से एक-एक निकले । सभी कन्नड दैनिक समाचारपत्र, द्विसाप्ताहिक तथा वार्षिक पत्र कर्नाटक, कर्नाटक में स्थित थे । कन्नड भाषा में चौदह बड़े, दस मझोले तथा दो सौ साठ छोटे समाचारपत्र थे । चौदह में से पाँच बड़े समाचारपत्रों की प्रसार संख्या एक-एक लाख प्रतियों से अधिक थी ।

बैंगलोर से प्रकाशित 'प्रजावाणी' ही एकमात्र कन्नड भाषा का दैनिक समाचारपत्र था, जिसकी प्रसार संख्या एक लाख प्रतियों से अधिक थी । बैंगलोर से ही प्रकाशित साप्ताहिक पत्र ' सुधा' प्रसार संख्या की दृष्टि से सबसे अग्रणी था । धारवाड़ से प्रकाशित ' सुबोध चंद्रिका' मासिक (1907) प्राचीनतम समाचारपत्र था । 'प्रजावाणी', 'कन्नड प्रभा', 'उदयवाणी', 'संयुक्त

कर्नाटक', 'कोडंभा', 'संजीवणी' तथा 'दिनाचारी दैनिक' कन्नड पत्रों में महत्वपूर्ण है। पत्रिकाओं उल्लेखनीय हैं।

10. उड़िया

उड़ीसा राज्य की प्रमुख भाषा उड़िया है और इस भाषा की प्रमुख पत्र-पत्रिकाएँ इसी-राज्य से प्रकाशित होती हैं । उड़िया में पत्रों की संख्या कम है । पिछले दशक तक उड़िया में तीन सौ बारह समाचारपत्र प्रकाशित हुए । इनमें सत्रह ऐसे दैनिक पत्र सम्मिलित थे जो सभी उड़ीसा राज्य प्रकाशित हुए। गैर दैनिक पत्रों में बयालीस साप्ताहिक, चौंतीस पाक्षिक तथा एक सौ पचपन मासिक, सैंतालीस त्रैमासिक और तेरह अन्य आवधिक पत्र थे । उड़ीसा राज्य सैकड़ों समाचारपत्रों के साथ उड़िया समाचारपत्रों का सबसे बड़ा प्रकाशक है । उड़िया पत्रों के अन्य प्रकाशक राज्य हैं- पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश । प्रसार संख्या में भी उड़िया समाचारपत्रों का मुख्य प्रकाशक उड़ीसा है ।

भारत में प्राचीनतम समाचारपत्रों में से एक कटक से प्रकाशित उड़िया दैनिक समाचारपत्र 'समाज' ने उड़िया समाचारपत्रों में अपना प्रमुख स्थान बनाए रखा । यह समाचारपत्र सन् 1915 में शुरू हुआ था । भुवनेश्वर से प्रकाशित 'सुचित्रा' मासिक प्रसार संख्या की दृष्टि से उड़िया भाषा का प्रमुख साप्ताहिक पत्र था। उड़िया भाषा के भारत का प्रमुख दैनिक पत्र हैं- 'समाज', 'प्रजातंत्र', 'संवाद', 'खबर कागज', 'प्रगतिवादी' आदि । पत्रिकाओं में 'सुचरिता' और 'पौरुष' लोकप्रिय हैं।

11. पंजाबी

पंजाबी पंजाब की प्रमुख भाषा है । पंजाबी भाषा का सबसे अधिक समाचारपत्र पंजाब से प्रकाशित होते हैं । उसके बाद दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर तथा राजस्थान से निकलते हैं । पिछले दशक में पांच सौ समाचारपत्र निकले उनमें से उनतीस दैनिक, एक द्वि साप्ताहिक पत्र था । अवधिक पत्रों में एक सौ बानवे साप्ताहिक, इकतालीस पाक्षिक, एक सौ तिहत्तर मासिक, बाईस त्रैमासिक तथा पंद्रह अन्य आवधिक पत्र थे । जालंधर से प्रकाशित दैनिक समाचारपत्र 'अजित' पंजाबी में एक मात्र बड़ा समाचारपत्र था । दिल्ली से प्रकाशित पंजाबी त्रैमासिक 'पंजाबी डाइजेस्ट' की प्रसार संख्या आवधिक पत्रों में सबसे अधिक थी ।

अमृतसर से प्रकाशित साप्ताहिक 'खालसा समाचार' सबसे प्राचीनतम पत्र था । यह सन् 1899 में शुरू हुआ था । पंजाबी भाषा के प्रमुख दैनिक पत्र 'अजित', 'पंजाबी ट्रिब्यून', ' जगतवाणी', 'अकाली पत्रिका' आदि हैं । 'कौमी रनजीत', 'संत सिपाही', 'सचित्र पंजाबी पत्रिका' आदि लोकप्रिय पत्रिकाएँ हैं।

12. संस्कृत

संस्कृत भारत की प्रमुख भाषा मानी जाती है, लेकिन इस भाषा के बोलनेवालों की संख्या बहुत कम है । संस्कृत के समाचारपत्र बहुत कम हैं और प्राय: पत्रिकाओं के रूप में उनका प्रकाशन होता रहता है ।

पूरे देश में पैंतीस समाचारपत्र राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रकाशित हो रहे हैं । सर्वाधिक संस्कृत समाचारपत्र उत्तर प्रदेश में प्रकाशित हो रहे हैं । उनके बाद महाराष्ट्र का स्थान रहा है । 'संस्कृत साहित्य परिषद्' संस्कृत का प्राचीनतम विद्यमान समाचारपत्र है जो कलकत्ता से सन् 1919 में प्रकाशित हुआ था ।

13. सिंधी

भारत विभाजन के बाद काफी संख्या में सिंधी भाषी नागरिक देश में आ बसे । उन्होंने व्यापार के क्षेत्र में काफी नाम कमाया और धीरे- धीरे यहाँ की संस्कृति में धुल-मिल गए । पिछले दशक में सिंधी के लगभग उनहत्तर समाचारपत्र प्रकाशित हुए । इनमें सात दैनिक बाईस साप्ताहिक, सात पाक्षिक तथा उनतीस मासिक, तीन त्रैमासिक और अन्य आवधिक पत्र सम्मिलित थे ।

महाराष्ट्र इकतीस समाचारपत्रों के साथ सिंधी के समाचारपत्रों का सबसे बड़ा प्रकाशक रहा। उसके बाद राजस्थान का स्थान था । सिंधी के दैनिक समाचारपत्रों में चार राजस्थान से, दो महाराष्ट्र से और एक गुजरात से प्रकाशित हुए । बंबई से प्रकाशित 'हिंदवासी' साप्ताहिक पत्र अपनी प्रसार संख्या में शीर्ष स्थान पर था । पूना से प्रकाशित साप्ताहिक ' इयाम' सिंधी भाषा का प्राचीनतम् पत्र है । यह सन् 1938 में प्रकाशित हुआ था । अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जहाँ से सिंधी पत्र प्रकाशित हो रहे हैं, वे हैं- गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली ।

14. तेलुगु

आंध्र प्रदेश की प्रमुख भाषा तेलुगु है और यहीं से सबसे अधिक संख्या में तेलुगु समाचारपत्र प्रकाशित होते हैं । इसके अतिरिक्त इस भाषा के पत्रों का प्रकाशन केन्द्र- तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, पांडिचेरी, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा एवं दमन व दीव है । इस समय तेलुगु समाचारपत्रों की संख्या लगभग पाँच सौ पचासी है । इनमें लगभग पाँच सौ उनचास तेलुगु समाचारपत्र आंध्रप्रदेश से प्रकाशित हो रहे हैं ।

हैदराबाद का 'नाडु' से तेलगु के दैनिक पत्रों में सबसे अधिक प्रसार संख्यावाला समाचार पत्र रहा है। साप्ताहिक पत्रों मे हैदराबाद से प्रकाशित 'आंध्र भूमि सचित्र बारा प्रसार संख्या में शीर्ष स्थान पर रहा है । मद्रास से प्रकाशित 'दुधवाणी'(1887) प्राचीनतम विद्यमान पत्र है । तेलुगु भाषा के प्रमुख दैनिक पत्र है- 'इनाडु', (आंध्र ज्योति', ' आंध्र प्रदेश', 'आंध्र प्रभा', 'आंध्र पत्रिका' आदि। पत्रिकाओं में 'आंध्र भूमि सचित्र बारा पत्रिका', 'ज्योति चित्रा', 'आंध्र ज्योति', 'वाला ज्योति', 'आंध्र सचित्र बारा' पत्रिका आदि उल्लेखनीय हैं ।

15. उर्दू

भारत में उर्दू भाषियों की संख्या भी बहुत अधिक है। पिछले दशक में उर्दू समाचारपत्र हिंदी, अंग्रेजी तथा बँगला समाचापत्रों के बाद देश में चौथा सबसे बड़ा संख्यात्मक समूह बना रहा। उर्दू के समाचारपत्र आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु से भी कमोवेश प्रकाशित हो रहे हैं । पिछले दशक में बिहार उर्दू दैनिक पत्रों का सबसे बड़ा प्रकाशक राज्य रहा ।

जालंधर से प्रकाशित उर्दू भाषा में 'हिंद समाचार' सर्वाधिक प्रसार संख्यावाला दैनिक पत्र रहा है । हैदराबाद से प्रकाशित 'मुशीर-ए-दक्कन' उर्दू भाषा का प्राचीनतम दैनिक पत्र है । यह पत्र सन् 1884 में शुरू हुआ था । उर्दू के दैनिक पत्रों में 'प्रताप', 'मिलाप', ' सियासत', 'रहनुमा-ए- दक्कन', 'रोजाना हिंद', ' आजाद हिंद', 'अखबार-ए-मशरिक', 'प्यारी उर्दू' आदि हैं । पत्रिकाओं में 'खातून-ए- मशरिक', 'मासिक शमा', 'मस्ताना' एवं 'कौमी आवाज' लोकप्रिय पत्रिकाएँ हैं ।

अन्य भाषाएँ

भारतीय समाचारपत्रों में स्थानीय भाषाओं की अपनी ही विशेषता है । अभी लगभग साठ विभिन्न भाषाओं में पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रहें हैं । इन समाचारपत्रों की संख्या बहुत कम है। उनकी विक्रय संख्या भी कोई उत्साहजनक नहीं है । विशेष रूप से यह पत्र-पत्रिकाएँ पाठक वर्ग की संख्या भी बहुत कम है । जन-सामान्य की दिलचस्पी भी नहीं होती, जो उनके प्रकाशन में अवरोध पैदा करता है । कुछ अन्य भाषाओं में पत्रिकाओं के अतिरिक्त दैनिक पत्रों का भी प्रकाशन किया जाता है, पर वे अधिक नहीं हैं ।

पत्र- पत्रिकाओं की विषय-वस्तु

समाचारपत्रों का प्रमुख उद्देश्य पाठक को किसी घटना की जानकारी देना है । चाहे वह राजनीतिक घटना हो या आर्थिक, सामाजिक हो या नैतिक । समाचारपत्र अब गाँवों की ओर भी मुड़ चुका है । पहले जहाँ खबरों को कस्बों से शहर में पत्रों के दफ्तर पहुँचने में सप्ताह-सप्ताह भर लग जाते थे वहीं ये दफ्तर गाँवों के मुख्यालय तक पहुँच गए हैं । अब गाँवों के चप्पे-चप्पे तक संवाददाताओं की पहुँच है । पहले पत्रों को खबरों के लिए सरकारी महकमों पर नजर गड़ाए रहना पड़ता था, पर अब सामान्य-सी घटना होने पर भी संवाददाता मौजूद हो जाते हैं । अब समाज के हर क्षेत्र की खबरें पत्रों में समाहित होती हैं । इसलिए दैनिक समाचारपत्रों में रोज-रोज की घटनाओं के समाचार होते हैं । लेकिन दैनिक घटनाओं के अलावा अन्य विषयों की जानकारी भी पाठकों की जरूरत को पूरा करने के लिए दैनिक समाचारपत्र तो प्रयास करते ही हैं, साथ ही अन्य पत्रिकाएँ भी विविध विषयों की जानकारी एकत्र कर पाठकों तक पहुँचाती हैं । इस प्रकार विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं की विषय- वस्तु भी अलग-अलग होती है ।

ऐसे आवधिक-पत्र भी हैं जो समाचार और सामयिक विषयों से संबंधित हैं । साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पत्रिकाओं की संख्या लगभग तीन हजार पचास है । इन श्रेणियों के अतिरिक्त धर्म और दर्शन, वाणिज्य और उद्योग, चिकित्सा और स्वास्थ्य, श्रम, अभियंत्रण, और प्रौद्योगिकी, विज्ञान, बाल फिल्म, खेलकूद, महिला शिक्षा, समाज कल्याण, बीमा, बैंकिंग और सहकारिता, कृषि और पशुपालन आदि से संबंधित पत्र-पत्रिकाओं का भी प्रकाशन हुआ । (भारतीय पत्रकारिता : कल, आज और कल)

15.8 कतिपय उपयोगी सारिणियाँ

100 वर्ष से अधिक पुराने भाषाई पत्र

S.No.	Particulars of the newspaper	Year pf

		Establishment
1.	Bombay Samachar, Gujrati Daily, Mumbai	1822
2.	Christ Church School(Bombay Education Society Magazine), Bilingual Annual, Mumbai	2825
3.	Jam-E-Jamshed, Gujarati Daily, Mumbai	1832
4.	The Times of India, English Daily, Mumbai	1838
5.	Calcutta Review, English Quality, Calcutta	1844
6.	Triunelveli Diocesan Magazine, Tamil Monthly, Triunelveli	1849
7.	Examiner, English Weekly, Mumbai	1850
8.	Guardian, English Fortnightly, Chennai	1851
9.	An Indian, Portugeese Weekly, Margao	1861
10.	Kheda Vartaman, Gujarati Weekly, Kaira	1861
11.	Belgaum Samachar, Marathi Weekly, Belgaum	1863
12.	Gujarat Mitra and Gujarat Darpan, Gujarsati Daily, Surat	1863
13.	Newmans Indian bradshaw, English Monthly, Calcutta	1865
14.	Pioneer, English Daily, Lucknow	1865
15.	Amrita Bazaar Patrika, English Daily, Calcutta	1868
16.	Setia Vartaman, Bilingual Monthly, Madurai	1870
17.	U.S.I Journal, English Quarterly, Delhi	1870
18.	Indian Witness, English Fortnightly, Delhi	1871
19.	Satya Sodhak, Marathi Weekly, Ratnagiri	1871
20.	Subhoda Patrika, Bilingual Quarterly, Mumbai	1873
21.	Bihar Herald, English Weekly, Patna	1874
22.	The Statesman, English Daily, Calcutta	1875
23.	Satyanadam, Bilingual Daily, Kpchi	1876
24.	Sub Staff, English Monthly, Chennai	1876
25.	The Hindu, English Daily, Chennai	1878
26.	Broach Samachar, Gujarati Weekly, Broach	1879
27.	Prabodha Chandrika, Marathi Weekly, Jalgaon	1880
28.	National Christian Council Review, English	1880

	Monthly, Mysore	
29.	Achhkni Repeno, Garo Monthly, Meghalaya	1881
30.	Kesari, Marathi Daily, Poona	1881
31.	Maharatta, English annual, Poona	1881
32.	The Tribune, English Daily, Chandigarh	1881
33.	Amaldar, Gujarati Quarterly, Mumbai	1882
34.	Simhanad, Marathi Monthly, Mumbai	1882
35.	Madras Christian Collage magazine, Bilingual Annual, Chennai	1883
36.	Musheer-E-Deccan, Urdu Daily, Hyderabad	1884
37.	Arya Gazette, Urdy Weekly, Delhi	1884
38.	Shri Jain Dharma Prakash, Gujrati Monthly, Bhavnagar	1886
39.	Deepika, Malayalam Daily, Kottayam	1887
40.	New Leader, English Weekly, Calcutta	1887
41.	Capital, English Weekly, Calcutta	1888
42.	Malayala Manorama, Malyalam Daily, Kottayam	1890
43.	Murshidabad Hiteshi, Bengali Weekly, Murshidabad	1893
44.	Chinnaria Bartabha, Bengali Weekly, Hoogly	1893
45.	Madhya Pradesh Sandesh, Hindi Fortnightly, Lashkar	1895
46.	Jain Gazete, Hindi Weekly, Lucknow	1895
47.	Yuddha Dhavani, Telugu Monthly, Madras	1897

CIRCULATION LEVEL

79 HIGHEST CIRCULATED PERIODICALS

S.No.	Name of the Periodical	Language & Periodicity	Place of Publication
1.	Malayala Manorama Weekly	Malayalam Weekly	Kottayam
2.	Mangalam	Malayalam Weekly	Kottayam
3.	The Saunday times Of India	English Weekly	Mumbai
4.	Kumudam	Tamil Weekly	Chennai
5.	The Sunday times Of India	English Weekly	Delhi
6.	Employment News	English Weekly	Delhi

7.	India Today	English Fortnightly	Delhi
8.	The Reade's Digest	English Monthly	Mumbai
9.	Vanitha	Malayalam Fortnightly	Kottayam
10.	Anand Vikatan	Tamil Weekly	Chennai
11.	Sputnik	Hindi Weekly	Chennai
12.	Star Dust	English Monthly	Mumbai
13.	Griha Shoba	Hindi Monthly	Delhi
14.	Balarama	Malayalam Fortnightly	Kottayam
15.	The Hindu Weekly	Magazine English	Chennai
			Weekly
16.	Chitralekha	Gujrati Weekly	Mumbai
17.	India Today	Hindi Fortnightly	Delhi
18.	Delhi Drishti Masik Patrika	Hindi Monthly	Delhi
19.	Swati	Telgu Weekly	Vijayawada
20.	Vaarantari Rani	Tamil Weekly	Chennai
21.	Junior Vikatan	Tamil Weekly	Chennai
22.	Meri Saheli	Hindi Monthly	Mumbai
23.	Kalyan	Hindi Monthly	Gorakhpur
24.	Sunday Statement (The)	English Weekly	Calcutta
25.	Cine Blitz	English Monthly	Mumbai
26.	Manorama Year Book	English Annual	Kottayam
27.	Rashtra Doot	Hindi Weekly	Jaipur
28.	Mangayar Malar	Tamil Monthly	Chennai
29.	Yug Nirmal Yojna	Hindi Fortnightly	Mathura
30.	Film Fare	English Monthly	Mumbai
31.	Nanda	Hindi Monthly	Delhi
32.	Sabda Tarang	Multilingual Monthly	Satara
33.	Sarita	Hindi Fortnightly	Delhi
34.	Yug Nirmal Yojna	Bilingual Monthly	Mathura
35.	Femina	English Fortnightly	Mumbai
36.	Sangrami Hatiar	Bengali Monthly	Calcutta
37.	Pratiyogita Darpan	Hindi Monthly	Agra
38.	Balabhumi Malayalam	Fortnightly	Kozhikode
39.	Super Sonic	Malayalam Weekly	Kollam

40.	Competition Refresher	English Monthly	Delhi
41.	Filmi Duniya	Hindi Monthly	Delhi
42.	Sudha	Kannada Weekly	Bangalore
43.	Kumudam Special	Tamil Monthly	Chennai
44.	Raviver	Oriya Weekly	Bhubaneshwar
45.	Business Word	English Fortnightly	Delhi
46.	Akshar Bharat	Hindi Weekly	Delhi
47.	Mathrubhumi Tozhil Varta	Malyalam Weekly	Kozhikode
48.	Devi	Tamil Weekly	Chennai
49.	The Week	English Weekly	Ernakulam
50.	Out Look	English Weekly	Delhi
51.	Grih Shobhika	Marathi monthly	Delhi
52.	Student Company Secretary	English Monthly	Delhi
53.	KamarExpress	Hindi Weekly	Delhi
54.	Savvy	English Monthly	Mumbai
55.	Taranga	Kannada Weekly	Manipal
56.	Business Today	English Fortnightly	Delhi
57.	Annadata	Telugu Monthly	Hyderabad
58.	The Samaj	Oriya Weekly	Cuttak
59.	Mhilaratnam	Malayalam Monthly	Kollam
60.	Sunday Mid-day	English weekly	Mumbai
61.	Chitra Lekha	Marathi Weekly	Mumbai
62.	Patheya Kan	Hindi Fortnightly	Jaipur
63.	Grih Sobha	Kannada Monthly	Delhi
64.	Sneha Sena	Malayalam Monthly	Kottayam
65.	India Today	Tamil Fortnightly	Delhi
66.	Deviyin Kanmani	Tamil Monthly	Chennai
67.	India Today	Malyalam Fortnightly	Delhi
68.	Civil Service Chronicle	Hindi Monthly	Delhi
69.	Civil Service Chronicle	English Monthly	Delhi
70.	Business India	English Fortnightly	Mumbai
71.	Sandhya Times Dinman Times Samahit	Hindi Weekly	Delhi

72.	Health and Nuitrition	English Monthly	Mumbai
73.	Janmabhunai Pravashi	Gujrati Weekly	Mumbai
74.	The Chartered Accountant	English Monthly	Delhi
75.	Karma Sangsthan	Bengali Weekly	Calcutta
76.	Arogya Dham	Hindi Trimonthly	Muzaffaran agar
77.	Khabardar India	Hindi Weekly	Delhi
78.	Rozgar Samachar	Hindi Weekly	Delhi
79.	Atma Bal	Marathi Weekly	Yavatmal

LIST OF BIG AND MEDIUM PAPERS 1998

BIG DAILIES

Title	**Language**	**Place of Publication**
Andhra Pradesh		
Eenadu	Telugu	Hyderabad
The Deccan Chronicle	English	Secunderabad
Eenadu	Telugu	East Godavri
The Hindu	English	Hyderabad
Assam		
Asomiya Pratidin	Assamese	Guwahati
Bihar		
Hindustan	Hindi	Patna
Aj	Hindi	Patna
The Aryavarta	Hindi	Patna
Chandigarh		
The Tribune	English	Chandigarh
Indian Express	English	Chandigarh
Delhi		
Hindustan Times	English	Delhi
The Times Of India	English	Delhi
Navbharat Times	Hindi	Delhi
Hindustan	Hindi	Delhi
Rashtriya Sahara	Hindi	Delhi
Roudramukhi Swar	Hindi	Delhi

Dainik Jagran	Hindi	Delhi
The Economic times	English	Delhi
Sandhya Times	Hindi	Delhi
Jadeed In Dinon	Urdu	Delhi
Gujarat		
Gujarat Samachar	Gujarati	Ahmedabad
Sandesh	Gujarati	Ahmedabad
Gujarat Vaibhav	Hindi	Ahmedabad
Sandesh	Gujarati	Baroda
Sandesh	Gujarati	Rajkot
Sandesh	Gujarati	Surat
Gujarat Samachar	Gujarati	Baroda
Gujarat Samachar	Gujarati	Rajkot
Phul Chhab	Gujarati	Rajkot
The Times Of India	English	Ahmedabad
Haryana		
Punjab Kesari	Hindi	Ambala
Jammu Kashmir		
Kashmir Times	English	Jammu
Excelsior	English	Jammu
Karnataka		
Prajavani	Kannada	Bangalore
Deccan Herald	English	Bangalore
Samyukta Karnataka	Kannada	Hubli
Times Of India	English	Bangalore
Indian Express	English	Bangalore
Kannada Prabha	Kannada	Bangalore
Kerala		
Malayala Manorama	Malayalam	Kottayam
Malayala Manorama	Malayalam	Kochi
Malayala Manorama	Malayalam	Kozhikode
Mathrubhumi	Malayalam	Calicut
Mathrubhumi	Malayalam	Thrissur
Mathrubhumi	Malayalam	Trivandrum

Mathrubhumi	Malayalam	Kochi
Mathrubhumi	Malayalam	Trivandrum
Kerala Kaumadi	Malayalam	Trivandrum
Mathrubhumi	Malayalam	Kottayam
Maharashtra		
The Times of India	English	Mumbai
Navakal	Marathi	Mumbai
Sakal	Marathi	Pune
Loksatta	Marathi	Mumbai
Maharashtra Times	Marathi	Mumbai
Sandhyanand	Marathi	Pune
Dainik Lokmat	Marathi	Aurangabad
Gujrat Samachar	Gujarati	Mumbai
Navbharat Times	Hindi	Mumbai
Lokmat	Marathi	Nagpur
Nava Bharat	Hindi	Navi Mumbai
Mid-Day	English	Mumbai
Apla Vartahar	Marathi	Mumbai
The Nava Bharat	Hindi	Nagpur
The Economic Times	English	Mumbai
Mumbai Chaufer	Marathi	Mumbai
The Indian Express	English	Mumbai
Roudra Mukhi Swar	Hindi	Nagpur
Ratnagiri Times	Marathi	Ratnagiri
Maddya Pradesh		
Nai Duniya	Hindi	Indore
Roudra Mukhi Swar	Hindi	Raipur
Roudra Mukhi Swar	Hindi	Bhopal
Roudra Mukhi Swar	Hindi	Jagdalpur
Roudra Mukhi Swar	Hindi	Jabalpur
Roudra Mukhi Swar	Hindi	Korba
Roudra Mukhi Swar	Hindi	Drug
Roudra Mukhi Swar	Hindi	Rajnandgaon
Roudra Mukhi Swar	Hindi	Bilaspur

Roudra Mukhi Swar	Hindi	Raipur
Agradoot	Hindi	Raipur
Roudra Mukhi Swar	Hindi	Sagar
Dainik Bhaskar	Hindi	Bhopal
Kall Ratri Times	Hindi	Raipur
Roudra Mukhi Swar	Hindi	Chindwara
Nava Bharat	Hindi	Raipur
Navabharat	Hindi	Jabalpur
Orissa		
Matrubhasa	Oriya	Cuttack
Dharitri	Oriya	Bhubaneswar
Bartaman Samachar	Oriya	Bhubaneswar
Prajatantra	Oriya	Cuttack
Prigtivadi	Oriya	Bhubaneswar
Utkal Mail	Oriya	Rourkela
Roudra Mukhi Swar	Hindi	Sambalpur
Roudra Mukhi Swar	Hindi	Bhubaneswar
Sambed	Oriya	Bhubaneswar
Punjab		
Punjab Kasri	Hindi	Lalandhar
Ajit	Punjabi	Jalandhar
Jag Bani	Punjabi	Jalandhar
Ajit Samachar	Hindi	Jalandhar
Akali Patrika	Punjabi	Jalandhar City
Rajasthan		
Rajasthan Patrika	Hindi	Jaipur
Dainik Bhaskar	Hindi	Jaipur
Rashtradoot	Hindi	Jaipur
Dainik Bhaskar	Hindi	Jodhpur
Rajasthan Patrika	Hindi	Udaipur
Rajasthan Patrika	Hindi	Jodhpur
Navajyoti	Hindi	Kota
Tamil Nadu		
The Hindu	English	Chennai

The Daily Thanthi	Tamil	Chennai
Dinakaran	Tamil	Chennai
The Hindu	English	Coimbatore(Ptg.)
Dinamani	Tamil	Chennai
Uttar Pradesh		
Rashtriya Sahara	Hindi	Lucknow
The Daily Jagran	Hindi	Kanpur
Aj (The)	Hindi	Kanpur
Amar Ujala	Hindi	Meerut
Amar Ujala	Hindi	Agra
Jagran	Hindi	Varanasi
Aj	Hindi	Varanasi
Dainik Jagran	Hindi	Meerut
Jagran	Hindi	Lucknow
West Bengal		
Anand Abzar Patrika	Bangali	Calcutta
Bartamal	Bangali	Calcutta
The Telegraph	Bangali	Calcutta
Sambad Pratidin	Bangali	Calcutta
All India Appointment	English	Calcutta
Gazette	English	Calcutta
Statement	English	Calcutta
Aajkaal	Bangali	Calcutta
Ganashakti	Bengali	Calcutta
The Asian Age	English	Calcutta
Uttar Banga Sambad	Bengali	Darjeeling

BIG PERIODICALS

Tittle	Language	Periodicity	Place Of Publication
Andhra Pradesh			
Swati	Telugu	Weekly	Vijaywada
Annadata	Telugu	Monthly	Hyderabad
Wonder World	Telugu	Monthly	(Ptg. Place)
Assam			

Sadin	Assemese	Weekly	Guwahati
Chandigarh			
Indian Express Classified	English	Weekly	Chandigarh
Delhi			
The Sunday Time Of India	English	Weekly	Delhi
Employment News	English	Weekly	Delhi
Indian Today	English	Fortmighly	Delhi
Grih Shobha	Hindi	Monthly	Delhi
India Today	Hindi	Monthly	Delhi
Anadan	Hindi	Monthly	Delhi
Satira	Hindi	Fortnightly	Delhi
Competition Refresher	English	Monthly	Delhi
Filmi Dunya	English	Monthly	Delhi
Business Workd	English	Fortnightly	Delhi
Akshar Bharat	Hindi	Weekly	Delhi
Outlook	English	Weekly	Delhi
Grih Shobhika	Marathi	Monthly	Delhi
Student Company Secretary	English	Monthly	Delhi
Business Today	English	Fortnightly	Delhi
Grih Shobha	Kannada	Monthly	Delhi
India Today	Tamil	Fortnightly	Delhi
India Today	Malyalam	Fortnightly	Delhi
Civil Services Cronicle	Hindi	Monthly	Delhi
Civil Services Chronicles	English	Monthly	Delhi
Sandhya Times	Hindi	Daily	Delhi
The Chartered Accountant	English	Monthly	Delhi
Khabardar India	Hindi	Weekly	Delhi
Rozgar Samachar	Hindi	Weekly	Delhi
Cricket Samrat	Hindi	Monthly	Delhi
Udai Pharat	Hindi	Monthly	Delhi
Junior Science Refresher	English	Monthly	Delhi
Women's Era	English	Fortnightly	Delhi
India Today	Telugu	Fortnightly	Delhi
Kadambini Masik	Hindi	Monthly	Delhi

Parakashan			
Filmi Kaliyan	Hindi	Monthly	Delhi
Punjabi Degest	Punjabi	Monthly	Delhi
Champak	Hindi	Monthly	Delhi
Khabar Khukala	Hindi	Monthly	Delhi
Mahalaxmi Bhagyodaya	Hindi	Monthly	Delhi
Gujrat			
The Sunday Times of India	English	Weekly	Ahmedabad
Karnataka			
Sudha	Kannada	Weekly	Bangalore
Taranga	Kannada	Weekly	Manipal
The Sunday Times of India	English	Weekly	Bangalore
The Hindu Weekly	English	Weekly	Bangalore(Ptg.)
Kerala			
Malayala Manorama	Malayalam	Weekly	Kottayam
Mangalam	Malayalam	Weekly	Kottayam
Vanitha	Malayalam	Fortnightly	Kottayam
Balarama	Malayalam	Fortnightly	Kottayam
Balabhuni	Malayalam	Fortnightly	Kozhikode
Varthaa	Malayalam	Weekly	Kozhikode
The Week	English	Weekly	Ernakulam
Mahilaratnam	Malayalam	Monthly	Kollam
Sneha Sena	Malayalam	Monthly	Kottayam
Malayala Manotama Varshhikapathippu	Malayalam	Annual	Kottayam
Kalikkudukka	Malayalam	Fortnightly	Kottayam
Rashtra Deepika Cinema	Mal	Weekly	Kottayam
Nana	Malayalam	Weekly	Trivandrum
Balamgangalam	Malayalam	Fortnightly	Kottayam
Kerala Sabdam	Malayalam	Weekly	Kollam
Maharshtra			
The Sunday Times Of India	English	Weekly	Mumbai
The Reader’s Digest	English	Monthly	Mumbai
Stardust	English	Monthly	Mumbai

Chitra Lekha	Jugrati	Weekly	Mumbai
Meri Saheli	Hindi	Monthly	Mumbai
Cine Blitz	English	Monthly	Mumbai
Filmfare English	Multilingu	Monthly	Mumbai
Sabda Tarang	A	Monthly	Satara
Femina	English	Fortnightly	Mumbai
Savvy	English	Monthly	Mumbai
Sunday Mid-Way	English	Weekly	Mumbai
Chitralekha	Marathi	Weekly	Mumbai
Bisiness India	English	Fortnightly	Mumbai
Health and Nutrition	English	Weekly	Mumbai
Janmabhoomi Pravasi	Gujrati	Weekly	Mumbai
Atmabal	Marathi	Weekly	Yavagmal
Society	English	Monthly	Mumbai
Jee	Gujrati	Monthly	Mumbai
Abhiyan	Gujrati	Weekly	Mumbai
Auto India	English	Monthly	Mumbai
Lokaparabha	Marathi	Weekly	Mumbai
Arogya Sanjivini	Hindi	Quarterly	Mumbai
Madhya Pradesh			
Saputnik	Hindi	Weekly	Indore
Roudramukhi Swar	Hindi	Weekly	Raipur
Sahkar Drishti	Hindi	Weekly	Raipur
Cine Amarpali	Hindi	Weekly	Indore
Orissa			
Ravivay	Oriya	Weekly	Bhubaneshwar
The Samaj	Oriya	Weekly	Cuttack
Punjab			
Ghar Shingar	Punjabi	Monthly	Habha
The Hehram	Punjabi	Monthly	Bbha
Khalsa Advocate	Punjabi	Weekly	Amritsar
Rajasthan			
Rashtra Doot	India	Weekly	Jaipur
Patheya Kan	Hindi	Fortnightly	Jaipur

Bal Hans	Hindi	Fortnightly	Jaipur
Tamil Nadu			
Kumudam	Tamil	Weekly	Chennai
AnandVikatan	Tamil	Weekly	Chennai
The Hindu Weekly Magzine	English	Weekly	Chennai
Vaaraantari Rani	Tamil	Weekly	Chennai
Junior Vikatan	Tamil	Weekly	Chennai
Mangayar Malar	Tamil	Monthly	Chennai
Kumudam Special	Tamil	Monthly	Chennai
Devi	Tamil	Weekly	Chennai
Deviyian	Tamil	Monthly	Chennai
Rani Muthu	Tamil	Monthly	Chennai
Kalkandu	Tamil	Weekly	Chennai
The Hindui Weekly	English	Weekly	(Ptg. Place)
Thuglak	Tamil	Fortnightly	Chennai Bdurai
The Hindu Weekly	English	Weekly	(Ptg. Place)
Sport Star	English	Weekly	Chennai
Uttar Pradesh			
Kalyam	Hindi	Monthly	Gorakhpur
Yog Nirmal Yojna	Hindi	Fortnightly	Mathura
Yog Nirmal Yojna	Bilingual	Monthly	Mathura
Prtiyogita Dharpan	Hindi	Monthly	Agra
Arogyam Dham	Hindi	Trimonthly	Muzaffarnagar
Jai Manav	Hindi	Weekly	Basti
Aji Manavi	Hindi	Monthly	Bagar Basti
West Bangal			
Sunday Statement	English	Weekly	Calcutta
Sangrami Hatiar	Bengali	Monthly	Calcutta
KarmaSangsthaan	Bengali	Weekly	Calcutta
Sananda	Bengali	Fortnightly	Calcutta
Saptahiki Bartman	Bengali	Weekly	Calcutta

Mdium Dailies

Tieal	Language	Place Of Publication

Andhra Pradesh

Varthamanam	Telugu	Hyderabad
Patrika	Telugu	Hyderabad
Eenadu	Telugu	Visakhapatnam
Vijaybhanu	Telugu	Visakhapatnam
Eenadu	Telugu	Nantapur
Eenadu	Telugu	Guntur

15.9 सारांश

भारत में पत्रकारिता का इतिहास पुराना है । भाषाई पत्रकारिता से अभिप्राय विभिन्न भाषाओं की पत्रकारिता से है। भाषाई पत्रकारिता के विविध रूप हैं और इसका क्षेत्र अत्यन्त विशाल हैं। हिन्दी अंग्रेजी की पत्रकारिता के साथ-साथ मलयालम, बंगला, गुजराती, मराठी, तमिल आदि अनेक भाषाओं की पत्रकारिता भी उच्चस्तरीय और समृद्ध है । विभिन्न उपभाषाओं और बोलियों में निकलने वाली पत्र-पत्रिकाओं का भी कोई कम महत्व नहीं है । सभी भाषाओं के पत्र और पत्रिकाएँ जानकारी, मनोरंजन, जनचेतन आदि की संवाहक हैं। हर भाषा उपभाषा, बोली कीं पत्रकारिता का अपना इतिहास है। कोई भी पत्र या पत्रिका नई हो या पुरानी जल्दी ही देश की मुख्य धारा से जुड़ जाती है। भारत की भाषाई पत्रकारिता का अत्यधिक महत्व है और इसका भविष्य उज्जवल है ।

15.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

भाषाई पत्रकारिता और जनसंचार	डॉ. विष्णु पंकज
भारत में हिन्दी पत्रकारिता	प्रो. रमेश जैन
आधुनिक पत्रकारिता	डॉ. अर्जुन तिवारी
हिन्दी पत्रकारिता	डॉ. वेदप्रताप वैदिक
हिन्दी पत्रकारिता	डॉ. कृष्ण बिहारी मिश्र
समाचारपत्रों का इतिहास	राधाकृष्णदास
मास कम्युनिकेशन एण्ड जर्नलिज्म इन इण्डिया	डॉ. एस. मेहता
व्यावसायिक पत्रकारिता	प्रो. रमेश जैन
भारतीय पत्रकारिता : कल, आज और कल	सुरेश गौतम, वीणा गौतम
हिन्दी पत्रकारिता कल, आज और कल	प्रो. रमेश जैन

15.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. भाषाई पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं?
2. भारत में भाषाई पत्रकारिता की क्या स्थिति हैं?
3. किन्ही दस भाषाई दैनिक पत्रों के नाम लिखिए?
4. भाषाई पत्रों की संप्रेषण-शक्ति पर अपने विचार प्रकट कीजिए?

5. भाषाई पत्रों की जनमत में क्या भूमिका है? अपने विचार विस्तार से लिखे ।
6. भाषाई पत्रकारिता के महत्व पर निबंध लिखिए?
7. बंगला, मलयालम, गुजराती अथवा मराठी के एक दैनिक पत्र और सावधिक पत्रिका पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए।

इकाई 16 ग्रामीण जनसंचार में इलेक्ट्रोनिक माध्यमों का योगदान

इकाई की रूपरेखा

16.0 उद्देश्य
16.1 प्रस्तावना
16.2 जनसंचार अधिकार बराबर
16.3 ग्रामीण और शहरी जनजीवन में अंतर
16.3.1 शैली
16.3.2 शिक्षा
16.3.3 स्वास्थ्य
16.3.4 मान्यताएँ
16.3.5 आर्थिक स्थिति
16.3.6 सहभागिता के अवसर
16.4 अंधेरे से बाहर कौन निकाले?
16.5 जनसंचार एक मात्र विकल्प
16.6 दो प्रमुख इलेक्ट्रानिक माध्यम ग्रामीण विकास में
16.6.1 रेडियो
16.6.2 टेलीविजन और फिल्म
16.7 जनसंचार माध्यमों के प्रमुख दायित्व
16.7.1 बौद्धिक
16.7.2 सामाजिक
16.8 भारतीय संदर्भ
16.9 भारतीय ग्रामीण जीवन की अपनी शान
16.10 पीरवर्तन बनाम परंपरा
16.11 रेडियो का कितना योगदान?
16.12 टेलीविजन/फिल्म का कितना योगदान?
16.13 करवट लेता ग्रामीण परिवेश
16.14 निर्बाध संचार क्रांति
16.15 सारांश
16.16 कुछ उपयोगी पुस्तकें
16.17 निबंधात्मक प्रश्न

16.0 उद्देश्य

इस इकाई का उद्देश्य 'ग्रामीण जनसंचार में इलेक्ट्रानिक माध्यमों का योगदान' पर प्रकाश डालना है । ग्रामीण विकास में इलेक्ट्रानिक जनसंचार माध्यमों का क्या योगदान हो सकता है, इन दृष्टि से आज आप इस इकाई में निम्न बिन्दुओं पर यथेष्ट जानकारी प्राप्त करेंगे ।

- ग्रामीण और शहरी जन जीवन में अंतर
- अंधेरे से बाहर कौन निकाले ? जनसंचार एक और विकल्प
- तीन प्रमुख इलेक्ट्रानिक माध्यम, ग्रामीण, विकास में रेडियो, फिल्म एवं टेलीविजन
- तीनों द्वारा जनसंचार माध्यमों का कितना योगदान?
- करवट लेता ग्रामीण परिवेश
- निर्बाध संचार क्रांति
- आने वाला कल

इसके अलावा आप ग्रामीण विकास और जनसंचार के अन्य पक्षों से भी परिचित हो सकेंगे । ग्रामीण विकास में इलेक्ट्रानिक जनसंचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? इन्हीं से संबद्ध कुछ प्रश्नों को इस इकाई मे विवेचित किया गया है ।

16.1 प्रस्तावना

ज्ञान जीवन का शाश्वत सत्य है । ज्ञान की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं । उसका प्रवाह कालातीत माना जा सकता है । कहने को लोग आज भी अज्ञान को एक वरदान कहा करते हैं । लेकिन सच पूछा जाए तो मानवता के लिए अज्ञान से बड़ा और कोई अभिशाप नहीं होता । अगर अज्ञान कभी वरदान रहा भी होगा तो पाषाण युग में । जब आदमी की आवश्यकताएं सीमित थीं, उसकी महत्वाकांक्षाएं नगण्य थी, तब उसकी इच्छाओं का तो प्रश्न ही नहीं उठता था । इच्छा ज्ञान की पहली सीढ़ी है । जब वही नहीं रही तो पाषाण युगीन आदमी का भविष्य के प्रति कोई मोह नहीं रहा । वास्तव में ज्ञान-अज्ञान की कुछ नई जानकारी प्राप्त करने की इच्छा ही अंधेरे खजानों को खोज कर हमें नई रोशनी के खुले प्रांगण में ले जाती है । नवीनता अपने अंदर आकर्षण का समुद्र समेटे रखती है । एक बार नवीनता के संपर्क में आ जाने के बाद ज्ञान का खजाना हमें छोड़ता नहीं । मानवता के क्रमिक विकास की आधारशिला ज्ञान के इसी अनंत खोज पर टिकी हुई है ।

अगर ज्ञान की यह खोज नहीं होती तो आज हम तकनीक और विज्ञान के नित नए आविष्कारों का सुख कदापि नहीं भोग पाते । एक छोटे-से सुदूर बसे गाँव के लोग घर बैठे अपने से हजारों किलोमीटर दूर किसी विकसित देश की गतिविधियों को कभी ग्रहण नहीं कर पाते । आज पलक झपकते सारी दुनिया सूचना के एक धागे में बंध जाती है । यह संभव मनुष्य की ज्ञान की ललक ने किया है । दूसरे शब्दों में विश्वबंधुत्व की भावना उसी कारण साकार हो रही हैं ।

ज्ञान की इस सरस मंदाकिनी को प्रवाहित करने में बढ़ चढ़कर मार्गदर्शन जनसंचार के माध्यमों का रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं । समाचारपत्र की इस संदर्भ में भूमिका को

नजरअंदाज नहीं किया जा सकता । मगर उसे अपने पाठक तक पहुंचने में कुछ समय लगता है । फिर अपनी बात हर पाठक को समझाने में भी कुछ विवशताएं उसका रास्ता रोक लेती हैं । जबकि जनसंचार के अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम रेडियो और टेलीविजन (या फिल्म) अपनी बात तत्काल श्रोता या दर्शक तक पहुंचा देते हैं । गांव हो या शहर इन सशक्त माध्यमों ने दूरियों को पाट दिया है । यही कारण है कि आज पूरा विश्वास अपनी ज्ञान की पिपासा शांत करने के लिए इन पर अधिकाधिक निर्भर रहने लगा है।

16.2 जनसंचार : अधिकार बराबर

जहां तक नई जानकारी प्राप्त करने और ताजा हलचलों से अवगत होने का प्रश्न है तो उसका अधिकार सबको समान रूप से सुलभ है । सामाजिक स्तर, शिक्षा और आर्थिक स्थितियां किसी वर्ग विशेष को उस अधिकार से वंचित नहीं रख सकती । अमीर और गरीब के बीच की खाई को इस दृष्टि से धीरे-धीरे जनसंचार की उतनी ही आवश्यकता है जितनी की शहर में रहने वाले एक नागरिक को । वह एक जमाना भी रहा जब जनसंचार के इलेक्ट्रानिक सिग्नल सिर्फ सम्पन्न परिवारों तक ही सीमित रहा करते थे । पहले रेडियो या ट्रांजिस्टर और उनके बाद टेलीविजन सम्पन्नता के सूचक माने जाते थे । लेकिन संचार क्रांति की बदौलत वह एकाधिकार काफूर हो गया और विश्व की ग्रामीण जनता भी छक कर उन माध्यमों का आनंद उठाने लगी । सामान्यत: शिक्षा, मनोरंजन और सूचना ग्रामीण इन इलेक्ट्रानिक माध्यमों के कार्यकलाप होते हैं । और जब किसी को घर बैठे इस जनसंचार की त्रिवेणी में जी कर जनसंचार में डुबकी लगाने का स्वर्णिम अवसर मिले तो भला कोई क्यों उससे परहेज करेगा । नि:संदेह शिक्षा, मनोरंजन और सूचना विश्व समुदाय को अपरिहार्य तत्व बनते जा रहे हैं । उनके बिना किसी सभ्य समाज की कल्पना तक नहीं कि जा सकती। यह शुभ परिवर्तन जनसंचार से ही मुमकिन हुआ है। जनसंचार के माध्यम अपना कार्यक्रम प्रसारित करते हुए श्रोता वर्गो में कोई भेद नहीं करते। वे मान कर चलते हैं कि उन्हें सुनने या देखने का अवसर हर वर्ग को समान रूप से उपलब्ध है।

समय का तकाजा

परिवर्तन मनुष्य को प्रिय रहा है । परिवर्तन के बिना मानवता विकास के रास्ते पर एक कदम न चल पाती है। हम किसी भी सभ्यता और संस्कृति की गहराई में झांक कर देखें, वहां परिवर्तन की छटपटाहट ही मिलेगी। परिवर्तन का यह सिलसिला किसी न किसी दौर से जनसंचार ने ही शुरू किया । कुछ नया ज्ञान प्राप्त करने की उत्कण्ठा की प्यास इसी जनसंचार ने ही बुझाई। समय का सदैव यही तकाजा रहा कि परिवर्तन का स्वागत करने के लिए लोगों ने अपने दिमागी दरवाजे खुले रखे । तभी जनसंचार वहां अपना असरदार मार्गदर्शन कर सका । परिवर्तन प्रगति का प्राण है । जनसंचार के रथ पर सवार होकर यह प्रगति निर्बाध चला करती है । परिवर्तन की मुक्त हवाओं से ही सभ्यता निखरा करती है । अगर कोई अपने घर की हर खिड़की और दरवाजा बद कर देगा तो स्वच्छ हवा के बिना उसका दम घुट जाएगा । इसीलिए विद्वान चिंतकों की सलाह रही है कि परिवर्तन को कभी रोकने की कोशिश न करें । परिवर्तन वक्त का तकाजा होता है और उस परिवर्तन को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जनसंचार के इलेक्ट्रानिक माध्यम अर्थात् रेडियो और टेलीविजन बखूबी निभा सकते हैं।

16.3 ग्रामीण और शहरी जनजीवन में अंतर

16.3.1 शैली

आम तौर पर देखा गया है कि गांव और शहर में रहने वाले लोगों के बीच कई मोटे अंतर पाए जाते हैं। क्योंकि विज्ञान और तकनीक का बीजारोपण शहरों में स्थित बड़ी- बड़ी प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केन्द्रों में होता है, इसलिए पहले नंबर पर उसका फायदा वहीं कि निवासियों को मिलना स्वाभाविक है । शहरवासी इन नई सुविधाओं का फायदा उठाकर संपन्नता की दौड़ में गांव वालों से बहुत आगे निकल जाते हैं । तभी तो उनकी जीवन शैली शानदार बंगलों, कार, टेलीफोन और फैशन की तड़क-भड़क के इर्दगिर्द घूमने लग जाती है । पैसे के पीछे होने वाली भागमभाग उन्हें चैन नहीं लेने देती । उनकी व्यस्तता के सामने वक्त पंख लगाकर उड़ने लगता है । बहुत बार उनके व्यवहार पर दिखावे का आवरण चढ़ा मिलता है । उसके विपरीत ग्रामीण अंचल में रहने वालों का जीवन सुविधाहीन होता है । विज्ञान और तकनीकी विकास उनके पास पहुंचने में देर लगती हैं । अतएव अपेक्षाकृत ग्रामीण जन- जीवन की शैली में दिखावे की ग्रंथियां नहीं होती । उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता । गांव की जीवन शैली साफ सुथरी होती हैं । एक- दूसरे की मदद करने के लिए ग्रामीण हमेशा तत्पर रहता है । जबकि शहरों में परोपकार की ऐसी भावना अपवाद स्वरूप मिलती है । संतोष जितना गांवों में दिखाई देगा, शहरों में नहीं ।

16.3.2 शिक्षा

ग्रामीण और शहरी जन जीवन में भारी अंतर शिक्षा के कारण आता है । शिक्षा वह शक्ति है जो मनुष्य के जीवन को आमूलचूल बदल देती है । ग्रामीणों को शिक्षा की वे सुविधाएं सहजता से सुलभ नहीं होती जो शहर में रहने वाले एक नागरिक को होती है । स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थाओं का जाल शहरों में बिछा रहता है । जबकि गांवों में नाममात्र के लिए ऐसी संस्थाएं होती हैं । जो होती भी है वे अकादमिक और प्रशासन की दृष्टि से उपेक्षित रहती हैं । अभाव ग्रस्त बौद्धिक स्तर पर गाँव का शिक्षित शहरवासी का मुकाबला नहीं कर सकता । पीरणामस्वरूप जीवन और समसामयिक प्रसंगों को लेकर ग्रामीणों का दृष्टिकोण काफी संकुचित रहता है । शिक्षा हर विषय का गहराई से ज्ञान कराती है । वह व्यक्ति को नीर-क्षीर का विवेक भी प्रदान करती हैं । जनसंचार का संदेश इसी कारण शहरों में शीघ्रता के साथ ग्रहण कर लिया जाता है, जबकि ग्रामीण अंचलों में वह लोगों की पकड़ में नहीं आता । अत: ग्रामीण पर्यावरण शिक्षा-स्तर को ऊंचा उठाए बिना जनसंचार की शत- प्रतिशत उपादेयता वहां सफल नहीं हो सकती।

16.3.3 स्वास्थ्य

शिक्षित होने का सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ता है । सारी दुनिया दिन पर दिन संक्रमण और प्रदूषण के शिकंजे में जकड़ती जा रही है । नित नई बीमारियों का हमारे बीच प्रस्फुटन हो रहा हैं । कैंसर से अभी छुटकारा मिला नहीं कि मानवता को एड्स के प्राणलेवा रोग

ने धर दबोचा । अपने आपको वर्ष पर्यन्त स्वस्थ और निरोग बनाए रखना कठिन चुनौती बन चुका है । शहर में रहने वाला एक आदमी इस मामले में भी ग्रामीण से बाजी मार जाता है । स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उसे जितनी उपलब्ध हैं, ग्रामवासी को नहीं । वह हर बीमारी की गहन जांच करवा सकता है, विशेषज्ञ डॉक्टर से उसका निदान करवा सकता है और जीवनरक्षक औषधियों से इलाज करवा सकता है । परन्तु विकसित देशों के गांवों तक में भी स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण सेवाओं का अभाव रहता है । एक ग्रामीण को जब तक किसी गंभीर बीमारी का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है । दौड़ भागकर वह शहरी अस्पतालों तक पहुँचता तो है, लेकिन कीमती दवादारू का बोझ उसकी हिम्मत को तोड़ कर रख देता है । किसी ने गलत नहीं कहा है, स्वस्थ मन स्वस्थ तन में ही निवास करता है । रेडियो और टेलीविजन का जनसंचार एक स्वस्थ ग्रामीण समाज में हाथोंहाथ स्वीकार किया जाएगा ।

16.3.4 मान्यताएं

थोडी देर के लिए यदि जीवन शैली, शिक्षा के स्तर और स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर को भुला भी दे तो ग्रामीण और शहरी नागरिकों को एक-दूसरे से अलग उनकी मान्यताएं कर देती हैं। बेशक ये मान्यताएं ही उन्हें अपनी पहचान देती हैं । सर्वविदित है कि शिक्षा और जनसंचार की तत्परता की वजह से एक शहरी नागरिक की सोच खुली हो जाती है । उसे परंपराओं से उतना लगाव नहीं होता । वह अपने नजरिए से जीवन के मूल्य ढालता है और परिस्थितियों के अनुरूप पूरे विवेकपूर्ण ढंग से आचरण करता है । बदलाव उसकी दैनिक जिंदगी का चरित्र बन जाता हैं । वैसे भी शहर की रफ्तार उसे चाहकर भी स्थिर रहने नहीं देती । वह रुकना चाहे तो भी रुक नहीं पाता । अगर रुका तो तरक्की की दौड़ में वह पिछड़ जाएगा । शहरी नागरिक आज इतना बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं है । दूसरी तरफ एक ग्रामीण नागरिक कुल मिलाकर सदियों से चली आ रही परम्पराओं में पड़ा रहता है । उसके सामने तरक्की के उतने अवसर नहीं होते । रूढ़ियों, अंधविश्वास और झूठी मान्यताओं के बीच घिरा वह महत्वाकांक्षा के बजाय जो कुछ है, उसी में गुजारा कर लेता है । दो जून की रोटी और परिवार का न्यूनतम सुख अगर उसका एकमात्र उद्देश्य बन जाता हैं तो शहरी नागरिक महत्वाकांक्षा का सातवां आसमान छूने के लिए छटपटाता रहता है । जनसंचार के सम्मुख इन ग्रामीण मान्यताओं की मजबूत दीवार तोड़ने की विषम चुनौती प्रस्तुत होती है ।

16.3.5 आर्थिक स्थिति

यह कथन गलत नहीं है - 'भूखे पेट भजन न हो गोपाला' । जनसंचार, शिक्षा, मनोरंजन और सूचना का संप्रेषण सफलतापूर्वक तभी कर पाएगा जब उसके श्रोता- दर्शकों के पेट भरे होंगे । शहर क्योंकि आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं अत: वहां रेडियो अथवा टेलीविजन की प्रभावी पहुंच दृष्टिगोचर होती है । जबकि दिनभर मेहनत-मजदूरी करने वाले गांव उनसे उदासीन दिखाई देते हैं। एक तरफ शहरी सम्पन्नता तो दूसरी तरफ ग्रामीण विपन्नता। एक के पास जनसंचार की लिए फुर्सत तो दूसरे के पास समय का अभाव ।

16.3.6 सहभागिता के अवसर

जनसंचार की सार्थकता इसी में है कि उसका जुड़ाव अधिकाधिक लोगों से हो । अगर रेडियो और टेलीविजन के कार्यक्रम केवल हवा में ही तीर चलाते रहें, अपने लक्ष्य अर्थात् श्रोता या दर्शक को न पकड़ पाएं तो उनका प्रसारण निश्फल प्रयोग भर माना जाएगा । इन इलेक्ट्रानिक माध्यमों को सच्चे अर्थों में समाज का आईना बनाना होगा । लोगों के दुखदर्द को उन्हें बाटना होगा, उनकी जिंदगी से जुड़ी नई-पुरानी समस्याओं को हल का रास्ता उन्हें सुझाना होगा और अपनी 'बहु जन हिताय, बहु जन सुखाय' की छवि को सार्थक करना होगा । ये माध्यम अपनी उपादेयता से दूर रहेंगे। इसके लिए उन्हें स्टूडिओ से बाहर अपने माइक्रोफोन और कैमरा लेकर लोगों के बीच जाना होगा और उनकी ग्रामीण दुखती रग पहचाननी होगी। जब तक सुनने वालों और देखने वालों का विश्वास रेडियो और टेलीविजन नहीं जीत लेते वे कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जनसंचार कार्यक्रमों में ग्रामीण और शहरी निवासियों की सहभागिता के बराबर अवसर मिलने आवश्यक हैं।

16.4 अंधेरे से बाहर कौन निकाले?

अशिक्षा और अंधकार की पृष्ठभूमि में विश्व की अधिकांश ग्रामीण आबादी रोशनी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। प्रश्न उठता है, उसे कौन किरणों का वरदान देगा? क्या वह अभाव, आवश्यकता और अवसरहीनता के चंगुल से कभी निजात नहीं पा सकेगी? ऐसी बात नहीं है। मन में दृढ़ संकल्प हो तो यह अभिशाप से मुक्ति पाई जा सकती है। परंतु उसके लिए अपनी कोशिश बहु त जरूरी है। ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। दरअसल होता यह है कि ग्रामीण अंचलों में अवसर लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे देता है, मगर उसकी अगवानी के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। हाथ से अवसर छूटा अवसर लौटकर वापस नहीं आता। ऐसे में मन मसोसकर पछतावा ही करना पड़ता है। गांवों से शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति दिनोंदिन आम होती जा रही है। सर्वप्रथम उस पर अंकुश लगाना होगा। सहकारिता वह पारस है जो गांवों में व्याप्त अंधकार को काट सकता है। विकसित देशों में ऐसे आत्मनिर्भर खुशहाल गांवों की कमी नहीं जो विकास का दम भरने वाले शहरों के कान काटते हैं। सब कुछ है उनके अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, बिजली, पानी, खेतीबाड़ी और एक जागृत समाज। वहां अंधेरे का दूर-दूर तक नामोनिशान नहीं ।

16.5 जनसंचार माध्यम एकमात्र विकल्प

ग्रामीण अंधकार को दूर करने में महती भूमिका जनसंचार के माध्यम अदा करते हैं। रेडियो, टेलीविजन फिल्म और समाचारपत्र तीनों पर सामाजिक पुनरुद्धार का उत्तरदायित्व टिका रहता है। समाज के व्यापक हित को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता । जिस तरह मनुष्य का जीवन आए दिन विषमताओं से घिरता चला जाता है, जन-संचार की जरूरत और अहमियत उतनी ही बढ़ती जा रही है । रेडियो, टेलीविजन और समाचारपत्र घर बैठे प्रखर होती मानव-मस्तिष्क की उत्कंठा को शांत कर सकते हैं । गहरे पानी पैठकर वे विषय का नीरक्षीर कर सकते है । ग्रामीण जनता इस स्वर्णिम अवसर को झपट सकती है । जनसंचार के माध्यम

उसकी किसी पुरानी समस्या का समाधान तो नहीं दे सकते, परन्तु उस समाधान का मार्ग अवश्य सुझा सकते हैं । ग्रामीण आबादी को वे विकास और सुधार का महत्व समझा सकते हैं और परिवर्तन की नई हवा की ताजगी का उसे एहसास जरूर करवा सकते है । जनसंचार गांववालों के लिए अंधेरे में चमकने वाली टार्च की तरह होता है । खुशनसीब उसी दिशा में बढ़ जाते हैं और जो सोचता रह गया वह अपने लिए प्रगति के कपाट बद कर लेता है । इसलिए गांवों में जनसंचार के इन माध्यमों को सक्रिय बनाने के लिए वहां के जागरूक वर्ग को पहल करनी चाहिए । रेडियो हो चाहे टेलीविजन- वे सिर्फ फिल्मी गीत, लोकगीत या नृत्य संगीत का ही प्रसारण नहीं करते विज्ञान, कला, कम्प्यूटर, तकनीक और समसामयिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रसंगों पर प्रसारित कार्यक्रमों से ग्रामीण समाज बहुत कुछ ग्रहण कर सकता है । खेती बाड़ी पर होने वाली सामग्री- सूचना पाकर के ग्रामीण परिवार अपने आर्थिक सम्पन्नता का पक्ष प्रशस्त कर सकते हैं । इस दृष्टि से जनसंचार उन्हें अंधेरे से बाहर निकालने वाला एकमात्र विकल्प बनकर उभरता है ।

16.6 ग्रामीण विकास में तीन प्रमुख इलेक्ट्रानिक माध्यम

16.6.1 रेडियो

अब तक यह स्पष्ट है कि शहरों की तुलना में गाव विकास के मोहताज होते हैं । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर और ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में उनका मार्गदर्शक रेडियो का पहला इलेक्ट्रानिक माध्यम बनता है । वार्ताओं, विशेषज्ञों से बातचीत, रुपक और रिपोर्टीज आदि के प्रसार से वह ग्रामीण लोगों को प्रगति से अवगत कराता है । हर रेडियो दुनिया के किसी भी सूदूर कोने में होने वाली गतिविधि को ग्रामीण श्रोता तक पहुंचाकर उनके मानसिक अंधकार को दूर करता है । पिछले दिनों आतंकवाद के खिलाफ अमरीका के नेतृत्व में छिड़ी विश्वव्यापी लड़ाई को रेडियो ने ही कोने-कोने ने तक पहुंचाया। कृषि गांवों की पहली आवश्यकता होती है। उस दिशा में मौसम के अनुसार उपयोगी सूचनाओं का प्रसारण कर रेडियो ने हमेशा अग्रणी। भूमिका का निर्वाह किया है । अपने घर-परिवार, गली-मोहल्ले और पड़ौस की साफ- सफाई रखने से जीवन की जानलेवा बीमारियों से कैसे दूर रखा जा सकता है, रेडियो ग्रामीण श्रोताओं को वह गुर देता है । शिक्षा की अलख हर ग्रामीण परिवार में जगाने का भी बीड़ा रेडियो ने उठाया और आधुनिकता से श्रोताओं का परिचय कराकर रेडियो ग्रामीण विकास को गतिमान करता है। आज के भागते समय में गाँव विकास की यात्रा में पिछड़े नहीं रह सकते। वहां परंपराओं से मोह, कुंठाओं का पूर्वाग्रह और अतीत से समता जड़ जमाए हुए है। फिर भी रेडियो सुधार और परिवर्तन का अभियान छेडकर उन्हें तिरोहित कर देता हैं। सभी पुराने मूल्य दकियानूसी नहीं हुआ करते। ग्रामीण विकास में रेडियो को विवेक के साथ मध्यम मार्ग चुनना होता है।

16.6.2 टेलीविजन एवं फिल्म

सत्तर के दशक तक जनसंचार के फैशन में सिर्फ रेडियो का ही एकाधिकार था। नितांत श्रव्य माध्यम होने के कारण उसे अपना संदेश श्रोताओं तक पहुंचाने में अतिरिक्त कोशिश करनी पड़ती थी। मगर जब से टेलीविजन का प्रसार दुनिया भर में हुआ है, रेडियो माध्यम थोड़ा

पृष्ठभूमि में चला गया है। यह स्वाभाविक है भी है। टेलीविजन को फिल्म का संक्षिप्त संस्करण कहा जा सकता है। वह एक साथ श्रव्य और दृश्य माध्यम है। टेलीविजन के छोटे परदे पर जब- दर्शक को कोई बात वास्तविक रूप से दिखाई जाती है, तो वह फौरन उस पर विश्वास करने लगता है और उस पर अमल करने लगता है। टेलीविज़न ने देखते ही देखते अपने पांव ऐसे पसारे कि ग्रामीण अंचल उसकी उपयोगिता के आँख बंद कर कायल हो गए। जो टेलीविजन पर दिखा बस वही सच। ग्रामीण विकास की चुनौती को टेलीविजन ने इसलिए सहर्ष उठाया। छोटे परदे की चकाचौंध ने ग्रामीण विकास को लेकर एक नई होड़ को जन्म दिया। इस होड से कोई विषय अछूता नहीं रहा। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान, तकनी, राजनीति, अर्थ, कला और ग्रामीण जन- जीवन से जुडा हर प्रसंग टेलीविजन की पकड़ में आ गया। पहले रेडियो ने ग्रामीण विकास का पौधा रोपा था। टेलीविजन ने उस पौधे को वटवृक्ष बना दिया। सेटेलाइट और केबल नेटवर्क ने मिलकर गांवों की सोच में एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन किया कि शहरों से उसकी दूरियां मिटने लगी ।

16.7 जनसंचार माध्यमों के प्रमुख दायित्व

16.7.1 बौद्धिक

रेडियो और टेलीविजन को ग्रामीण नागरिकों के बौद्धिक स्तर को ऊपर उठाने का उत्तरदायित्व सर्वोपरि उठाना होता है। अशिक्षा कहें या अज्ञान, अंधकार कहें या अवसरहीनता, उदासीनता कहें या अरुचि-गांव के निवासी किसी-न-किसी रूप में उनसे आक्रांत रहते हैं। परिणाम स्वरूप उनका बौद्धिक स्तर पर्याप्त निखर नहीं पाता। जो कुछ सामने है वही उनके लिए आखिरी सच बन जाता है। वर्तमान का संतोष उनके विकास के पौधे में जंजीरे डाल देता है। अतीत उन्हें जकड़े रखता है। भविष्य उन्हें आकर्षित नहीं कर पाता। बस, यहीं इलेक्ट्रानिक माध्यम को अपना निर्णायक रोल अदा करना होता है। ग्रामीण निवासियों की मंद बुद्धि के दरवाजे वे खटखटाते हैं और नई सूचनाओं से उन्हें मालामाल करते हैं। भविष्य के गर्त में विकास का रत्नाकार रचा हुआ है। एक-एक कर रेडियो और टेलीविजन बेशकीमती मोतियों को खोज निकालते हैं। कटु सत्य है कि मनुष्य जीवन का विकास एक बौद्धिक चाबुक के बिना एक पग नहीं चल सकता। ग्रामीण समाज की बुद्धि को समझाने की चुनौती इलेक्ट्रानिक माध्यम ही उठाते हैं। बौद्धिक विकास ग्रामीण जनसंचार की पहली शर्त है।

16.7.2 सामाजिक

बौद्धिक स्तर ऊपर उठते ही ग्रामीण जन-जीवन के सामाजिक स्तर की बारी स्वत: लग जाती है। बुद्धि का सीधा संबंध विवेक से है। विवेक जब एक बार अंगड़ाई लेकर बैठता है तो व्यक्ति अच्छे-बुरे में भेद करना सीख जाता है, उसमें निर्णय की शक्ति आ जाती है। रेडियो और टेलीविजन ग्रामीण समाज की कुंठाओं और ग्रंथियों पर अपने कार्यों से निरंतर कुठारापात करते रहते हैं । विकास का मार्ग अवरुद्ध करने वाले अंधविश्वास को वे लगातार तोड़ते रहते हैं। जीवन स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जाए, आर्थिक खुशहाली हासिल कैसे की जाए और खुद को किस

प्रकार एक समर्थ नागरिक बनाया जाए- रेडियो और टेलीविजन व्यवहारिक होकर ग्रामीण समाज के लिए सहायक साबित हो सकते हैं। उस प्रयास में उन्हें एकदम ईमानदार, बोधगम्य और स्फटिक होना जरुरी है। विश्वसनीयता नही रहेगी तो रेडियो-टेलीविजन के तीर केवल हवा में बुझ कर रह जाएंगे। अत: उन्हें अपने कार्यक्रमों की संरचना, प्रस्तुति और निरुपण ग्रामीण समाज की नब्ज पहचानकर करनी होती है। मसलन बुखार का इलाज तपेदिक की जब्ज से नहीं किया जा सकता। सिरदर्द को खुजली की दवाई से दूर नहीं किया जा सकता। सामाजिक दायित्व निभाते हु ए रेडियो और टेलीविजन विषय से भटक नहीं सकते।

16.8 भारतीय संदर्भ

ग्रामीण विकास के संदर्भ में जब हम भारतीय स्थिति की चर्चा करते हैं तो एक निराली तस्वीर सामने खड़ी होती है। भारत दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी पचहत्तर प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है। विभिन्नता में एकता के दर्शन भारत के कण-कण में जीवंत मिलता है। गाँव उसके अपवाद नहीं हैं। वे एक तरह से देश की धड़कन है। परन्तु स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती मनाने के बावजूद भारत ग्रामीण जीवन आज भी असंतोष और असंतुलन से लडखडा रहा है। गहरी जड़ में जमी कट्टरता और परंपरा विकास का मार्ग रोकने के लिए तत्पर रहती है। कई बार ग्रामीण एव शहरी जीवन का अतर बीच में आ जाता है। गांवों की संवेदनशीलता काँच की तरह बिगडती है। ऐसे में रेडियो एव टेलीविजन को ग्रामीण समाज की भावनाओं का विशेष ध्यान रखना पड़ता है।

16.9 भारतीय ग्रामीण जीवन की अपनी शान

अपनी आस्थाओं, परंपराओं और धारणाओं के लिए भारतीय ग्रामीण जन-जीवन अगर इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए कुछ मुश्किलें खड़ी करता है तो वह अपनी अनूठी शान को लेकर उसे प्रसारण की कुछ समृद्ध सामग्री भी प्रदान करता है। खुली जीवन शैली, दो टूक व्यवहार, अनुभव का खजाना, लोकसंस्कृति और प्राकृतिक सुषमा न जाने कितने रोचक विषय भारतीय गाव अपने भीतर समेटे हु ए हैं। विकास को लेकर एक आरम्भ इच्छाशक्ति वहां हिलोरे मारती मिलेंगी। बस जरूरत उसे प्रोत्साहन देने की है, उसे विकास के मार्ग पर लाने की है और उसका सदुपयोग करने की है। रेडियो और टेलीविजन भारतीय ग्रामीण जीवन की इस निराली शान का बखान करके श्रोता-दर्शकों का दिल जीत सकते हैं। प्रचलित लोक-मान्यताओं का मखौल उड़ाना तो आसान है, लेकिन उनकी तह में जाकर उनके महत्व को पहचानना मुश्किल है। सादगी ग्रामीण जीवन की विशेषता हैं, वह व्यक्ति को निश्चल बनाती है।

16.10 परिवर्तन बनाम परम्परा

परम्परा आदि अतीत की देन है तो परिवर्तन वर्तमान की कोख से जन्म लेता है। इन दोनों का समन्वय सहज नहीं होता। परपरा हमेशा परिवर्तन का विरोध करती हैं। रेडियो और टेलीविजन ग्रामीण परम्पराओं की सख्त जमीन रातों रात तो नहीं तोड़ सकते परन्तु अपने कार्यक्रमों द्वारा बदलाव की सभावना अवश्य खड़ी कर सकते हैं। परिवर्तन गाँव वालों के लिए कुनैन की तरह होता है। वे उसे सीधे निगलने के लिए तैयार नहीं होते। अत: इलेक्ट्रानिक

मीडिया को परिवर्तन का कुनैन शक्कर में लपेट कर उनके सामने परोसना पड़ता है। ग्रामीण स्वभावत: परिवर्तन से आशंकित रहते हैं। न जाने वह उन्हें क्या नुकसान पहुंचा दे। अनुभव बताता है कि सोदाहरण कार्यक्रम, संगीतात्मक प्रस्तुति, भैंटवार्ता, एकल रिकार्डिंग और नाटकीय कार्यक्रम ग्रामीण अंचलों में लोकप्रियता का शार्टकट सिद्ध होते हैं। रेडियो और टेलीविजन वहां परिवर्तन की आधारभूमि तैयार कर सकते हैं।

16.11 रेडियो का कितना योगदान?

भारत के ग्रामीण विकास में रेडियो का योगदान स्मरणीय रहा है। रेडियो का सामाजिक शिक्षक हेतु उसका सर्वाधिक प्रभाव हम ग्रामीण क्षेत्रों में देख सकते हैं। रेडियो ने ही सबसे पहले साक्षरता की अलख गांवों में जगाई। उसका अच्छा परिणाम निकला और शिक्षा के महत्व को समझ कर गांवों के बच्चों को स्कूल भेजने का चाव जागा। कभी गांवों में सफाई की अनदेखी की जाती थीं। नतीजतन मासूम लोग गंभीर बीमारियों के कारण काल का ग्रास बन जाया करते थे। रेडियो से स्वास्थ्य का फर्क ग्रामीण श्रोताओं को कुछ इस तरह समझाया कि आज हर छोटी-बड़ी बीमारी का इलाज करवाने की तत्परता गांवों में आम हो चली है। खेती के मामले में तो रेडियो को आशातीत सफलता मिली। परंपरागत शैली के नए उन्नत तरीके, उन्नत बीज, उन्नत रासायनिक और उन्नत देखभाल का शंख गांवों में रेडियो ने फूंका। फसलों को लगने वाले कीडों से बचाव और सुरक्षा के साधनों की जानकारी रेडियो ने किसानों को दी। आज इसी की बदौलत भारत अनाज उत्पादन के रिकार्ड स्थापित करने लगा है। रेडियो ने सामाजिक मोर्चे पर पिटी पिटाई रूढ़ियों को हटाने में मदद की, सामाजिक कुरीतियों पर निरंतर चोट की और ग्रामीण विकास का अभ्युदय किया।

16.12 टेलीविजन एवं फिल्म का कितना योगदान

फिल्म के लघु संस्करण टेलीविजन ने तो ग्रामीण विकास में अविश्वसनीय मार्गदर्शन किया है। एक तरह से दोनों इलेक्ट्रानिक माध्यम ग्रामीण जनसंचार में एक दूसरे के पूरक रहे हैं। आरम्भ में टेलीविजन श्वेत-श्याम था परन्तु जब से उसका पर्दा सतरंगी हुआ है, क्या गाँव और क्या शहर, उनपर वशीकरण छा गया है। टेलीविजन के रंगीन आकर्षण ने अपना असर दिखाया। कृषि, स्वास्थ्य, सामाजिक रूढ़ियों, निरक्षरता और ज्ञान-विज्ञान की बारीकियों को टेलीविजन बड़ी ईमानदारी से ग्रामीण दर्शकों के सामने प्रस्तुत करता रहता है। दूध का दूध और पानी -पानी करने का मार्ग ग्रामीण क्षेत्रों में उसने प्रस्फुटित किया। राजनीतिक और समसामयिक राष्ट्रीय- अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंगों के प्रति ग्रामीण दर्शक को उसने जागरूक किया। वे अब शहरवासियों की तरह हर घटना में दिलचस्पी लेने लगे हैं। टेलीविजन ने आमूलचूल ग्रामीण अंचलों के दृष्टिकोण को बदल डाला है।

16.13 करवट लेता ग्रामीण परिवेश

यह इलेक्ट्रानिक माध्यमों का ही प्रभाव है कि भारत का ग्रामीण परिवेश करवट बदल कर उठ बैठा है। उसी का करिश्मा है कि कभी परिवर्तन से परहेज करने वाला ग्रामीण समाज उसके स्वागत में बांहें फैला रहा है। इन बदली परिस्थितियों ने अपना चमत्कार दिखाया। ग्रामीण

जनजीवन का कोई अंग उससे नहीं छूटा। एक जमाना था जब गांवों में दूर-दूर तक अस्पताल नजर नहीं आते थे। आज हर गाँव में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र कार्यरत हैं। कभी गांवों के लिए टेलीफोन दूर का ढोल हुआ करता था जबकि आज ग्रामीण संचार का जाल बिछ चुका है। आज किसी छोटे से गांव में बैठा ग्रामीण अपने घर से वाशिंगटन के किसी रिश्तेदार से डॉयल घुमाकर बात कर सकता है। गांवों में लोग पानी के लिए बरसात पर निर्भर नहीं रहे। कुछ अपवादों को छोड़, हैण्डपम्प, नहर और ट्यूबवेल की सुविधाएं उन्हें मिल गई हैं। भारतीय गाँव गेहूं की अधिक पैदावार करने में सक्षम हो गए हैं। शिक्षा के प्रति जागृति गांवों में इतनी आ गई है कि कोई परिवार अपने बच्चों को स्कूल-पाठशाला में भेजे बिना नहीं रहता। शादी-ब्याह, जन्म-मृत्यु पर रिवाजों के नाम पर किए जाने वाले अपव्यय में कमी आई है। कुल मिला कर आर्थिक सम्पन्नता औसत ग्रामीण परिवार के द्वार पर अब दस्तक. देने लगी है।

16.14 निर्बाध संचार क्रांति

ग्रामीण विकास का यह शुभ परिवर्तन बहुत सीमा तक निर्बाध जनसंचार क्रांति के सौजन्य से सम्भव हो सका है। तीव्रगति की इस क्रांति से आज किसी का विलग रहना कल्पना से परे लगता है। समाचार, सूचना और संसाधन-सामग्री का आदान-प्रदान बिना मांगे शहर और ग्रामीण नागरिकों को मिल रहा हैं। नि:संदेह इसके पीछे रेडियो और टेलीविजन का भारी योगदान रहा हैं । ये इलेक्ट्रानिक माध्यम हर विषय की अधिकाधिक जानकारी पहुंचाते रहते हैं। संचार क्रांति का कोई ओर छोर नहीं। जन-कल्याण ही उसका एक मात्र प्रयोजन है तो सामाजिक जागरूकता की अभिवृद्धि उसकी अंतिम मंजिल है।

16.15 सारांश

जनसंचार का अभी तो श्रीगणेश भर हुआ है। प्राप्त संकेतों के अनुसार उसका आने वाला कल कल्पना के सारे पंख नोचने वाला है। पहले चरण में रेडियो दूसरे चरण में टेलीविज़न तीसरे चरण में कम्प्यूटर चौथे चरण में माध्यमों का टेलीफोन और अगले चरण में सेटेलाइट का विश्वव्यापी उपभोग। एक लंबी-चौडी दुनिया मानों मुट्ठी में सिमटने वाली है। भौगोलिक दूरियाँ लगभग निरर्थक बन चुकी है। संस्कृतियों का तो तेजी से कुछ इस तरह मेल मिलाप हो रहा है कि आने वाला कल विश्वबंधुत्व के सुनहरे स्वरूप को साकार कर देगा।

कल का यह स्वर्णिम प्रभात आएगा। इलेक्ट्रानिक माध्यमों के कंधे पर सवार होकर इस दिशा में उन्हें भगीरथ प्रयास करने होगे। ग्रामीण जन-जीवन से जुड़ी समस्याओं पर उन्हें विशेष ध्यान देना होगा तभी विकास की पावन गंगा धरती पर अवतरित होगी। कुछ लोग इन माध्यमों की शक्ति को कम करके आंकने की भूल करते हैं। मगर वे यह नहीं जानते कि जनसंचार की जादुई ताकत ऊपर से तो दिखाई नहीं देती, लेकिन वह भीतर-ही-भीतर परिस्थितियों में परिवर्तन की ज्वाला भर दिया करती है। ग्रामीण विकास अगर अनन्त मात्रा है तो रेडियो और टेलीविजन उस मात्रा को अपने आखिरी मुकाम तक की सतत् प्रक्रिया है। दोनों अन्नताश्रित है। इलेक्ट्रानिक माध्यम मानव जीवन के अभिन्न उपकरण बन चुके है।

16.16 कुछ उपयोगी पुस्तकें

भारतीय प्रसारण के विविध आयाम	मधुकर गंगाधर
प्रसार की विविध विधाएं	मुरली मनोहर मंजुल
शब्द की शक्ति	डॉ. जयभगवान दुबे
ध्वनि तरंगों की ताल पर	गोपालदास
प्रसारण के लिए समाचार	राधानाथचतुर्वेदी
आकाशवाणी	राम बिहारी विश्वकर्मा
विविधा	प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली

16.17 निबंधात्मक प्रश्न

1. आपकी दृष्टि में जनसंचार की सामाजिक उपयोगिता क्या है? क्या उसके बिना गुजारा नहीं हो सकता?
2. भारतीय ग्रामीण समाज की अलग पहचान किस आधार पर है? उसे अपने शब्दों में निरुपित कीजिए।
3. 'परिवर्तन ग्रामीण विकास की पहली शर्त है।' क्या आप इस विचार से सहमत हैं? कारण सहित स्पष्ट करें।
4. रेडियो और टेलीविजन ग्रामीण विकास में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं? क्या वे किसी समस्या का हल कर सकते हैं? अपने विचार व्यक्त कीजिए ।
5. ग्रामीण और शहरी जन-जीवन के बीच मोटे अंतरों को सतर्क रेखांकित कीजिए।
6. भारत का ग्रामीण परिवेश आपके मतानुसार प्रगति के मोर्चे पर कैसी करवट ले रहा है? पक्ष- विपक्ष में अपनी सम्मति रखें।
7. 'ग्रामीण विकास एक अनन्त यात्रा है और इलेक्ट्रानिक माध्यम आखिरी मंजिल तक पहुंचाने की सतत् प्रक्रिया है'। इस कथन का आशय स्पष्ट करें।
8. क्या भारतीय ग्रामीण जीवन स्तर को ऊपर उठाने में जनसंचार सचमुच ठोस मार्गदर्शन कर पाया है? सविस्तार व्याख्या करें।
9. 'संचार क्रांति निर्बाध चलती रहेगी'। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं?
10. ग्रामीण विकास जनसंचार की दृष्टि से भविष्य से कितना आशान्वित हो सकता है? सोदाहरण अपने विचार लिखे।

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की सूची

	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि
1.	स्नातक उपाधि प्रारम्भिक पाठ्यक्रम	6 माह
2.	भोजन एवं पोषण में सर्टिफिकेट	6 माह
3.	कम्प्यूटर ज्ञान एवं प्रशिक्षण का प्रारम्भिक पाठ्यक्रम	6 माह
4.	सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटिंग	6 माह
5.	पंचायती राज प्रोजेक्ट में प्रमाण-पत्र	6 माह
6.	संस्कृति एवं पर्यटन में प्रमाण-पत्र	6 माह
7.	महिलाओं में वैद्यानिक बोध में प्रमाण-पत्र	6 माह
8.	राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में प्रमाण-पत्र	6 माह
9.	बी.ए.एफ./बी.सी.एफ. (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)	1 वर्ष
10.	एम.ए.(अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, हिन्दी)	2 वर्ष
11.	एम.बी.ए.	3 वर्ष
12.	पी.जी.डी.एच.आर.एम.	1 वर्ष
13.	पी.जी.डी.एफ.एम.	1 वर्ष
14.	पी.जी.डी.एम.एम.	1 वर्ष
15.	पी.जी.डी.एल.एल.	1 वर्ष
16.	टी.एच.एम.	1 वर्ष
17.	डी.एन.एच.ई.	1 वर्ष
18.	डी.सी.ओ.	1 वर्ष
19.	डी.एल.एस.	1 वर्ष
20.	डी.सी.सी.टी.	18 माह
21.	बी.जे.(एम.सी.)	1 वर्ष
22.	एम.जे.(एम.सी.)	2 वर्ष
23.	बी.लिब.	1 वर्ष
24.	पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1 वर्ष
25.	बी.एड.	2 वर्ष
26.	पी.एच.डी.	3 वर्ष
27.	पी.जी.डी.ई.एस.डी.	1 वर्ष